खण्ड-335, अंक-10
शुक्रवार, 8 पौष, शक संवत् 1900
(29 दिसम्बर, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१५२५—१५२६
प्रश्नोत्तर	१५२६—१५८१
मुख्य मंत्री की राज्यपाल से भेंट तथा उनसे हुई वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	१५८२—१५८३
अतारांकित प्रश्न के रूप में मंत्रियों द्वारा उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति ..	१५८३—१५८६
कांग्रेस (आई०) के सत्याग्रहियों को जेल में सुविधायें न दिये जाने पर आपत्ति	१५८६—१५९०
अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने तथा कल श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पढ़े गये पत्र को सदन की सम्मति माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (जारी)	१५९०—१५९२
गोपनीयता तथा जनहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति (जारी)	१५९२—१५९३
अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने तथा कल श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पढ़े गये पत्र को सदन को सम्मति माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१५९३—१५९४
गोपनीयता तथा जनहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति (जारी)	१५९४
श्री श्यामधर मिश्र के बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन में उपस्थित होने पर आपत्ति	१५९४—१५९६
लिखित वक्तव्य की प्रतियां न मिलने पर आपत्ति	१५९६
गोपनीयता तथा जनहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति	१५९६—१५९८
एटा जनपद के थाना सहावर के दरोगा श्री एस० आई० चतुर्वेदी द्वारा श्रीमती मिठौली देवी पत्नी श्री सकटू के घर में लूट तथा उनकी लड़की के साथ बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१५९८—१५९९
कानपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं समायोजन से भारी असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१५९९

विषय	पृष्ठ संख्या
हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में पत्थर के बांध लगा देने से सीमावर्ती अलीगढ़ गांवों के कटान के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१६००–१६००
हरदोई में बिलग्राम से राजघाट मार्ग को पक्का किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१६००–१६००
जिला परिषदों द्वारा संचालित एकीकृत चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों को संबामुक्त किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञाने में लाना	१६००—१६०१
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को असामान्य कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१६०१–१६०१
भारत सिरिंज वर्क्स नामक फर्म को ग्लूकोज की सप्लाई के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निविदा पर आपत्ति के विषय को नियम ३०१ के अनतर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१६०१—१६०२
बस्ती जनपद के मालखाने में जमा चोरी के माल के बदल जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१६०२–१६०२
इलाहाबाद की करछना व मेजा तहसीलों में सिंचाई की अव्यवस्था के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१६०३–१६०३
संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, १९९८ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६०३—१६०४
कानपुर टाउन्स में पुलिस कमिश्नर के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	१६०४—१६०५
हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत पुस्तक "वायदा माफ गवाह" में से आपत्तिजनक शब्दों को निकाले जाने की मांग	१६०५—१६०७
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनायें	१६०७–१६०७
उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्राक्कलन समिति (१९९८-९९) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	१६०७—१६०८
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१६०८—१६०९
श्री गोकरण सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निमाज विभाग, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	१६०९—१६१०
न्याय एवं कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न की सूचना	१६१०—१६११
जिला टेहरी-गढ़वाल में जंगली सुअर का गोश्त खाने से कई व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	१६१२—१६१२

विषय	पृष्ठ संख्या
क्षय रोग आश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१६१३
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया)	१६१४
उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली उन्मूलन विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया)	१६१४—१६१५
आदर्श कारागार में नक्सलपंथी नेता श्री सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. .	१६१५—१६१६
प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बनध में संकल्प (जारी) .. .	१६१६—१६१८
कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा पढ़े गये कृषि मंत्री द्वारा एक डकैत को कथित लिखे गये पत्र पर जांच समिति गठित करने की मांग	१६१८—१६२०
प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	१६२१—१६५८
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१६५८—१६५९
प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिशित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (वापस लिया गया) ..	१६५९—१६९३
कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का स्पष्टीकरण	१६९३—१६९९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१६९९
नतिथयां	१६८१—१६८४

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक २१ दिसम्बर, १९७८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३२३

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाइल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राहुल, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्प नाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीकरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किसन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर

बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बैरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री

राजपति मिश्र, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह कुंवर
राम सागर, श्री
राव मुस्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम तिवारी, श्री
संगम लाल, श्री

संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २९ दिसम्बर, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बलिया जिले के ग्राम मुजौना की नजूल भूमि का पट्टा

**१—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

तथा

श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी की वर्ष १९७८ में बलिया जनपद के मुजौना गांव में स्थित करीब २७ एकड़ नजूल भूमि का बिना नीलाम की बोली कराये मनमाने ढंग से काशी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के एक बड़े किसान के लड़के श्री इन्द्रजीत सिंह को सीधे बन्दोबस्त कर दिया गया है जिसके विरोध में वहां पर जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक, श्री रफीउल्लाह के नेतृत्व में क्रमिक अनशन भी चला है और अब भी इसके विरोध में निर्बल वर्ग के लोग संघर्षरत हैं ? यदि हां, तो संबंधित नजूल भूमि को नीलामी के अलावा सीधे तरीके से भूमि बन्दोबस्ती का औचित्य क्या है और सरकार इसे निरस्त करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जिला बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम तुर्तीपार (मुजौना) में स्थित २६.९४ एकड़ भूमि का बन्दोबस्त पिछले वर्षों में नीलामी द्वारा किया जाता था । पिछला नीलाम ५ वर्ष के लिये हुआ था और उसकी तिथि ३० जून, १९७८ को समाप्त हो रही थी । श्री रफी उल्लाह विधायक ने पत्र भेज कर सुझाव दिया था कि यह भूमि बिना नीलामी के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को दी जाय । श्री इन्द्रजीत सिंह, निवासी ग्राम मुजौना ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि उन्हें यह भूमि बिना नीलामी के दी जाय । चूंकि नीलामी की प्रचलित प्रथा को बदल कर नई नीति निर्धारण में समय लगता और चूंकि रबी की बुआई का समय समीप था, अतः अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस भूमि को केवल एक वर्ष के लिये आपातकाल में पीड़ित श्री इन्द्रजीत सिंह को पिछले वार्षिक भू-कर से २५ प्रतिशत अधिक भू-कर लेकर पट्टे पर देने का निर्णय शासन ने लिया । यह सत्य है कि इस निर्णय के विरुद्ध क्रमिक अनशन किया गया है । चूंकि व्यवस्था अंतरिम है अतः इसे समाप्त करने का औचित्य नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नजूल भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर अर्द्ध शासकीय पत्र और राज्यपाल द्वारा नजूल मैन्युअल में संशोधन होते रहे हैं । उसके मुताबिक सरकार ने २ जनवरी, १९७६ को एक शासकीय पत्र सं० ३९२४/एन विभाग ९२-७५ जारी किया है, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल महोदय ने नजूल मैन्युअल के नियम १४ और १८ के अंतर्गत यह प्रतिबंध लगा दिया है कि नजूल भूमि सार्वजनिक नीलामी द्वारा ही दी जाय । उसमें यह व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

अनुपूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

तो इस नियम के रहते हुए सरकार ने किस प्रकार सीधे नीलामी के आदेश कर दिए ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह भूमि १९३० में रेलवे के लिए अध्याप्त की गयी थी और उन्होंने इसको विमुक्त कर दिया है । तब से स्टेट प्रापरटी के रूप में राजस्व विभाग नीलाम के जरिए कृषि भूमि के लिए उठाता रहा है । रफीउल्लाह साहेब ने यह सूचना दी कि इस भूमि को नीलाम द्वारा उठाया जा रहा है, इसको भूमिहीनों में आवंटित कर दी जाये । इस पर विचार हुआ था । जून के महीने के बाद जुलाई का महीना था । जब तक शासन निर्णय न ले तब तक यह एक साल के लिए २५ प्रतिशत अधिक लेकर व्यवस्था कर दी गयी ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह नीलामी ५ वर्ष के लिए की गयी थी, तो यह सर्वविदित चीज थी कि नीलाम ५ वर्ष के लिये हुआ था और सरकार को मालूम था कि ५ वर्ष का नीलाम है, तो पहला मेरा प्रश्न है कि समय रहते हुए इस पर अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया, दूसरा प्रश्न यह है कि रफीउल्ला साहेब ने जो पत्र लिखा वह किस तिथि का है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जुलाई, १९७३ में इसका पहला नीलाम किया गया था जो ५ वर्ष के लिए था । रफीउल्ला साहेब ने इस बात की सूचना ७८ में जून के महीने में पत्र द्वारा दी कि उचित होगा कि इस भूमि को भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाये । इसीलिए जून में इस पर विचार प्रारम्भ हो गया और शासन के विचार करने के पूर्व चूंकि रबी की फसल थी इसीलिए एक साल के लिए उठा दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो यह है कि जब ५ साल का समय पूरा हो रहा था तो समय रहते हुये नीलाम करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

पहली जुलाई को इसका पट्टा समाप्त हुआ था और जैसे ही माननीय रफीउल्ला का पत्र प्राप्त हुआ कि यह भूमि इस प्रकार नीलाम की जा रही है । और भूमिहीनों को वितरित नहीं की जा रही है इसलिए शासन भूमिहीनों को वितरण करने पर विचार करे । उनके पत्र में कुछ तथ्य देख कर शासन ने विचार किया कि इसको किया जाय या नहीं । जून में पत्र आया था और जुलाई में निर्णय नहीं लिया जा सका इसलिए इसको उठा दिया गया और इस बीच में निर्णय ले लिया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी को जानकारी हैं कि इस भूमि की नीलामी के लिए जिलाधिकारी ने दो दो बार घोषणाएं की और सरकार को सूचना भेजकर रद्द कर दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इसकी सूचना नहीं हैं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ७३ में जो पट्टे दिये गये और अब साल भर के लिये दिया, तो २५ प्रतिशत भार बढ़ा कर कितने में दिया गया और इसके देने से पहले क्या भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र थे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

पिछली बार बन्दोबस्त ३२०० रु० वार्षिक भू-कर पर किया था और इसका २५ प्रतिशत बढ़ा कर श्री इन्द्र जीत सिंह जो मीसा के बंदी थे और जिनका प्रार्थना-पत्र था, उनको दिया गया ।

श्री रफी उल्लाह—

क्या मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहला आदेश कब भेजा डी० एम० को कि कितने रुपये पर दिया जाय ? दूसरा यह कि क्रमिक अनशन कब से शुरू हुआ और किस तारीख को इन्द्रजीत सिंह को देने का आदेश गया ? तीसरा यह कि पहला आदेश ३२०० रु० का गया और फिर दूसरा आदेश २५ प्रतिशत बढ़ाकर देने का गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, २५ प्रतिशत भू-कर बढ़ा कर जो आदेश दिया गया वह ७ अक्तूबर, १९७८ को दिया गया । उसी आदेश में यह हैं कि पिछले वर्षों के लगान से २५ प्रतिशत अधिक लगान पर दिया जाय ।

(प्रश्न संख्या २ पुकारे जाने पर)

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

एक प्रश्न करने की इजाजत दे दें । बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं । मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया हैं । इस पर १० मिनट हो गये ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

उत्तर अगर ठीक से आये तो प्रश्न पूछने की जरूरत न हो । अगर उत्तर नहीं आयेगा तो प्रश्न किये जायेंगे ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियम ४९ के अन्तर्गत आधा घंटे की चर्चा के लिए सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें।

अब आप बैठ जाइये, अब प्रश्न दूसरा ले रहे हैं।

राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों का आन्दोलन

**२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ के छात्र गत २० दिनों से अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं जिससे कि विद्यालय द्वारा उन्हें भोजन देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण उप मंत्री (श्री दीनानाथ सेवक)—

जी हां, राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों द्वारा २३ नवम्बर, १९७८ से अपनी मांगों के विषय में एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। छात्रों द्वारा अध्यापकों तथा कर्मचारियों को आतंकित किये जाने के फलस्वरूप २३ नवम्बर, १९७८ की शाम तथा २४ नवम्बर, १९७८ को प्रातः भोजन की व्यवस्था न हो सकी, किन्तु उसके बाद दैनिक वेतन पर कर्मचारी की व्यवस्था करके भोजन की नियमित व्यवस्था कर दी गई है।

छात्रों की मांग तथा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६८१ पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

राजकीय अन्ध विद्यालय के छात्रों का आन्दोलन अभी जो जारी है और जो उनकी मांगें थीं, उनमें गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, जैसे प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने अधिकारों और राजकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग, तो क्या वे निराधार पाये गये ? छात्रों में अभी भी असंतोष व्याप्त है। छात्र संतुष्ट होकर विद्यालय में पढ़ाई के काम में जुट जायं, इसके लिए सरकार द्वारा कौन से क्रियाशील कदम उठाये जा रहे हैं जिनसे स्थिति सामान्य हो जाय ?

श्री दीना नाथ सेवक—

उनका नया भवन निर्मित हो गया है और उनको उसमें स्थानान्तरित करने की बात भी हो रही है, जल्द ही किया जायगा उनसे बातचीत भी चल रही है। जल्द ही जो समस्यायें हैं, उनका भी निराकरण हो जायगा। जहां तक प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण का प्रश्न है, जो लोग हैं उनका कहना है कि हम सन्तुष्ट हैं और अब हम नहीं चाहते हैं कि उनका स्थानान्तरण किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

छात्रों की हड़ताल के कितने दिनों बाद भोजन की विधिवत् व्यवस्था कर दी गई और प्रति व्यक्ति प्रति दिन के भोजन पर कितना खर्चा किया जाता है ?

श्री दीना नाथ सेवक—

२३ तारीख को छात्रों ने ताला लगा दिया और अध्यापकों को अन्दर नहीं आने दिया उन्हें यह भी आतंकित किया कि अगर कोई अन्दर आयेगा तो वे उसको मारेंगे । तो उसी बात से जो वहां का रसोइया था, वह भी भाग गया, लेकिन दूसरे दिन ही दैनिक वेतन पर दूसरा रसोइया नियुक्त कर दिया गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ?

[x x x]

श्री दीना नाथ सेवक—

मान्यवर, इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है कि कितना खर्च किया जाता है लेकिन जो नियम है, उनके अधीन ही खर्च किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुझे मालूम हुआ है कि एक खुराक पर ४० पैसा खर्च है । इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि वे इसको ठीक करें ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जिन अन्धे छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनको किस दफा में गिरफ्तार किया है और क्या उनको छोड़ दिया गया है या नहीं ?

श्री दीनानाथ सेवक—

धारा १४४ लगी हुई थी, उसी में गिरफ्तारी हुई है, यह गिरफ्तारी तो गृह विभाग संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री आप हैं, उत्तर आपसे पूछा जा रहा है ।

श्री दीनानाथ सेवक—

गिरफ्तारी धारा १४४ तोड़ने के अपराध में हुई है और ६७ छात्रों की गिरफ्तारी हुई है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह अन्धे छात्र बेचारे जेल में चल फिर भी नहीं सकते हैं इन छोड़ने के लिये आप ही मदद करें और कहें कि इनको छोड़ दिया जाये ।

अध्यक्ष—

क्या मंत्री जी उनको छोड़ने पर विचार करेंगे ?

दीनानाथ सेवक—

आपके सुझाव पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

जब से इनका आन्दोलन शुरु हुआ है तब से अब तक कितने अन्धे छात्र जेल गये हैं और कितनों को रिहा कर दिया गया है और क्या शासन उनसे बात करने की व्यवस्था कर रही है ?

दीनानाथ सेवक—

जी हां ६७ लोग हैं जो गिरफ्तार हुये हैं और जेल में हैं । उनसे वार्ता चल रही है ।

रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी थी ?

दीनानाथ सेवक—

डिप्टी डायरेक्टर, हरिजन समाज कल्याण, द्वारा ।

शारदाप्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

इन अन्ध छात्रों के प्रति दिन के भोजन पर ४० पैसा खर्च किया जाता है जब कि ३ रुपये में एक समय का भोजन मिलता है, तो क्या सरकार इनके भोजन-व्यय की दर को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

दीनानाथ सेवक—

इसकी सही सूचना नहीं है इस समय कि भोजन पर कितना व्यय किया जाता है, यह दर बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

नगर महापालिका, लखनऊ के प्रशासक, श्री इन्द्र प्रकाश एरन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), डी० पी० बोरा, (जिला लखनऊ), श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी), श्री विष्णु प्रताप (जिला गोण्डा) श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ के प्रशासन (श्री इन्द्र प्रकाश एरन) के विरुद्ध माह सितम्बर, १९७८ में स्थानीय विधायक ने उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, अपने पद का दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत की थी। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उक्त शिकायती पत्र में क्या-क्या आरोप थे। क्या शासन उच्चस्तरीय गोपनीय जांच, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके स्थानान्तरण करने के बाद करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

जी हां, सितम्बर, १९७८ में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायती पत्र में आरोप अपने पद तथा महापालिका के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हैं। इन आरोपों की जांच कराई जा रही हैं तथा प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के स्थानान्तरण का प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही हैं और कितने धन के दुरुपयोग का मामला हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

आरोप बहुत से लगाये गये हैं, इन आरोपों में २ आरोपों की जांच तो सतर्कता विभाग द्वारा करायी जा रही हैं, बाकी की जांच निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, द्वारा की जा रही हैं।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

इनमें कितने रुपयों के दुरुपयोग का मामला निहित हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अलग से कोई ऐसा आरोप नहीं हैं जिसमें यह कहा गया हो कि कुल इतने रुपये के दुरुपयोग का मामला हैं। १७ आरोप हैं। वे सब अलग-अलग हैं। किसी में कुछ धन का दुरुपयोग हैं, किसी में नीलाम के ठेके आदि में धन के दुरुपयोग की शिकायत हैं।

अब यह जांच हो रही हैं। इस स्टेज पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितने धन के टोटल गबन या दुरुपयोग करने का आरोप हैं।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन आरोपों का उल्लेख अभी यहां उन्होंने किया हैं, उसका विस्तार से ब्योरा देंगे कि किस प्रकार के आरोप हैं और अब तक जो जांच हुई हैं वह किस स्थिति पर हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि १७ आरोप लगाये गये थे, शिकायती पत्र में आरोप महापालिका के धन के दुरुपयोग के संबंध में हैं। अब उनमें छोटे-छोटे भी कुछ आरोप हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आरोप कब किये गये ?

लक्ष्मण सिंह—

यह मान्यवर, शिकायती पत्र हैं दिनांक १७-९-७८ का।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

इतने गम्भीर आरोपों को देखते हुए जैसी कि सरकार की घोषित नीति हैं कि जिसके खिलाफ कोई प्राइमाफेसी केस मेकआउट हो जाय, तो उसको सस्पेंड करके इन्क्वायरी की जाय। जैसा कि तिवारी जी बाद में पूछना चाहते थे कि वह अब तक सस्पेंड किये गये कि नहीं, उनके वहां पर रहने पर इन्क्वायरी में अवरोध हो रहा हैं। क्या इस इन्क्वायरी को विफल बनाने के लिए उसको तत्काल सस्पेंड करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह कोई जरूरी नहीं हैं कि जैसे ही आरोप लगाये जायं, तुरन्त सस्पेंड कर दिया जाय। उनको वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया हैं, जांच जारी हैं।

श्री शिवा नन्द नौटियाल—

जो आरोप लगाये गये हैं, क्या उन आरोपों में एक आरोप यह भी हैं कि रोड रोलर जो कि एक पुराना था, सेकेण्ड हैंड रोड रोलर को खरीदा गया और उसको पेंट किया गया और उसको नया बताया गया, मंत्री महोदय बाजपेयी जी ने उसका निरीक्षण किया और उसको लाया कि यह सेकेन्ड हैंड रोड रोलर था। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिसमें एक लाख का शुद्ध घपला हैं, उसकी भी जानकारी मंत्री महोदय को हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां, यह भी एक आरोप हैं। मेसर्स रोड बिल्डिंग कारपोरेशन, कलकत्ता से एक लाख रुपये का रोड रोलर खरीदा गया जो पुराना चला हुआ हैं। इसमें यह भी हैं कि खरीदारी में कमीशन लिया गया।

श्री अध्यक्ष—

क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अभी तो जांच हो रही हैं, तथ्य सामने नहीं आये।

श्री डी० पी० बोरा—

मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सतर्कता अधिष्ठान ने क्या अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दी हैं और उस रिपोर्ट में जो मांग की गयी हैं, सतर्कता अधिष्ठान की उस मांग को बिना पूरा किये हुए क्या यह सम्भव हैं कि यह जांच सही हो पायेगी और साथ ही एक प्रश्न और हैं, दूसरे कि मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाली बाग झील को पाटने के लिए तय किया गया, समुद्र भी कूड़ा-करकट से पाटे जाते हैं और उसको मिट्टी से पाटने के लिए १२ लाख का ठेका दिया गया और डिपार्टमेंटल के नाम पर १०० गाड़ी मुश्किल से गिरी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह अनुपूरक इतना लम्बा नहीं । जो निश्चयात्मक प्रश्न हैं, उसे पूछिये ।

श्री डी० पी० बोरा—

क्या सतर्कता अधिष्ठान ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दी हैं ? यदि दी हैं, तो वह क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह मान्यवर, निदेशक, स्वायत्त शासन के द्वारा सारे आरोपों की जांच कराई जा रही हैं ।

उन्होंने सिफारिश किया कि दो आरोप सतर्कता विभाग को दे दिये जायं । सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच हो रही हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

मान्यवर, प्रशासक के विरुद्ध इस तरह के जो आरोप सिद्ध पाये गये हैं, तो इस संबंध में कोई प्रशासनिक कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं कि ट्रांसफर कर दिया हैं । जांच हो रही हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग के किस अधिकारी ने जांच की और उसने संस्तुति की कि सर्तकता विभाग को भेजा जाय । जांच में कौन सी बातें पता लगने के बाद सतर्कता विभाग को भेजने की बात की गयी ?

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, निदेशक ने जांच की हैं और कुछ आरोपों में सब्सटेंस पाया गया, तो उन्हें सतर्कता विभाग को भेजा गया । इस स्टेज पर यह सब बताना कि कौन साक्षी हैं कौन गवाह हैं, यह तो जांच के हित में नहीं होगा ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, नियम हैं कि ज्योंही प्राइमाफेसी केस बन जाता हैं, सरकार की ओर से आज्ञा इस सम्बन्ध में होनी चाहिए कि अगर प्राइमाफेसी केस बन गया, तो फिर सतर्कता विभाग को क्यों भेजा गया । क्या यह आज्ञा नहीं हैं ? सतर्कता विभाग को ज्योंही भेजा जाता हैं त्योंही सरकारी कार्यवाही बंद हो जाती हैं, सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती इसलिये सतर्कता विभाग को भेजते हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह सही नहीं हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

सही हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

टालने के लिये नहीं भेजते हैं । २ आरोपों की जांच सतर्कता विभाग के द्वारा हो रही हैं । बाकी १५ आरोपों की जांच निदेशक कर रहे हैं । इसमें टालने का कोई प्रश्न नहीं हैं ।

श्री डी० पी० बोरा—

मान्यवर, एक बहुत अहमियत का प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, आप भी पूछ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । ३ प्रश्नों पर आधा घंटा हो गया ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप हमारी मदद करते हैं और उधर की मदद करते हैं । मान्यवर, जब प्राइमाफेसी केस बन गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप जो चाहते हैं उस उत्तर के लिये मैं मजबूर नहीं कर सकता हूं ।

तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का चुनाव

४ **श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का चुनाव स्थायीकरण हेतु कब से नहीं हुआ और क्यों ? क्या राजस्व मंत्री ने ४—५

नवम्बर सन् १९७८ को तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघ के वार्षिक अधिवेशन में इनके चुनाव को ३१ दिसम्बर सन् ७८ तक करा देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो पूरा क्यों नहीं किया गया है ? और कब तक चुनाव करा देने की संभावना है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसीलदारों का चुनाव वर्ष १९६६ तथा नायब तहसीलदारों का चुनाव १९६७ के बाद से इस कारण नहीं कराया जा सका कि वर्ष १९६६ में तहसीलदारों के चयन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर हुई थीं । उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिये थे ।

जिस आश्वासन का उल्लेख प्रश्न में किया गया है उस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

चुनाव यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जालौन जिले के बाढ़ पीड़ितों को गेहूं का आवंटन

***१ श्रीश्यामसुन्दर गुप्त (जिला जालौन) तथा कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—**

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जालौन जनपद में बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिये जो दो हजार क्विंटल गेहूं दिया गया था वह ३ अक्तूबर, १९७८ को पहुंच गया था और उसका वितरण १३ नवम्बर, १९७८ के बाद प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब से वितरण का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला जालौन में बाढ़ पीड़ितों को अहैतुक सहायता के रूप में वितरण हेतु शासन द्वारा दिनांक ३-१०-७८ को २०० मी० टन (दो हजार कुन्तल) गेहूं आवंटित किया गया था जिसे भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से प्राप्त किया जाना था परन्तु उनके क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से गोदाम में रिलीज आर्डर न प्राप्त होने के कारण गेहूं दिनांक ३-११-१९७८ से पहले प्राप्त नहीं किया जा सका । फलस्वरूप इस गेहूं का वितरण दिनांक ३-११-१९७८ से प्रारम्भ हुआ ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ितों के लिये अहैतुक सहायता के लिये आबंटित गेहूं के रिलीज आर्डर ३-११-७८ के पूर्व प्राप्त करने के लिये जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की और यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो इसका कारण क्या है ?जिन्होंने रिलीज कराने की कार्यवाही नहीं की और देर की, उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया है कि स्थानीय गोदाम से गेहूं प्राप्त नहीं हुआ, तो जिला अधिकारी ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया तो उन्होंने अपने यहां के लखनऊ के गोदाम को लिखा और उन्हें फिर एक महीने बाद गेहूं प्राप्त हो गया ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद जालौन के एक विधायक चौधरी शंकर सिंह द्वारा १३-११-७८ से प्रारम्भ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद जिलाधिकारी, जालौन ने उनको लिखित आश्वासन दिया था और उसमें स्वीकार किया था कि परगना अधिकारियों की भूल के कारण वितरण नहीं हो सका और अब प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी और जिला अधिकारी की भूल स्वीकारोक्ति में कौन सी बात सही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो उत्तर दिया है वह प्राप्त सूचना के अनुसार दिया है । लेकिन जो जानकारी माननीय सदस्य दे रहे हैं यदि वह लिखकर दे देंगे, तो उसकी जांच करा लेंगे और यदि गलत बात निकली तो उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शासन से यह शिकायत की गयी है कि प्रारम्भ में आवंटित अहैतुक बाढ़ सहायता के गेहूं का वितरण न करके जिला प्रशासन द्वारा भिंड, मध्य प्रदेश के व्यापारियों से उसका सौदा किया गया ? मेरी बात को सही मानकर क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ऐसी शिकायत मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई । यदि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो अवश्य जांच करायेंगे ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ३ तारीख को आवंटन का आदेश पहुंचा, ६ तारीख को झांसी में डिवीजन की मीटिंग हुई उसमें जिलाधिकारी ने स्वीकार किया था कि गेहूं मिल चुका है । तो मेरी सूचना को सही मानकर क्या झांसी डिवीजन के आयुक्त से इस बात को मालूम करेंगे ? दूसरी बात जो गेहूं प्राप्त हुआ था, उसकी मेरी सूचना सही मानकर १५ तारीख से पहले वितरण शुरू नहीं हुआ, तो क्या इसकी भी जांच करायेंगे तथा जो गेहूं पहुंचा है वह बाढ़ पीड़ितों के लिये ही था या दूसरे प्रभावित लोगों के लिये भी था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो जिला अधिकारी से सूचना प्राप्त हुई है उसमें स्पष्ट है कि ३-११-७८ के पहले गेहूं प्राप्त नहीं हुआ । यदि माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य है कि पहले प्राप्त हो

गया था और उसके वितरण में कोई देरी की गयी है तो यदि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो जांच करा लेंगे ।

(प्रश्न संख्या २ के पुकारे जाने पर)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें . . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आप बैठें, आप बैठ जायं ।

(श्री रेवती रमण रस्तोगी के खड़े रहने पर)

आप सदन छोड़ें । आप बाहर जायं । मार्शल इनको बाहर निकालें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मैं सदन को छोड़ रहा हूं । यह मेरा अपमान है । आप मेरी बात को नहीं सुनते हैं इसलिये मैं सदन को छोड़ रहा हूं ।

(रेवती रमण रस्तोगी सदन से बाहर चले गये)

वाराणसी जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये दिया गया अनुदान

*२—**श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—**

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद वाराणसी में माह अगस्त—सितम्बर, ७८ में गंगा की बाढ़ से गिरे मकानों के लिये शासन द्वारा गृह अनुदान दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ? और हां, तो जिलाधिकारी, वाराणसी ने इस कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि मांगी थी और शासन द्वारा कुल कितनी दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वाराणसी जनपद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त/ध्वस्त मकानों के संबंध में गृह निर्माण अनुदान के लिये पात्र व्यक्तियों को शासन ने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह निर्माण अनुदान दिया है । चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक जिलाधिकारी, वाराणसी को इस मद में ७ लाख रु० आवंटित किये गये हैं जब कि जिलाधिकारी ने २८ लाख रु० की धनराशि की मांग की है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, क्या यह सही है कि बाढ़ राहत के संबंध में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री और शासन द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि बाढ़ राहत के संबंध में धन की किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और इसके बावजूद तीन महीने से ज्यादा समय हो गया अभी तक वह धनराशि गृह अनुदान के रूप में न देने का क्या कारण है ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह सत्य हैं कि इस प्रकार की घोषणा की गयी थी कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए वित्तीय कठिनाई कोई बीच में नहीं आने दी जायगी। वाराणसी से अगस्त, ७८ और सितम्बर, ७८ में ११२८८ मकान ध्वस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। अगर ये ११२८८ सभी के सभी मकान नष्ट भी माने जायं तो २२ लाख रुपये से अधिक उनकी मांग नहीं होनी चाहिए लेकिन जिलाधिकारी ने २८ लाख की मांग की हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया हैं कि २८ लाख रुपये कैसे मांगे हैं इसे तुरन्त स्पष्ट करें। उनका उत्तर अभी तक नहीं आया हैं। उत्तर आ जाने पर रुपया भेज दिया जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी को बनारस के बदनसीब लोगों की स्थिति की जानकारी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हैं और क्या इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए गृह अनुदान शीघ्र भिजवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, थोड़ी सी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भूम हैं। ढाई एकड़ से कम जिनके पास खेती हैं उनको २०० रुपये अनुदान दे रहे हैं। इसके ऊपर जो लोग हैं उनको तकावी के रूप में मकान बनाने की बात कही गयी हैं और इसीलिए मैंने कहा वहां जैसे कि मकान गिरे हैं उनके लिए जो सहायता पाने के पात्र हैं उनकी संख्या बहुत शीघ्र वहां से आ जायगी तो आवश्यक रुपया अवश्य दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिनके मकान टूट गये हैं उनको अधिकतम धनराशि २०० रुपये दी जायगी। यह लिमिट तो बाबा आदम के जमाने की हैं। आज की महंगाई को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी दो सौं रुपये की सीमा को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, इस साल इतनी व्यापक क्षति हुई हैं और उसके संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त हुई हैं तो उस धनराशि को देख कर ही यह निश्चित किया गया कि अधिक से अधिक दो सौं रुपये दिये जायं मगर कोई ऐसी नीति नहीं हैं कि इसके ऊपर शासन रुपया नहीं देना चाहता। लेकिन वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुये ही यह नीति निश्चित की गई।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, वाराणसी के कर्मनाशा, चन्द्रप्रभा आदि सभी नदियों में बाढ़ आई और उनसे कई सौं मकान ध्वस्त हो गये। जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से पैसा नहीं मिला। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन नदियों से ध्वस्त गांवों के लिए भी ७ लाख रुपयों में प्राविधान हैं या नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, वाराणसी में जितने भी सहायता के पात्र हैं जिनके मकान ध्वस्त हो गये हैं सभी के बारे में जिलाधिकारी को लिखा गया है कि पूरी उनकी गणना बतायें ताकि पूरी राशि दी जा सके ।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ७ लाख रुपये आवंटित कर दिये गये हैं और उन्होंने अपने अनुमान में यह भी कहा कि २२ लाख रुपये चाहिए दो सौ रुपये के हिसाब से मेरी सूचना को सही मानते हुए कि प्रत्येक दिन किसान परगनाधिकारी के पास जाते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि अमुक तारीख को रुपया दे देंगे और दे नहीं पाते । क्या यह निश्चित घोषणा करेंगे कि इन तारीखों तक जितना रुपया देना होगा, उन तारीखों तक दे दिया जावेगा जिसमें कि उन किसानों को वह मिल जायगा । साथ ही साथ मैं यह भी मान्यवर जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि अनुपूरक अनुदान ६ करोड़ रुपये का बाढ़ के लिये रखा गया था और ६० करोड़ रुपया केन्द्र से प्राप्त हुआ तो क्या कारण है कि इस ६ करोड़ में से भी नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जो केन्द्र से सहायता प्राप्त हुई थी, और जो बजट में प्राविधान था सारा रुपया खर्च कर दिया गया कोई कन्जूसी नहीं की गयी । मान्यवर, मुझे यह प्रसन्नता हो रही है बताने में कि ८ करोड़ रुपया और केन्द्र से प्राप्त हो रहा है । लिखा-पढ़ी हुई थी और उससे इस सहायता की सूचना प्राप्त हुई । इसलिये मैंने कहा कि उस रुपये में से जहां-जहां आवश्यकता है और जहां-जहां जिलाधिकारी द्वारा बताया जा रहा है, वहां रुपया दिया जायेगा ।

श्री श्याम धर मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके लिये अन्तिम तिथि क्या होगी क्योंकि परगना अधिकारी के पास ये किसान रोज जा रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह जो ८ करोड़ रुपया केन्द्र से मिलेगा, जैसे ही रुपया प्राप्त हो जायेगा, उन किसानों को दे दिया जायेगा ।

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट

*३—**श्री कन्हई सिंह** (जिला शाहजहांपुर), **श्री रघुवर दयाल वर्मा** (जिला आगरा), **श्री बैंज नाथ प्रसाद कुशवाहा** (जिला इलाहाबाद), **श्री बाबू राम वर्मा** (जिला बस्ती), **श्री हरी राम शाक्य** (जिला फैजाबाद) तथा **श्री जनार्दन प्रसाद ओझा** (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मय उसकी संस्तुतियों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? वह रिपोर्ट सरकार कब तक सदन की मेज पर रखने जा रही है और उस पर कब तक विचार करेगी ?

श्री दीनानाथ सेवक—

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मय उसकी संस्तुतियों के शासन के विचाराधीन है ।

श्री कन्हई सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ?

श्री दीनानाथ सेवक—

मान्यवर, यह २४ मार्च, १९७८ को प्राप्त हुई ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, कृपया हमारे मूल प्रश्न को देखें । मूल प्रश्न में लिखा हुआ है कि श्री छेदी लाल साथी की रिपोर्ट क्या है और उसकी संस्तुतियों पर अब तक सरकार ने क्या विचार किया है और क्या कार्यवाही की और वह रिपोर्ट कब तक सदन के मेज पर रखने जा रही है ? इसका माननीय मंत्री जी का कोई उत्तर नहीं मिला । तो पहले तो, मान्यवर, उसका उत्तर दिलवायें । उसके बाद मान्यवर, यह भी जानना चाहूंगा कि सबसे अधिक पिछड़े वर्ग में आयोग द्वारा कौन सी प्रदेश की जातियां वर्गीकृत की गयी हैं और उसको कब तक सदन के पटल पर रख देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि कब तक सदन के पटल पर रख देंगे और आपने कहा कि विचाराधीन हैं । कृपया माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे दें ।

श्री दीनानाथ सेवक—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया अभी वे शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि कब रिपोर्ट आयी, कब पटल पर रखेंगे । उसके बारे में क्या विचार है ? कब तक होगी । इस काल में पूरा होगी की नहीं ? यह सब वह जानना चाहते हैं।

श्री दीनानाथ सेवक—

मान्यवर, २४ मार्च, १९७८ को रिपोर्ट प्राप्त हुई और अभी वह विचाराधीन है । शीघ् ही उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

अब वह नहीं देना चाहते तो क्या करें । अब ज्यादा प्रश्न न करें क्योंकि ५-७ लोगों ने नाम दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छेदी लाल साथी की जो रिपोर्ट हैं, उसकी संस्तुतियां क्या हैं और उनके बारे में शासन का क्या दृष्टिकोण हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, प्रमुख संस्तुतियां जो हैं उन पर औपचारिक चीजें अभी तय करनी हैं और उसके बाद ही ये मंत्री परिषद् के सामने आयेंगी तो उस पर विचार होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि श्री छेदी लाल साथी की रिपोर्ट की सिफारिशें क्या हैं ? कृपया इसके बारे में बतायें । माननीय त्रिपाठी जी, यह आप लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी हैं । यह तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हैं । अगर मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी मदद कीजिए ।

श्री केसरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सदन के अन्दर उत्तर तो आ गया कि श्री छेदी लाल साथी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही हैं अब किस तिथि को विचार होगा और कौन-कौन सी संस्तुतियां हैं, इसका परीक्षण हो रहा हैं । इस प्रकार की रिपोर्ट में प्रायः देखा जाता हैं कि बहुत सी संस्तुतियां ऐसी होती हैं जिनको पहले से बताना जनहित में नहीं होता हैं । जब हम परीक्षण कर लेंगे तो बता देंगे । आखिर में तो वह सदन की पटल पर रखा ही जायगा तब माननीय सदस्य उससे अवगत हो जायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर,संस्तुतियां क्या-क्या हैं, यह जानबूझकर नहीं बताया जा रहा हैं । मैं मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में दे दीजियेगा ।

श्री बाबू राम वर्मा—

मान्यवर, हम लोगों ने जो प्रश्न किया था उसमें यह स्पष्ट रूप से हैं कि संस्तुतियां क्या हैं । अभी तो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वे विचाराधीन हैं यह तो बाद की चीज हैं । उसी के साथ-साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि अति पिछड़े वर्ग आयोग ने अति पिछड़ी जातियों में कौन सी जातियां बतायी हैं और उनके बारे में क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक पहले प्रश्न का उत्तर हैं, श्री त्रिपाठी जी ने उत्तर दिया कि संस्तुतियां विचाराधीन हैं । जब तक सरकार उन पर विचार न कर ले तब तक उनकी गोपनीयता भंग नहीं हो सकती । दूसरा प्रश्न यह हैं कि छेदी लाल साथी कमेटी की रिपोर्ट में

श्री अध्यक्ष—

कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी कौन-कौन सी ऐसी जातियां हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सदन में व्यवस्था दी थी कि कौन विषय गोपनीय रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। अब यह उत्तर आया है कि संस्तुतियां गोपनीय हैं। तो आज आप व्यवस्था दें कि क्या किसी आयोग की संस्तुतियां गोपनीय रह सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह सरकार का अधिकार है कि गोपनीयता भंग न हो। (व्यवधान) . . . (श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं देता हूं। आप समय न नष्ट करें। आप बैठ जायं।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप सुन लेंगे तो कहेंगे कि सही है। बिना सुने इजाजत नहीं देते तब तो मैं कहूंगा कि मैं सही हूं। . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े रहने तथा बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें या सदन छोड़ें (व्यवधान) मैं आपको निष्कासित कर दूंगा। अगर आप इस तरह से व्यवधान डालेंगे अथवा चीतकार करेंगे तो सदन के बाहर जाइये।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री श्यामधर मिश्र सदन छोड़ें।

(श्री श्यामधर मिश्र सदन छोड़कर चले गये।)

श्री देव बहादुर सिंह—

मुझे मान्यवर, निवेदन करना है .....

श्री अध्यक्ष—

आप भी सदन छोड़ें। मार्शल इनको बाहर निकालें।

(श्री देव बहादुर सिंह के बैठने और श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा के खड़े होने पर)

श्री कालरा आप बैठ जाइये या बाहर जाइये ।

(श्री कालरा बैठ गये ।)

श्रीमती चन्द्रावती—

सन् ७५ में विधान सभा के सदस्य श्री छेदी लाल साथी सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग कमीशन गठित किया गया था । उसमें यह था कि कौन-कौन से वर्ग शैक्षिक तथा सामाजिक स्तर से नीचे हैं और किस तरह से उनका स्तर ऊंचा किया जाय । दूसरे यह पता लगाना था कि कितनी जनसंख्या में कौन वर्ग हैं ? तीसरे यह कि शिक्षा के प्रचार के लिए क्या कदम उठाया जाय और उनको क्या सुविधा इसके लिए दी जाय और अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिये शासन की तरफ से क्या कदम उठाये जायं ? इसके लिये शासन की ओर से यह कमीशन बैठाया गया था ।

श्री अध्यक्ष—

छेदी लाल साथी ने अपनी रिपोर्ट में कौन-कौन सी पिछड़ी जातियों का जिक्र किया हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह संस्तुति अभी जानकारी में नहीं हैं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जिन जातियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया हैं उसकी सूची इस समय सदन के समक्ष नहीं हैं । वह सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायगी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

जवाब नहीं आ रहा हैं तो इसे स्थगित कर दिया जाय और कल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन की सम्पत्ति बन गयी हैं । उन्होंने कहा हैं कि इसे सदन की मेज पर रख देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं । व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते, प्रश्नों पर ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग कमीशन की संस्तुतियों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यह रिपोर्ट कब तक सदन की मेज पर वह रखने जा रही हैं और उस पर अब तक क्या विचार किया

गया ? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आ सका है इसलिए इसे आज स्थगित किया जाय ?

श्री मधुकर दिघे—

प्रश्न यह पूछा गया है कि सदन के पटल पर यह रिपोर्ट कब रखी जायगी । तो सदन के पटल पर जब यह रखी जायगी तभी उसकी संस्तुतियों की जानकारी होगी । जब संस्तुतियों की जानकारी आज दे दी जायगी तो सदन के पटल पर रखने की क्या जरूरत होगी ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कमीशन बनता है और वह अपनी संस्तुतियां देता है तो उन पर सरकार विचार करती है उसके बाद फिर वह सदन के पटल पर आती है । जो स्वीकार की जाती है उनके बारे में सरकार स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करती है और जो स्वीकार नहीं होती उनके बारे में सरकार बता देती है ।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

निवेदन यह है कि आपने प्रश्न तो स्थगित कर दिया बड़ा अच्छा किया लेकिन बकरी की मां कब तक खैर मनायेगी ।

श्री देवबहादुर सिंह—

यह हम लोगों का अधिकार है कि हम प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त कर सकें यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय नहीं ।

श्री देवबहादुर सिंह—

यह शिवजी की बारात कब तक चलेगी यह व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए आप इंतजार कीजिए ।

फैजाबाद जिले के विकास खण्ड अमानीगंज में बाढ़ से क्षति

*४—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खंड अमानीगंज, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के कितने गांव इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित थे और प्रभावित होने से ५० प्रतिशत तक के क्षतिग्रस्त गांवों की रिपोर्ट भी तहसील बीकापुर ने प्रेषित की थी जिसके कारण क्षतिग्रस्त गांवों को खाद, बीज आदि की सहायतार्थ सामग्री क्षेत्रीय बीज भंडारों पर पहुंच भी गयी थी ? किन्तु उसे वापस करा दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

गोरखपुर के विकास क्षेत्र निचलौल के ग्रामों में सीलिंग भूमि का आवंटन

*५—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीलिंग से निकली जमीन ग्राम भटरा धमउर, रंगीहया, लक्ष्मीपुर, सीतलापुर, ब्लाक निचलौल गोरखपुर के सैकड़ों हरिजन भूमिहीनों को पट्टा पर १९७२-७३ में दी गयी थी जिसमें हरिजनों ने गन्ना बोया था उस जमीन को सीलिंगदार अवैध तरीके से परगना मजिस्ट्रेट, फरेंदा से माह अक्तूबर, ७८ में अपने पक्ष में फैसला कराकर जमीन वापस लेने के साथ-साथ फसल कटवा रहा हैं जिससे हरिजन उत्पीड़ित हो रहा हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, १९७२ के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी के एकपक्षीय आदेश दिनांक १८-१२-७४ द्वारा खातेदार श्री भगवान दास की जोत से १९.२९ एकड़ सिंचित भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी एवं उक्त भूमि का नियमानुसार बन्दोबस्त भी किया गया था । उक्त आदेश के विरुद्ध खातेदार द्वारा दायर अपील पर अतिरिक्त जिला जज प्रथम, गोरखपुर ने नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक १८-१२-७४ को निरस्त करते हुए मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया हैं। इस प्रकार अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटी प्रभावित हो गये हैं ।

ग्राम शीतलापुर में कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हैं । ग्राम भटरा, धमउर, रंगीहया व लक्ष्मीपुर के आवंटीगण अपनी भूमि पर काबिज हैं और फसल बोये हैं। उनकी फसल सुरक्षित रखने की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा कर दी गयी हैं ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९७२ के अन्तर्गत १९.२९ एकड़ अतिरिक्त भूमि निकाली गई और फिर उसी तिथि को जिला जज के यहां से आदेश दिया गया कि यह प्रभावी नहीं होगा । जब १८-१२ को अतिरिक्त निकाली तो उसको कब बांटा गया और कब पट्टा दिया गया । सारे काम एक ही दिन हो गया । तो इस तरह से सदन को गुमराह करने के लिये सचिव लोग गलत उत्तर देते हैं ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जो मैंने उत्तर दिया हैं, ऐसा लगता हैं माननीय सदस्य ने उसे ध्यान से पढ़ा नहीं । उसमें लिखा हैं कि अतिरिक्त जिला जज, प्रथम गोरखपुर ने नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक १८-१२-७४ को निरस्त करते हुए मामले को प्रतिपोषित किया । मैंने कहा कि पहले अतिरिक्त भूमि घोषित हुई उसके विरुद्ध अपील दायर की उसमें वही आदेश १८-१२-७४ के निरस्त कर दिये गये । चूंकि फसल काश्तकारों ने बो दी थी इसलिए फसल कट सकें इसके प्रबन्ध कर दिये गये ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

जो उत्तर दिया गया उसके सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि जो पट्टा दिया गया वह १८-१२-७४ को दिया गया उसमें दो चार दिन पट्टे देने में लगे होंगे और फिर अपील होगी तो जिला जज ने कैसे उसी दिन खारिज कर दिए।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि १९.२९ एकड़ सिंचित भूमि अतिरिक्त घोषित हुई उसके पट्टे भी कर दिये गये लेकिन उसने अपील कर दी और जो अतिरिक्त भूमि घोषित करने के आदेश थे, उसको निरस्त कर दिया और यह निर्णय हो गया कि भूमि अतिरिक्त नहीं है। चूंकि उस भूमि पर फसल बो दी थी इसका प्रबन्ध कर दिया गया है कि जो फसल बोई है वह काश्तकार काट लें। उसके बाद जो भी निर्णय प्राधिकारी का होगा वह किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो सीलिंग की व्यवस्था होती है, उसे सम्बन्धित परगनाधिकारी ही करते हैं, वही सीलिंग अधिकारी भी हुआ करते हैं, जो अतिरिक्त जिला जज ने नियत प्राधिकारी के आदेश को निरस्त किया उस निरस्त किये हुए मामले को प्रति प्रेषित कर दिया, तो मामले को प्रति प्रेषित किस एस० डी० एम० को किया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक पद हेतु साक्षात्कार

*६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निदेशक के पदों के लिये नियमित चयन हेतु १६-१२-७८ को कोई साक्षात्कार होने जा रहा है जिसमें पूर्व हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही बुलाया गया समाज कल्याण से सम्बन्धित सहायक निदेशकों को नहीं, जबकि दोनों विभागों का एकीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

हरिजन समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

जी हां, सहायक निदेशक के पदों के लिये नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग ने १६-१२-७८ को एक साक्षात्कार निश्चित किया था किन्तु दिनांक १५-१२-७८ को उनके टेलेक्स के आदेशानुसार साक्षात्कार हेतु चयन समिति की बैठक रद्द कर दी गयी।

उक्त साक्षात्कार के लिये पूर्व निर्णयानुसार हरिजन कल्याण विभाग के ही अधिकारियों को बुलाया गया था, समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित सहायक निदेशकों को नहीं, क्योंकि इन दोनों विभागों के विलीनीकरण के पूर्व ही आयोग को इस चयन के लिये अभियाचन भेजा गया था।

नोट—नियम २९(४) के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

निषाद और भर जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा दिये जाने की मांग

*७—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछली सरकार ने निषादों और भरों को भी अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सभी सुविधायें देने का निश्चय किया था ? क्या यह भी सच है कि श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में गठित "सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" ने अपनी रिपोर्ट में भी इसी प्रकार की संस्तुति की है ? यदि हां, तो पिछली सरकार द्वारा लिये गये निर्णय और "सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की मुख्य संस्तुतियों का पूरा विवरण क्या है और "सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" की रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर कब तक रक्खेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं, पिछली सरकार ने निषादों और भरों को अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधायें देने का निश्चय नहीं किया था। श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में गठित "सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" की रिपोर्ट एवं उसकी मुख्य संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देव प्रयाग के श्री रघुनाथ जी मन्दिर के सोने चांदी के आभूषण

*१—श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अति प्राचीन रघुनाथ मन्दिर, देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल के लाखों रुपए के सोने तथा चांदी के आभूषण जो मन्दिर प्रबन्ध समिति के अधीन थे वे अब भी इस समिति के अधीन हैं ? यदि नहीं, तो किसके अधीन हैं और किस अधिकार से हैं और किसने उन्हें दिए हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

देव प्रयाग स्थित श्री रघुनाथ जी के प्राचीन मन्दिर के सोने तथा चांदी के आभूषण टेम्पुल बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट टिहरी गढ़वाल के अधीन थे और अब भी उक्त बोर्ड के अधीन हैं। प्रश्न नहीं उठता।

अभिलेखागार, माल, चकबन्दी विभाग, फतेहपुर की मिसिल में की गयी जालसाजी

*२—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अभिलेखागार, माल (चकबन्दी विभाग) जनपद फतेहपुर में जालसाजी करके ग्राम मलवां की मिसिल मय फैसले को बदल दी गयी जिसकी शिकायत जिलाधिकारी को २९ अगस्त, १९७७ को तथा राजस्व मंत्री को ३ जुलाई, १९७८ को की गयी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या उक्त भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करके उक्त मिसिल को ठीक किया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अभिलेखागार माल (चकबन्दी विभाग), जनपद फतेहपुर के ग्राम मलवां की मिसिल मय फैसले के बदल दिये जाने से सम्बन्धित दिनांक २९ अगस्त, १९७७ तथा दिनांक ३ जुलाई, १९७९ का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी अथवा शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह, निवासी ग्राम मलवां, परगना कटियांग नीर, जिला फतेहपुर, का दिनांक ९ सितम्बर, १९७७ का एक शिकायती आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से शासन को अवश्य प्राप्त हुआ था। इस पर राजस्व परिषद् द्वारा स्थानीय जांच कराये जाने के पश्चात अब मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जा रही है।

बहराइच जिले के संग्रह अमीनों के स्थायीकरण की मांग

*३—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले की चारों तहसीलों में नियुक्त ८५ संग्रह अमीन सन १९६२ से अब तक अस्थायी तौर पर लगातार सेवारत हैं, परन्तु उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों और कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बहराइच जिले में वर्ष १९६२ तथा उसके पश्चात वर्ष १९७६ तक कुल ८५ संग्रह अमीन समय-समय पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे, जो अभी भी कार्यरत हैं। इन सभी अस्थायी अमीनों की कौटिक्रम सूची बनाकर तहसीलों को आपत्तियां प्राप्त करके उनके निस्तारण हेतु भेजा गया था। अभी तक कौटिक्रम सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। जैसे ही कौटिक्रम सूची अन्तिम रूप से तैयार हो जायगी अमीनों का स्थायीकरण कर दिया जायगा।

वाराणसी जिले के गांव भास्करपुर के श्री जोखन की भूमि की नीलामी और श्री भग्गू द्वारा जमा की गयी धनराशि

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भास्करपुर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में गांव सभा की जमीन में जोखन वगैरह की २६ बीघा १२ बिस्वा फसल ए० डी० एम० ई० वाराणसी के आदेश से नीलाम १०,२०० रु० में परगनाधीश व तहसीलदार चकिया ने १८ अक्तूबर, १९६७ को किया था और उक्त नीलाम को भग्गू पुत्र सीताराम गांव हरीपुर ने लेकर क्रमशः ट्रेजरी चालान नं० १२, २३ अक्टूबर, १९६७ व ट्रेजरी चालान

नं० २०, ३१ अक्तूबर, १९६७ के द्वारा २,५७५ व ७,७२५ रु० चैकिया, वाराणसी खजाने में जमा कर दिया और जोखन वगैरह ने उक्त नीलाम के खिलाफ सिविल जज, वाराणसी के यहां मुकदमा नं० १४४ सन् १९६७ दाखिल किया जिसमें १८ नवम्बर, १९६७ को सिविल जज ने नीलाम को रद्द किया और फसल जोखन वगैरह को दे दिया ? यदि हां तो भग्गू द्वारा जमा किया गया १०,३०० रु० उसे वापस अब तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या यह सत्य है कि रुपया वापस लेने हेतु भग्गू ने सन १९६८ से लेकर अब तक जिलाधीश व ए० डी० एम० वाराणसी को दर्जनों प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[शुक्रवार, २९ दिसम्बर, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*१—श्री राम सजीवन—

[८-१२-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ द्वारा उत्तरित ।]

---

*२—श्री हुकुम चन्द्र तिवारी—

[८-१२-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ८० द्वारा उत्तरित ।]

कृषकों द्वारा बैंकों से ऋण लेने की सुविधा और भूमि का रजिस्ट्रेशन

*३—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के कास्तकारों को कृषि यंत्र कृषि उपकरण आदि की खरीद के लिये राष्ट्रीय कृत बैंकों व स्टेट बैंक की शाखाओं से १०,००० दस हजार रुपये से ऊपर ऋण धनराशि पर प्रदेश के कास्तकारों से भूमि की रजिस्ट्री व स्टाम्प फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की भूमि व्यवस्था को मजबूत व उन्नत बनाने हेतु क्या किसानों को ऐसी रजिस्ट्री फीस व स्टाम्प के अधिकार से सरकार मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

कृषकों द्वारा कृषि सम्बन्धी किसी क्रिया-कलाप के प्रयोजनार्थ किसी बैंक से १०,००० रुपये से अनधिक धनराशि उधार लेने या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने, या किसी पम्पिंग सेट या नलकूप स्थापित करने के प्रयोजनार्थ २०,००० रुपये से अनधिक धन-राशि उधार लेने या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु निष्पादित लेखपत्र स्टाम्प शुल्क से पूर्णतया मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त कृषकों को उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७२ के अन्तर्गत अपने लेखपत्रों को बिना रजिस्ट्रेशन फीस के बैंकों में ही पंजीकृत कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त और सुविधा देने का अब औचित्य नहीं है।

*४—श्री मंजूर अली खां तथा श्री छेदी लाल—

[५ वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा सबया में चिरैया कोट के ताल की चकबन्दी

*५—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के ग्राम सभा सबया में चिरैया कोट के पास का ताल चकबन्दी के अन्दर था और उसकी मालियत भी लगी हुई थी ? क्या चकबन्दी अधिकारी ने उसे अपने स्तर से चक बाहर कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त ताल की जमीन का रकबा १०० एकड़ का है और उसमें से बैनामा १३० एकड़ का हो गया है ? चकबन्दी अधिकारी ने कुछ काश्तकारों की इच्छा के विपरीत उनकी जमीन में से १८ प्रतिशत प्रति एकड़ की कटौती का आदेश किया है और मौके पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा सबया में चिरैया कोट के पास ताल की भूमि को चक निर्माण के समय चकबन्दी योग्य न पाये जाने के कारण चकबन्दी अधिकारी के आदेशानुसार चकबन्दी योजना से पृथक कर दिया गया था । उक्त ताल का क्षेत्रफल गत बन्दोबस्त के अभिलेखों के अनुसार १००.३० एकड़ है पर सब बटों का क्षेत्रफल आधार वर्ष की खतौनी में १३२-६८ एकड़ अंकित था । चकबन्दी अधिकारी ने अधिकांश काश्तकारों की सहमति से क्षेत्रफल ठीक करने के उद्देश्य से हर गाटे का १८ प्रतिशत क्षेत्रफल कम करने का आदेश अवश्य दिया था परन्तु ताल की भूमि को चकबन्दी योजना से पृथक कर दिये जाने के फलस्वरूप मौके पर किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

*६—श्री कौशल किशोर—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

*७—श्री श्रीनारायण—

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम सभा मुजहना बुजर्ग तप्पा कटरा, जिला गोरखपुर में चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुजहना बुजर्ग तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर में सार्वजनिक आबादी एवं खलिहान की भूमि छोड़ने के सम्बन्ध में चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा की गयी घोर अनियमितताओं के बारे में श्री हंसराज पत्रकार "बिस्मिल" पत्रिका ने दिनांक ९-१०-७८ को शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, इस सम्बन्ध में श्री हंसराज पत्रकार "विस्मिल" पत्रिका का दिनांक १ अक्तूबर, १९७८ का एक शिकायती आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर जिलाधिकारी से जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि उसमें उल्लिखित वाद के विषय में अपील सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि मामला न्यायिक है अतएव इस सम्बन्ध में अलग से प्रशासनिक जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण

*९—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बाढ़ क्षेत्र में राहत सामग्री को बाढ़ पीड़ितों में बांटने के लिये जो मात्रा निश्चित थी, वह हर क्षेत्रों के लिये एक सी नहीं थी ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ? क्या यह सत्य है कि तहसील बांसी और तहसील डुमरियागंज में सहायता को बांटने के लिये एक ही नियम होते हुए दोनों तहसीलों में बांटने की मात्रा अलग-अलग बांटी गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला बस्ती के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को राहत सामग्री के वितरण की मात्रा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक २२-७-७८ तथा २७-७-७८ द्वारा एक सी ही निश्चित की गई थी और जो निम्न प्रकार है :—

१—गेहूं ३½ किलो प्रति यूनिट प्रति सप्ताह।

२—नमक ½ किलो (जो बाद में दिनांक २७-७-७८ से एक किलो कर दिया गया था) प्रति परिवार प्रति सप्ताह।

३—मिट्टी का तेल ½ लीटर (जो बाद में दिनांक २७-७-७८ से एक लीटर कर दिया गया था) प्रति परिवार प्रति सप्ताह।

४—एक दियासलाई प्रति परिवार प्रति सप्ताह।

तहसीलदार डुमरियागंज व क्षेत्रीय विकास अधिकारी ने अपने विवेक से ५ सदस्यों तक के परिवार को अधिकतम १७½ किलो तथा उससे अधिक यूनिट के परिवारों को अधिकतम २० किलो गेहूं प्रति सप्ताह दिये जाने की सीमा निर्धारित करके गेहूं का वितरण कराया था परन्तु जिलाधिकारी ने दिनांक ११-८-७८ को लिखित आदेश जारी कर दिये थे कि गेहूं का वितरण उनके द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मात्रा के अनुसार ही किया जाय। गेहूं के अतिरिक्त अन्य सामानों का वितरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से निश्चित मात्रा में ही किया गया।

*१०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उन्नाव नगर के सुन्दर टाकीज के लाइसेन्स का नवीनीकरण

*११—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या संस्थागता वित्त मंत्री को यह जानकारी हैं कि उन्नाव नगर के एक मात्र छविगृह (सिनेमा) को जिलाधिकारी उन्नाव ने १६ जून, १९७८ से ११ अगस्त, १९७८ तक तथा २१ सितम्बर, ७८ से अब तक बन्द करा रखा हैं जिससे सरकार को लगभग एक लाख रुपये की राजस्व की क्षति हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में उनके कार्यालय द्वारा सिनेमा चालू कराये जाने सम्बन्धी कोई आदेश जिला अधिकारी को भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा सिनेमा बन्द कराये जाने का कारण क्या हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

उन्नाव स्थित 'सुन्दर' टाकीज का रख-रखाव संतोषजनक न होने के कारण सिनेमा लाईसेन्स का नवीकरण दिनांक १६ जून, १९७८ से ११ अगस्त, १९७८ तक तथा २१ सितम्बर, १९७८ से २८ अक्टूबर, १९७८ की अवधियों में नहीं किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः तीन माह का लाईसेन्स दिनांक २९ अक्टूबर, १९७८ से स्वीकृत कर दिया गया हैं, जिसकी अवधि २८ जनवरी, १९७९ को समाप्त होगी। शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिये गये थे क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट लाईसेन्स स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी हैं।

*१२—श्री रेवती शरण मौर्य—

[२रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लाटरी टिकट की छपाई दर

*१३—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य हैं कि १९-९-७५ को उद्योग तथा वित्त विभाग के संबंधित उपसचिव, संयुक्त सचिव तथा विशेष सचिव ने मुद्रण अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के साथ यह निर्णय लिया कि मैसर्स ओरिएंट लिथो प्रेस, शिवकाशी से रु० २३-५० प्रति हजार की दर से उत्तर प्रदेश लाटरी की टिकटें छपायी जायें जिसमें कागज की कीमत तथा परिवहन का व्यय भी सम्मिलित हैं जबकि इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश शासन की निर्धारित अधिकतम दर (शेड्यूल्ड रेट्स) के अनुसार केवल १० रु० प्रति हजार होनी चाहिये ? यदि हां, तो उपर्युक्त निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां। यह सही नहीं हैं कि राजकीय लाटरी टिकटों के राजकीय मुद्रणालय से मुद्रण की अधिकतम दर (शेडयूल्ड रेट) कागज की कीमत सहित, १० रु० प्रति हजार हैं।

*१४—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

मैसर्स सारू स्मैल्टिंग प्राइवेट, लि० मेरठ पर बकाया बिक्री-कर

*१५—श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या संस्थागत मंत्री कृपया बतायेंगे कि सारू स्मैल्टिंग वर्क्स, मेरठ पर ३१-३-७८ तक कितनी धनराशि बिक्री-कर की बकाया है तथा उसकी वसूली के लिये उपरोक्त फर्म के विरुद्ध क्या कोई रिकवरी सर्टीफिकेट, कुड़की तथा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया ? यदि हां, तो कब-कब तथा उसके क्या परिणाम निकले ? सरकार इस बकाया को वसूल करने के लिये इस समय क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मे० स्मैल्टिंग प्रा० लि०, मेरठ परर दिनांक ३१ मार्च, १९७८ तक ३३, ७६, ७७८.५३ रुपये बिक्री कर की धनराशि बकाया थी जिसकी वसूलयाबी के लिए दिनांक ३० मई, ७७ तथा १५ दिसम्बर, ७७ को वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे । कुर्की तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) विक्रीकर मेरठ तथा उपायुक्त (अपील), कानपुर द्वारा वसूली की कार्यवाही पुनरीक्षण/अपील के निर्णय तक के लिए स्थगित कर दी गई थी ।

अपीलों की शीघ्र सुनवाई के संबंध में राज्य प्रतिनिधि के माध्यम से माननीय न्यायाधीश (पुनरीक्षण) को दिनांक ८ जून, ७८ तथा उपायुक्त (अपील) कानपुर को दिनांक ५ जून, ७८ को प्रार्थना पत्र भेज दिये गये हैं ।

*१६—श्री जसवीर सिंह—

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*१७—श्री नंतराम सिंह—

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

गांव सभा केशवपुर, जिला बहराइच में तालाब का पट्टा एवं कथित शिकायती-पत्र

*१८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि श्री राम नरेश पाण्डेय आदि सौ असामियों, निवासी केशोपुर, परगना इकौना, तहसील भिनगा, जिला बहराइच ने प्रधान द्वारा गलत तालाब का पट्टा बना देने के संबंध में शिकायती प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री डाक द्वारा नवम्बर १९७८ में राजस्व मंत्री महोदय को भेजा और प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिले के ग्राम बादेखेड़ा की सीलिंग की भूमि

*१९—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भैंटगांव के अंतर्गत ग्राम बादेखेड़ा, ब्लाक सरोजनीनगर, तहसील व जिला लखनऊ में सीलिंग की भूमि छोड़ी गई है ? यदि हां, तो क्या इसके आवंटन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? क्या राजस्व मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त सीलिंग भूमि के आवंटन के प्रस्ताव के संबंध में शिकायतें शासन तथा संबंधित अधिकारियों को मई, १९७८ से लेकर समय-समय पर दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च अधिकारी को मौके पर भेज कर भूमिहीन लोगों को सीलिंग की भूमि दिलवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम बादेखेड़ा, तहसील सदर में सीलिंग की १० बीघा, ५ बिस्वा, १४ बिसवांसी भूमि उपलब्ध हुई है। इस भूमि को १२ भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। प्रस्तावित आवंटन के विरुद्ध सर्वश्री राम खेलावन आदि व राम लखन सिंह चौहान आदि व मेवालाल आदि की शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई थी, कोई शिकायत शासन में नहीं प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जांचोपरान्त उक्त भूमि का नियमानुसार भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन कर दिया जायेगा। किसी अधिकारी को मौके पर भेजने की आवश्यकता इस समय नहीं है।

भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दुराचरण का आरोप

*२०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत महाविद्यालय (भातखंडे संगीत महाविद्यालय, लखनऊ) में किसी नये प्रधानाचार्य की नियुक्ति नवम्बर, १९७८ में की गई ? यदि हां तो क्या यह सही है कि नव नियुक्त प्रधानाचार्य पर अयोग्यता एवं दुराचरण के आरोप भी हैं ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं। भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ में तदर्थ अस्थायी रूप से नये प्रधानाचार्य की नियुक्ति २३ अक्तूबर, १९७८ अपरान्ह से की गई थी।

नये प्रधानाचार्य के विरुद्ध दुराचरण के अप्रमाणिक आरोप शासन को प्राप्त हुये थे। अतः उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नव नियुक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध अयोग्यता का कोई आरोप शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

कस्बा टूंडला, जिला आगरा में सिनेमा गृह के निर्माण का प्रस्ताव

*२१—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा टूंडला, जिला आगरा में नये स्थाई सिनेमा गृह निर्माण के विरोध में टूंडला की जनता की ओर से प्रस्तावित

सिनेमा स्थल के निकट एक राजकीय कन्या इंटर कालेज स्थित होने के कारण इसे परमीशन न देने के लिये एक ज्ञापन मुख्य मंत्री को दिनांक २५ सितम्बर, ७८ को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या निर्णय किया है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जी हां । चूंकि श्री जयरामदास के टूंडला स्थित प्रस्तावित स्थल पर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, १९५१ के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन होना नहीं पाया गया, इसलिये शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिये गये कि सिनेमा गृह निर्माण को अनुमति देने के संबंध में वे अपने विवेकानुसार निर्णय लें ।

*२२—श्री गुलाब सेहरा—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बतायेंगे कि टूंडला में उपरोक्त स्थल पर स्थायी सिनेमा गृह बनाने की अनुमति के लिये भी जयरामदास ने पहले सन् १९६७ में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था और आगे १९७३ में शासन ने उसे अस्वीकृत कर दिया था ? यदि हां, तो अस्वीकृति के आधार क्या थे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जी हां । वर्ष १९७३ में प्रशासनिक दृष्टि से सिनेमा गृह निर्माण की अनुमति न देने का मुख्य कारण यह था कि मुख्य मार्ग से जो रास्ता प्रस्तावित सिनेमा स्थल को जाता था, वह अतिक्रमण के कारण बहुत तंग था ।

गांव सभा खेसरारी,जिला गोरखपुर में चकबन्दी एवं चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२३—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की गांव सभा खेसरारी टोला दिवियापुर में गाटा नम्बर ४१११/३ (७७ डिसमिल) जमीन गांव सभा की जमीन जो थी, उस जमीन को वर्ग ९ के आधार पर जगदेव पुत्र तुलसी के नाम सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अनियमित ढंग से करके खतौनी का इंतखाब जारी कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा १९७७-७८ में उक्त गाटा संख्या की जमीन तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करने पर जगदेव पुत्र तुलसी, ग्राम खेसरारी का नाम पत्रावली से काट कर उक्त गाटा संख्या की जमीन ग्राम समाज को सौंप दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गोरखपुर जिले की तहसील महराजगंज के गांव खेसरारी का गाटा संख्या ४१११/३ क्षेत्रफल ७७ डिसमिल आधार वर्ष की खतौनी में जगदेव के नाम वर्ग-९ में अंकित नहीं था, बल्कि मतरुफ था । चकबन्दी पड़ताल के दौरान इस गाटे पर जगदेव का कब्जा बताया गया

था, पर सहायक चकबन्दी अधिकारी ने उसे नहीं माना और १२ मई, १९७६ के अपने आदेश द्वारा इस भूमि को वर्ग ५ में नवीन पर्ती के रूप में अंकित कर दिया। इस संबंध में जगदेव की आपत्ति भी २१ सितम्बर, १९७७ को खारिज कर दी गई। आधार वर्ष की खतौनी में जगदेव पुत्र तुलसी का नाम बतौर सीरदार दर्ज करने का आदेश दर्ज किया गया था, जो बाद में काट दिया गया है और भूमि को वर्ग ५ में ही दर्ज दिखाया गया है।

इस क्षेत्र की चकबन्दी की अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता ने मौखिक शिकायत की थी जिस की जांच के बाद सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। भूमि को गांव सभा में निहित भूमि मानकर उसे गांव सभा को सौंप दिया गया है।

*२४—श्री श्रीनारायण—

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, उरई के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*२५—श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

क्या हरिजन सहायक मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र ७७ के प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के अनुपालन में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय उरई में सेवारत समस्त लिपिकों का स्थानान्तरण किया गया था, लेकिन उनमें से कुछ को कार्यमुक्त ही नहीं किया गया है और माह अक्तूबर, ७८ में स्थानान्तरण आदेश स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों, और क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, उरई के सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया था और उनको कार्यमुक्त भी किया जा चुका है।

बांदा जिले के गांव कोरी खुर्द के श्री भइया दीन व श्री चुन्ना का चकबन्दी संबंधी प्रार्थना-पत्र

*२६—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की बबेरू तहसील के गांव कोरी खुर्द के भइयादीन व चुन्ना चमार (हरिजनों) ने २२ जुलाई, ७८ को उप निदेशक, चकबंदी, झांसी को बांदा कैम्प के समय एक प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी कि गांव प्रधान आदि असरदार व्यक्तियों द्वारा उनके पट्टे की अच्छी जमीनों पर अपने चक बनवाने के षड़यंत्र को रोका जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२७—श्री देव कुमार यादव—

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

कानपुर, बिल्हौर तहसील का जीर्ण-शीर्ण भवन

*२८—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी हैं कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत तहसील बिल्लौर का तहसील भवन इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं कि जिसके कभी भी गिर जाने से अप्रिय घटना घट सकती हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही हैं ? क्या यह सही हैं कि तहसील भवन के अलावा भी नया तहसील भवन बनाने के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो पुराने तहसील भवन की भयावह स्थिति को देखते हुए उपलब्ध भूमि पर नया तहसील भवन बनाने में सरकार को क्या आपत्ति हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत तहसील भवन पुराना हैं । इसकी विशेष मरम्मत करा दी गई हैं जिससे इसके गिरने की संभावना नहीं हैं और इसकी वर्तमान स्थिति अच्छी हो गई हैं ।

तहसील के लिए नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

बस्ती जिले की गांव सभा कटरियाधाबू के लेंवण ताल में खेती किये जाने की मांग

*२९—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी हैं कि बस्ती जिले के तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत लेंवणताल एक काफी बड़ा जलाशय हैं जो ग्राम समाज की सम्पत्ति के रूप में हैं और इसके किनारे के बीस गांवों की सिंचाई मुख्यतः इसी जलाशय पर निर्भर करती हैं तथा इस ताल से चालिस हजार रुपया के लगभग मछली के ठेके से ग्राम समाज को हर वर्ष आय होती हैं ? यदि हां, तो इस ताल में खेती करवाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, यह सही हैं कि बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील की गांव सभा कटरिया बाबू स्थित लेंवण ताल से उक्त गांव सभा को नियमित आय होती हैं परन्तु, उक्त ताल से आस पास के २० गांवों की सिंचाई होने के बारे में शासन को कोई जानकारी नहीं हैं । इस ताल में खेती कराने की कोई योजना इस समय शासन के विचाराधीन नहीं हैं ।

टिहरी गढ़वाल के कतिपय ग्रामों का भूस्खलन एवं पुनर्वासन की व्यवस्था

*३०—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में कितने ऐसे गांव हैं, जिनकी भूस्खलन से धंसने का खतरा पैदा हो गया हैं / उनके नाम क्या हैं और उनकी सुरक्षा के लिये सरकार क्या उपाय कर रही हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत जनपद में निम्नलिखित ४ गांव को भूस्खलन से धंसने का खतरा पैदा हो गया है—

(१) ग्राम कफना लगा सिरोला पट्टी भरदा

(२) ग्राम मल्डगांव पट्टी थाती कथड़

(३) ग्राम स्यौंन्स्यू पट्टी गुसाईं

(४) ग्राम इन्द्रोला पट्टी कोटी फँगुल

उक्त गांव के निवासियों को अस्थाई रूप से सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया है तथा उनके सुरक्षित स्थान पर स्थाई रूप से पुर्नवासन किये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

१—२—श्री दयाराम भास्कर—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

३—श्री राम सजीवन—

[८ दिसम्बर ७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ द्वारा उत्तरित]

बांदा जिले के ग्राम मदेंदूं के श्री गुलजारी लाल का भूमि पर कब्जा संबंधी शिकायती-पत्र

४—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गुलजारी पुत्र माहेश्वरी चमार, ग्राम मदेंदूं, तहसील कर्वी, जिला बांदा ने १२ अक्तूबर, ७७ को एस० डी० एम० कर्वी, जिलाधिकारी, बांदा, एस० पी०, बांदा और गृह मंत्री, भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि प्रार्थी के २६ जुलाई, ७७ को हुये पट्टे की जमीन नम्बर २६१६/१ रकबा ४ बीघा २ बिस्वा पर सरकश लोगों के रोकने के कारण कब्जा नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां ।

प्रार्थी को दूसरे ही दिन दिनांक १३ अक्तूबर, ७७ को मौके पर स्थल का सीमांकन कराकर आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया है ।

लखीमपुर के वकील, श्री रामेश्वर दयाल के बिलों का भुगतान

५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर के पैनेल वकील (माल) (श्री रामेश्वर दयाल) को उनके द्वारा सरकारी वकील के नाते माल विभाग के मुकदमे किये जाने के बिलों का भुगतान वर्ष ७५-७६, ७६-७७ तथा ७७-७८ का अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान में विलम्ब का कारण क्या है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा, सिसवा खुर्द के श्री यादवेन्द्र सिंह व श्री शिव कुमार सिंह का चक

६—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सबया अमडीहा, सिसवा खुर्द, चिरैयाकोट बाग के समीप की बन्जर, डीह, परात आदि की जमीन जिस पर फलदार पेड़ आदि मौजूद हैं उस जमीन को चकबन्दी विभाग ने बिना किसी प्रमाण के भूतपूर्व विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह तथा श्री शिव कुमार सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के नाम गलत ढंग से चक दी है जिससे सरकारी सम्पत्ति की क्षति हुई है ? यदि हां, तो चक देने का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं । ग्राम सभा सबया व सिसवा खुर्द (अमडीहा) में चिरैयाकोट बाग के समीप की ऐसी कोई बंजर डीह व परती आदि की जमीन जिस पर फलदार पेड़ आदि मौजूद हैं, भूतपूर्व विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह व उनके भाई श्री शिव कुमार सिंह तथा उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के चक में नहीं दी गई है । अतः सरकारी संपत्ति की क्षति का प्रश्न नहीं उठता ।

यथार्थ में सिसवा खुर्द उर्फ अमडीहा में गाटा संख्या ११७८/८-५१ डि०, १२६८/-०८ डि०, १२६९/-५९ डि० तथा १२७०/२/१-१० डि० की भूमि जो क्रमशः गड्ढा, नाली, पोखर, एवं भीटा के रूप में चकों के बीच में थी मालियत लगाकर ही सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह तथा शिव कुमार सिंह के चकों में प्रविष्ट की गई है । इसमें फलदार वृक्ष नहीं हैं ।

७—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा जिले के ग्राम कराही में भूमि का आवंटन

८—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा जनपद की तहसील किरावली के कराही ग्राम के लेखपाल ने ग्राम समाज कराही की सम्पूर्ण भूमि का आवंटन स्थिति में

अपनें ही परिवारी जनों के बीच करवा ली थी ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित ग्राम समाज की भूमि का फिर से आवंटन करने की सोचेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी, नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

९—१०—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बांदा जिले के ग्राम भंभई के श्री मंगल, श्री भूरा, श्री चुन्ना हरिजनों की भूमि का अधिग्रहण

११—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करबी तहसील के भंभई गांव में मंगल, भूरा, चुन्ना आदि कुल १४ हरिजनों को गाटा सं० ३५८ (कुल क्षेत्रफल ८२ बीघा १९ विस्वा) की ७० बीघा जमीन के सीरदारी के पट्टे १४ सितम्बर, ६४ को दिये गये थे जिसे शासन ने विज्ञप्ति दिनांक २६ फरवरी, ६६ द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुनर्ग्रहण के समय प्रश्नगत जमीनों के असली मालिक उक्त पट्टेदार हरिजन थे, गांव सभा नहीं ? क्या हरिजनों से जमीनें प्राप्त करने के लिये जिलाधिकारी की ओर से अधिग्रहण या पुनर्ग्रहण की कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो वन विभाग को उक्त जमीनें कैसे और क्यों दे दी ई ? क्या प्रश्नगत जमीनें हरिजन पट्टेदार को पुनः दिलाने की कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आदर्श शिक्षा समिति तातियागंज को ग्राम अमिलिया, कानपुर द्वारा दी गयी भूमि

१२—श्री राम सजीवन—

क्या यह सही है कि आदर्श शिक्षा समिति तातियागंज ग्राम महराजपुर, ब्लाक चौबेपुर, जिला कानपुर के मंत्री ने अवैध ढंग से पड़ोसी गांव समाज अमिलिहा की जमीन हथिया ली है और भूमिहीन हरिजनों को पट्टे पाने से वंचित कर दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत भूमि ग्राम अमिलिया की भूतपूर्व भूमि प्रबन्धक समिति ने अपने प्रस्ताव दिनांक ५ अप्रैल, ६७ के अनुसार आदर्श शिक्षा समिति को दी थी । चकबन्दी विभाग ने इस प्रस्ताव को मान्यता दी और उप संचालक चकबंदी ने २५ जनवरी, ६९ को शिक्षा समिति के पक्ष में निर्णय दिया और अब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री मक्खन लाल शर्मा, माँजा गंज ज्वालापुर, जिला सहारनपुर का लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१२—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी हैं कि श्री मक्खन लाल शर्मा पुत्र श्री राम कृष्ण शर्मा, निवासी मो० गंज ज्वालापुर, जिला सहारनपुर के एक प्रार्थना-पत्र ३-७-७८ को उप निदेशक चकबन्दी को लिखा था और उसकी प्रतियां ए० ओ० सी०, सहारनपुर, मुख्य मंत्री, चकबन्दी अधिकारी, रुड़की आदि को प्रेषित की थी जिसमें प्रार्थी ने अपनी भूमि को अनुचित लाभ लेकर दूसरे के नाम कर देने का लेखपाल पर आरोप लगाया हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों ने इस पर क्या कार्यवाही की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री मक्खन लाल शर्मा पुत्र श्री राम कृष्ण शर्मा, निवासी मो० गंज ज्वालापुर, जिला सहारनपुर का कथित शिकायती पत्र दिनांक ३ जुलाई, १९७८ तो प्राप्त नहीं हुआ परन्तु इसी सन्दर्भ में उनका एक अन्य शिकायती पत्र दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७ प्राप्त हुआ था। इसमें उल्लिखित लेखपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी और जांच में लेखपाल पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

बाराबंकी जिले में घाघरा नदी से कटाव

१४—श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी, तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव के कारण किन-किन गांवों के कितने-कितने मकान तथा कित्तनी-कितनी कृषि योग्य भूमि कट गयी हैं और कटाव से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सरकार क्या सुविधा उपलब्ध कराने जा रही हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में घाघरा नदी के कटाव के कारण [illegible] वर्ष ग्राम करमउल्लापुर में ५७ घर तथा ९० एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम कुसौंरा में २१ घर तथा ३८ एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम गोहन्डवा में ३ घर तथा ४ एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम बड़ागांव में २८ घर तथा ६० एकड कृषि योग्य भूमि, ग्राम इमिलिहा व गड़रयन पुरवा मजरे बल्लोरपुर में १२३ घर तथा १४० एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम कचनापुर में ८ घर तथा ३० एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम रेती उधया में २८ घर तथा २० एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम रेती सरसन्डा में २२ घर तथा २० एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम भिटौली में ४० एकड़ कृषि योग्य भूमि, ग्राम मथुरा में २० एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा ग्राम रौंकोलबा में २० एकड़ कृषि योग्य भूमि कट गई हैं। इस प्रकार उक्त १२ ग्रामों में कुल २९३ घर कट गये हैं तथा ४८६ एकड़ कृषि योग्य भूमि कट गयी हैं। उक्त

ग्रामों के कटाव से प्रभावित व्यक्तियों को पड़ोस के ऊंचे आबादी स्थलों पर उनकी सुविधा के अनुसार बसा दिया गया है। भूमिहीनों को अन्यत्र भूमि दिये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद जिले के ग्राम कुकुढ़ा के प्रधान द्वारा गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

१५—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के कुढ़ाग्राम जो तहसील हंडिया के अन्तर्गत है, के ग्राम प्रधान के द्वारा तालाबों पर फर्जी नाम दर्ज कराने, पटवाने की जो साजिश की जा रही है उसकी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने शिकायती पत्र ५ अप्रैल, १९७८ को भेजी थी, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां,जांच के उपरान्त यह पाया गया है कि ग्राम प्रधान ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत पारित किये गये आदेशों द्वारा एवं फर्जी तौर पर प्रार्थना पत्र में अंकित गाटों पर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपना अथवा अपने निकट सम्बन्धियों का नाम दर्ज करवा लिया है। गांव सभा की खोई हुई भूमि को वापस दिलाने हेतु कार्यवाही की जा रही है और ग्राम प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है।

इलाहाबाद जिले के ग्राम शंकरपुर की खतौनी में किया गया गलत इन्द्राज

१६—श्री अठई राम—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत घोर अनियमितता के कारण ग्राम शंकरपुर की खतौनी सन् १३४८ फ०, सन् १३५६ तथा सन् १३५९ फ० की दिनांक २-२-७० से सील कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितना तथा किस किस्म का जाल बट्टा पकड़ा गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह सही है कि ग्राम शंकरपुर की प्रश्न में उल्लिखित अवधि की खतौनियां, उसमें की गई अनियमितता के कारण सील कर दी गयी हैं।

वर्ष १३४८ फ० की खतौनी के खाता संख्या ३५४ के गाटा संख्या ५६४ मि० तथा खाता संख्या ३५९ के आराजी संख्या ८२७, ८२९ तथा ८३० के रकबे में परिवर्तन करने में तथा उस पर गलत इन्द्राज करने की अनियमितता पाई गई है।

सन् १३५६ फसली की खतौनी के खाता संख्या २९५ के गाटा संख्या २३० मि० व ४८१ मि० खाता संख्या ३९५-अ के गाटा संख्या ५६४ मि० तथा खाता संख्या ३९९ के गाटा संख्या ८२७, ८२९ तथा ८३० में वास्तविक रकबे में परिवर्तन करने तथा गलत इन्द्राज करने की अनियमितता पाई गई है।

सन् १३५९ फसली की खतौनी के खाता संख्या २९९ के गाटा संख्या २३० मि० व ४८१ मि०, खाता संख्या ४०० के गाटा संख्या ५६४/१ मि० तथा खाता संख्या ४०४ के गाटा संख्या ८२७ मि०, ८२९ मि० तथा ८३० मि० के वास्तविक रकबे में परिवर्तन करने तथा उस पर गलत इन्द्राज करने की अनियमितता पाई गई हैं ।

देवरिया जिले की गांव सभा पिंडी में मछली (शिकारमाही) का नीलाम

१७—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत ग्राम सभा पिंडी में मछली (शिकारामाही) का नीलाम ग्राम ५-९-७६ को किया था, जिसे निरस्त कर तहसीलदार सलेमपुर ने पुनः नीलाम कर दिया था जिससे ग्राम सभा की आय प्रायः समाप्त हो गई हैं और ग्राम सभा इस समय जर्जर हालत में हैं ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और ग्राम सभा की प्रगति हेतु कौन सी कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देवरिया जनपद के तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पिंडी में मछली (शिकारमाही) का नीलाम गांव सभा ने दिनांक ५-९-७६ को श्री जवाहर मल्लाह, निवासी पिंडी के पक्ष में मु० ४१२५ रु० में किया था, जिसे जांच के पश्चात् पायी गयी अनियमितताओं के कारण तत्कालीन तहसीलदार ने दिनांक २३-२-७७ को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि शासनादेशानुसार जब तक दस वर्षीय पट्टे की कार्यवाही न पूरी कर ली जाय तब तक शिकारमाही कोई व्यक्ति नहीं करेगा । उपरोक्त नीलाम के पश्चात् कोई नीलाम की कार्यवाही नहीं की गयी हैं । बल्कि शासनादेशानुसार दिनांक ३-३-७७ को दस वर्षीय पट्टे की कार्यवाही श्री छबीला पुत्र बाबू लाल सा० पिंडी के पक्ष में मु० ३०७६५.६७ रु० वार्षिक लगान पर की गयी हैं । अतः यह कहना सत्य नहीं हैं कि गांव सभा की आय समाप्त हो गयी हैं क्योंकि उपरोक्त पट्टे की वार्षिक धनराशि श्री राम पाल ग्राम प्रधान ने दिनांक १०-१-७८ को प्राप्त की हैं । पट्टा किये जाने के फलस्वरूप गांव सभा को कोई ऐसी क्षति नहीं हैं जिससे यह कहना सत्य माना जाय कि गांव सभा जर्जर की हालत में हैं और उसके प्रगति के सम्बन्ध में आय बढ़ाने की कार्यवाही की जाय ।

एटा जिले के ग्राम बीनपुर खुर्द के श्री मुंशी का आवंटित भूमि पर कब्जा

१८—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के ग्राम बीनपुर खुर्द, परगना अमापुर, तहसील कासगंज के निवासी देवी पुत्र तेजी व मुंशी पुत्र देवी जाटवों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ३०-५-७८ जिलाधिकारी एटा को इस शिकायत के साथ प्राप्त हुआ था कि उनको भूमिहीन होने के नाते आवंटित की गयी भूमि नम्बर २१९/०५० व १२४/१—० एकड़ बाकी ग्राम बीनपुर खुर्द उपरोक्त पर आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया हैं और वहां के सवर्ण जाति के लोग जबरन आवंटित भूमि पर कब्जा बनाये हुए हैं और हरिजनों को कब्जा नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

केवल मुन्शी पुत्र देवी, ग्राम बीनपुर खुर्द, परगना अमापुर, तहसील कासगंज जिला एटा का प्रार्थना-पत्र दिनांक ३०-५-७८ मिला। उनको आवंटित भूमि पर कब्जा स्वयं नायब तहसीलदार ने स्थल पर जाकर दिला दिया।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की अधीक्षिकाओं का साक्षात्कार

१९—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षिका पद (समाज कल्याण) हेतु दिनांक १६-१०-७८ को हुए साक्षात्कार में कितने प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं और इस चयन के पूर्व अधीक्षिकाओं के चयन की विभागीय नीति क्या रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

अधीक्षिका पद (समाज कल्याण) हेतु दिनांक १६-१०-७८ को हुए साक्षात्कार में विभागीय कर्मचारियों के लिये ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं। इससे पूर्व अधीक्षिकाओं के चयन में विभागीय कर्मचारियों के लिये पदों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी बल्कि तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती रही है।

२०—श्री देवराम—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

एटा जिले में काली नदी की बाढ़

२१—श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, ७८ में जनपद एटा में काली नदी में आई बाढ़ से परगना अमापुर व सरपुरा के कुल कितने गांव प्रभावित हुए तथा वहां पर कितनी-कितनी अहैतुक सहायता बांटी गयी तथा कुल कितने मकान बरबाद हो गये और ऐसे गृहविहीन व्यक्तियों के लिये पुनर्वास के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद एटा में माह सितम्बर, १९७८ में काली नदी की बाढ़ से परगना अमापुर व सिढ़पुरा के कुल २४ गांव प्रभावित हुए थे, जिनमें सहायता के पात्र लोगों को २,५०० रु० गृह निर्माण अनुदान के रूप में बांटा गया। इन ग्रामों में २५५ मकानों को आंशिक क्षति हुई, किन्तु कोई मकान पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ और कोई व्यक्ति गृहविहीन नहीं हुआ। अतः पुनर्वासन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

देवरिया जिले के गांव जिगना में अग्निकाण्ड

२२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक ५-४-७८ को प्रातः ८ बजे पडरौना तहसील के कसया थाना क्षेत्र में जिगना गांव में भीषण अग्निकाण्ड में गरीबों के डेढ़ सौ घर जल कर खाक हो गये ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला देवरिया की तहसील पडरौना के कसया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जिगना में दिनांक ५-४-७८ को ८ बजे नहीं वरन् ११ बजे दिन में अग्निकाण्ड की घटना हुई जिसमें १०५ परिवारों के मकान जल गये। अग्निकाण्ड से प्रभावित १०५ परिवारों में से पात्र परिवारों को नियमानुसार रु० ७,६०० की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में दी गयी तथा शेष दो परिवारों को, जो अहैतुक सहायता की पात्रता की परिधि में नहीं आते थे, तकावी देने हेतु निर्देशित किया गया।

२३—श्री राम सजीवन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

संग्रह तहबीलदारों के स्थायीकरण की मांग

२४—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संग्रह तहबीलदारों को जिनकी सेवायें २३-२४ साल की हैं और राज्य सरकार में कार्यरत हैं अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

संग्रह योजना में संग्रह तहबीलदारों की नियुक्ति कोषागारों में रुपये पैसे के लेन-देन में कोषाध्यक्ष के कर्मचारी की सहायता के लिये की गयी थी। जिला तथा तहसील मुख्यालयों पर स्टेट बैंक की शाखायें खुलने के साथ-साथ रुपये पैसे के लेन-देन का कार्य बैंकों को हस्तान्तरित हो जाता है और संग्रह तहबीलदारों की छटनी कर दी जाती है। छटनी किये गये तहबीलदारों को संग्रह योजना में खपाने के आदेश हैं। किन्तु प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर स्थित ऐसे उप कोषागारों में जहां करेन्सी चेस्ट हैं और बैंक शाखा होने के पश्चात् भी वहां रुपये पैसे के लेन देन का कार्य होता है, संग्रह तहबीलदार के पदों को स्थायी आधार पर बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुसार संग्रह तहबीलदार के १२ पद दिनांक १ अप्रैल, १९७८ से स्थायी कर दिये गये हैं। राजस्व परिषद् ने अपने आदेश दिनांक ८-११-७८ द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को ज्येष्ठता के आधार पर इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने के आदेश भी जारी कर दिये हैं।

देवरिया जिले में गंडक नदी की बाढ़ से विस्थापितों को पुनर्वासन योजना

२५—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से विस्थापित लोगों को पुनर्वास के लिये कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला देवरिया की तहसील पडरौना के ग्राम अमवा खास तथा पिपराघाट में बाढ़ के कारण विस्थापित परिवारों को उन्हीं ग्रामों में सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया गया है। तहसील हाटा के ग्राम शाहपुर एवं विन्ध्याचलपुर के विस्थापित लोगों को ग्राम नौंतार जंगल व लक्ष्मीपुर की ग्राम सभा की भूमि पर बसा दिया गया है। पुनर्वास की अन्य कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नही है।

२६--श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में बड़ी गंडक नदी की भीषण बाढ़ से इस वर्ष कितने गांव प्रभावित हुए, कितने नदी की धारा में विलीन हो गये ? और विस्थापित लोगों के लिये क्या राहत कार्य किया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला देवरिया की तहसील हाटा के ३८ ग्राम एवं तहसील पडरौना के २६ ग्राम बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से इस वर्ष प्रभावित हुए थे। नदी की धारा में कोई ग्राम विलीन होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। बड़ी गंडक की बाढ़ से तहसील हाटा के विस्थापितों में ७,००० रु० अहेतुक सहायता तथा ३४,४०० रु० गृह अनुदान के रूप में नकद वितरित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर उन्हें अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुयें भी वितरित की गयी। तहसील पडरौना में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों में अहेतुक सहायता के लिये प्रत्येक पात्र परिवार को १०० रु० गृह अनुदान के रूप में तथा ५० रु० अहेतुक सहायता के रूप में दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुयें भी आवश्यकतानुसार वितरित की गयी हैं।

२७—श्री विष्णु प्रताप सिंह तथा श्री त्रिवेनी सिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

मुस्लिम मेहतर, मोची व धोबी को अनुसूचित जाति की सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

२८—श्री मसूदुल हसन नोमानी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मुसलिम मेहतर व मुसलिम मोची व मुस्लिम धोबी जैसी जातियों की सामाजिक नाबराबरी तथा पिछड़ेपन को दूर करने हेतु अनुसूचित तथा हरिजनों जैसी सुविधायें प्रदान करने के लिये विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रदेश के मुस्लिम मेहतर, मुस्लिम धोबी तथा अन्य १९ जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है और उनके पिछड़ेपन को दूर करने तथा सामाजिक उन्नति के लिये अनुसूचित तथा हरिजनों जैसी शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के लिये

तय किया गया है। परन्तु मुस्लिम मोची उक्त सूची में सम्मिलित नहीं हैं। इसलिये उन्हें अनुसूचित तथा हरिजनों जैसी शैक्षिक सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

२९—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

फैजाबाद जिले में गांव सभा रानीपुर गिरन्ट की भूमि का अनियमित पट्टा

३०—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव सभा रानीपुर गिरन्ट, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में फर्जी पट्टों के दिये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का २३ जुलाई, ७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो मामले की पूरी जांच करके दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। प्रथम दृष्टया जांच में गांव सभा रानीपुर गिरन्ट तहसील अकबरपुर में कुछ अनियमित पट्टों का किया जाना प्रकाश में आया है जिसकी पूर्ण जांच होना आवश्यक है। ग्राम प्रधान की मृत्यु के कारण कागजात उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है अतः जांच पूर्ण नहीं हो सकी है।

फैजाबाद जिले के ग्राम पियारेपुर में भूमि का पट्टा

३१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पियारेपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में जमीन का पट्टा देने में की गयी धांधली के संबंध में श्री राम कलप वर्मा का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के २३ अगस्त, १९७८ के पत्र के साथ मिल गया है ? यदि हां, तो इसकी जांच करके दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं, श्री राम कलप वर्मा, ग्राम पियारेपुर, जिला फैजाबाद का एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के पत्र दिनांक २३ अगस्त १९७८ के साथ प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त गांव के एक व्यक्ति द्वारा चकरोड पर अनधिकृत कब्जे कि शिकायत की गयी थी। चकरोड को मौके पर नाप कर सुरक्षित कर दिया गया और आवेदक की परेशानी दूर हो गई है।

श्री विशम्भर नाथ शुक्ल, मलावां छजईपुर, प्रतापगढ़ का चकबन्दी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

३२—श्री बाबूलाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ जुलाई, १९७७ का रजिस्ट्री द्वारा विश्वम्भर नाथ शुक्ल पुत्र बातादीन शुक्ल मलांवा छजईपुर, परगना बिहार,

तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ का स्थानीय चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि मिला है, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

४ जुलाई, १९७७ का कोई शिकायती पत्र मुख्य मंत्री जी को नहीं प्राप्त हुआ पर श्री विशम्भर नाथ शुक्ल का एक शिकायती पत्र दिनांक ३ जून, १९७७ जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को २९ जून, १९७७ को प्राप्त हुआ था।

प्रार्थना-पत्र चक प्रदिष्टि से सम्बन्धित था और प्रार्थी द्वारा दायर की गई आपत्ति तथा अपील सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये जाने के कारण उसके प्रार्थना-पत्र के आधार पर चक में परिवर्तन सम्भव नहीं था।

३३—श्री श्रीनारायण—

[१५-१२-७८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२ द्वारा उत्तरित]

३४—श्री रामसजीवन—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

३५—श्री रामसजीवन—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

आगरा मंडल में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लेखपालों का चयन

३६—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बोर्ड आफ रेवेन्यू जी० ओ० नं० १५७०३/५३/४/२२४, दिनांक ७ सितम्बर, ७७ के आधार पर आगरा मंडल में लेखपालों के चयन में सामान्य, पिछड़ी तथा हरिजन जाती के कितने-कितने अभ्यर्थी चुने गये हैं और चुनाव का आधार क्या था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

आगरा मंडल में लेखपालों के चयन में १६२ पिछड़े वर्ग तथा ८१ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अभ्यर्थियों के चयन का आधार हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक था।

आई० टी० आई०, फर्रुखाबाद की हरिजन छात्रवृत्ति सम्बन्धी श्री कैलाश चन्द्र का पत्र

३७—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें कैलाशचन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सुमौर, डा० सरौतियां, जिला एटा का आवेदन पत्र नवम्बर के प्रथम सप्ताह में भेजा हुआ मिला है जिसमें आई० टी० आई० फर्रुखाबाद में हरिजन छात्रवृत्ति वर्ष १९७६-७७ तो दी गई किन्तु ७७-७८ में बन्द करने की शिकायत

हैं ? क्या उक्त आवेदन-पत्र पर जांच करवाई गई ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति १९७७-७८ में न देने का क्या कारण हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां ।

जी हां, ।

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद के कार्यालय से इस छात्र को वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ में कोई हरिजन छात्रवृत्ति दी ही नहीं गई ।

३८—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम लखनपुर व करीमनगर की भूमि का पट्टा और श्री वीर सहाय हरिजन का शिकायती-पत्र

३९—श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के तहसील कायमगंज के ग्राम लखनपुर के निवासी हरिजन वीर सहाय ने यह शिकायती आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री को ४-११-७८ को भेजा हैं कि ग्राम प्रधान ने १९७२ में २२.२८ एकड़ भूमि के अनुचित रूप से पट्टे किये गये थे जो १९७७ में खारिज हो गये हैं । उक्त भूमि पर मौके पर अभी तक पट्टेदार ही कब्जा किये हैं और उसका वितरण हरिजनों को नहीं किया गया हैं? इस शिकायत की जांच किसके द्वारा और कब करवाई गई ? क्या हरिजनों को पट्टे दिये गये ? यदि हां, तो कब ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस तहसील में ग्राम लखनपुर की १८.७२ एकड़ तथा ग्राम-करीमनगर की ३.५६ एकड़ कुल २२.२८ एकड़ भूमि का पट्टा नेशनल इण्टर कालेज, रायपुर के नाम प्रधान द्वारा किया गया था, जो अतिरिक्त जिलाधिकारी (सीलिंग) के आदेश दिनांक ३०-१२-७७ के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया था, और भूमि पर ग्राम समाज का कब्जा भी करा दिया गया था । श्री वीरसहाय हरिजन के शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच नायब तहसीलदार क्षेत्र कम्पिल ने दिनांक १९-१२-७८ को पूर्ण की, जिससे स्पष्ट हैं, कि अतिरिक्त जिलाधिकारी (सीलिंग) के पट्टा निरस्त करने के आदेश का रिवीजन नं० ४१/१९७७-७८ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं । नेशनल इण्टर कालेज, रायपुर को दिनांक १४-९-७८ को अवर न्यायालय के आदेश दिनांक ३०-११-७७ पर स्थगन आदेश दिया जा चुका हैं, इस कारण इस भूमि का आवंटन पुनः करना इस समय सम्भव नहीं हैं ।

बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी से कतिपय ग्रामों का कटाव

४०—श्री मसूदुल हसन नोमानी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव से कचनापुर बल्लीपुर, इमिलिहा, बड़ागांव व करसा के

बहुत से कृषकों की अपनी कृषि योग्य भूमि व घर कितनी-कितनी संख्या में कट गये हैं तथा कटाव से प्रभावित व्यक्तियों को जो भूमिहीन भी हो चुके हैं, सरकार इनके पुनर्वास हेतु कृषि तथा मकान बनाने हेतु भूमि देने के लिये विचार कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में घाघरा नदी की कटान से इस वर्ष ग्राम कचनापुर में २० एकड़ कृषि योग्य भूमि व घर, इमिलिहा तथा गड़रयन पुरवा मजरे बल्लीपुर में १४० एकड़ कृषि योग्य भूमि व १२३ घर तथा बड़ागांव में ६० एकड़ कृषि योग्य भूमि व २८ घर कट गये हैं। घाघरा की कटान से ग्राम बल्लीपुर व करसा कलाखास में कोई भी मकान नहीं गिरा है। प्रभावित व्यक्तियों को पड़ोस के ग्रामों में ऊंचे स्थानों पर बसा दिया गया है। जो व्यक्ति भूमिहीन हो गये हैं उन्हें भी अन्यत्र भूमि दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले के ग्राम थाना खास, तप्पा पुरैना की चकबन्दी

४१—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम थाना खास, तप्ता पुरैना, तहसील हरैया, जिला बस्ती में चकबन्दी कब चालू किया गया, कब समाप्त किया गया और चकों पर कब्जा किसानों को किस तारीख को दिया गया ? क्या यह सही है कि अभी २०९० मुकदमें थान्हे गांव के ए० सी० ओ०, सी० ओ० के अदालत में चल रहे हैं और फर्जी रिपोर्ट भेजी गयी कि चकों पर कब्जा दे दिया गया ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है और कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस ग्राम में चकबन्दी कियायें १ जुलाई, १९७१ को शुरू हुई थी परन्तु अभी समाप्त नहीं हुई है और न अभी चकों पर कब्जा परिवर्तन ही हुआ है। सहायक चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर अब कोई मुकदमा निस्तारण हेतु अवशेष नही है, केवल चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर १६५ वाद लम्बित हैं। वर्ष १९७४ की मासिक प्रगति सूचना में चकों पर कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो जाने की गलत सूचना भेजने के लिए श्री महमूद अली खां तत्कालीन अधिकारी, चकबन्दी उत्तरदायी थे जो दिनांक २ जनवरी, १९७५ को सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

४२—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[२रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम पगार की कथित सीलिंग की भूमि

४३—श्री श्रीनारायण—

क्या, राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के कानूनगो सर्किल रामकोला के ग्राम पगरलू में १९७४ में सीलिंग से कितनी भूमि प्राप्त हुई तथा किन-किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देवरिया जिले के कानूनगो सर्किल रामकोला के ग्राम पगार में वर्ष १९७४ में उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई। अतः उसके आबंटन का प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी जिले में भूमि आवंटन सम्बन्धी लम्बित मुकदमें

४४—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में भूमिहीनों को आवंटित की गयी कितनी भूमि पर ज० वि० अ० की धारा १९८ के अन्तर्गत जिलाधिकारी के यहां कार्यवाही चल रही है और उनका कब तक निपटारा हो जायेगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय को सम्मिलित करते हुये जिलाधिकारी मैनपुरी के न्यायालय में धारा १९८ जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत लगभग ६२४.३२ एकड़ भूमि से सम्बन्धित ४२१ मुकदमें चल रहे हैं जिनका निस्तारण सम्भव ६ माह के अन्दर हो जायगा।

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी

४५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों में इस समय कितने उच्च जाति के कितने पिछड़ी जाति के और कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इस समय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों में से ४२ उच्च जाति के, ४ पिछड़ी जाति के तथा १२ अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं।

४६—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बांदा जिले के गांव नकेहली व गाँहानी कलां में सीलिंग भूमि का आवंटन एवं शिकायती पत्र

४७—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत गांव नकेहली और गाँहानी कलां के चन्द्रशेखर व कैलाश आदि तेरह हरिजनों ने १६-७-७८ को एस० डी० एम० करवी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है कि उनके

गांव में सीलिंग की जमीनों के पट्टे देने में धांधली की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सीलिंग भूमि के आवंटन के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायती पत्र, दिनांक १६-७-१९७८ एस० डी० एम० कर्वी को प्राप्त हुआ था। उक्त ग्रामों में सीलिंग की भूमि के पट्टे देने में कोई धांधली नहीं की गई है।

भूमि प्रबंधक समिति गाँहानी कला ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रस्ताव दिनांक २८-९-७७ द्वारा १२ व्यक्तियों के नाम भूमि आवंटन का प्रस्ताव रखा था, परन्तु सम्बन्धित परगनाधिकारी ने जांच के उपरान्त केवल ९ व्यक्तियों को ही भूमि के पट्टे दिये, जो वरीयता क्रम में आते थे। जिन तीन व्यक्तियों को वरीयता क्रम में न आने के कारण पट्टे नहीं दिये गये उनमें सर्वश्री चन्द्रशेखर व कलसरा (कैलाश) शामिल हैं।

बांदा, इलाहाबाद व मिर्जापुर की कोल व मवैंया जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा दिये जाने की मांग

४८—श्री राम साजीवन—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बंदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिलों में कोल एवं मवैंया आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति अथवा वन जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें भारत सरकार की आर्थिक सहायता से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने और सम्बन्धित सभी सहायता दिलाने के लिए भारत सरकार से कभी कोई पत्र व्यवहार का प्रयास किया है और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिलों में कोल आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का मामला शासन के विचाराधीन है। जहां तक मवैंया जाति की बात है यह कोल जाति का ही अंग है इसलिये उसको अलग से अनुसूचित जनजाति घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता। कोल जाति वर्तमान में अनुसूचित जाति की सूची में है और सभी हरिजनों को मिलने वाली सुविधायें प्राप्त करने की पात्र है। अतः उन्हें भारत सरकार की सुविधाओं से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता। अनुसूचित जनजाति की सूची में उक्त जाती को सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है और भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है।

बांदा जिले के राजबहादुर बनाम बुद्धा देवी मुकदमें की पत्रावलियां के सम्बन्ध में पत्र

४९—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि निबंधक राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश अनुभाग १२ (न्याय), लखनऊ द्वारा ६ फरवरी, १९७८ को प्रश्नकर्त्ता के नाम एक पत्र मातहत

अदालतों को पत्रावलियां लौटाने के सम्बन्ध में भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी बांदा को भी भेजी गई है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी बांदा के कार्यालय में पत्रावली उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां । निबंधक, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-१३ (न्याय) द्वारा पत्र संख्या १३३२-३३(१)/१३ (न्याय), दिनांक ६ फरवरी, १९७८ जिसमें निगरानी संख्या ७१-७२ (एस० आर० ७२-७३) जिला बांदा राजबहादुर बनाम श्रीमती बुद्धा देवी आदि निर्णीत दिनांक २६-११-७३ की मातहत अदालत की पत्रावलियां परिषदादेश संख्या ७५९६/१३ (न्याय) दिनांक २८-६-७४ के अन्तर्गत जिलाधिकारी बांदा को वापस करना बताया गया है, प्रश्नकर्त्ता को भेजा गया है एवं उस पत्र की प्रति जिलाधिकारी बांदा को भी भेजी गयी है । छान-बीन करने पर जिलाधिकारी कार्यालय में उपरोक्त परिषदादेश दिनांक २८-६-७४ तथा पत्रावलियों का वापस आना नहीं पाया गया जिस पर डाक पाल बांदा से जांच करायी गई जिन्होंने सूचित किया कि रीजस्ट्री सम्बन्धी अभिलेख वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि नष्ट करने की अवधि के पश्चात् वे नष्ट कर दिये गये हैं । परिषद् को छानबीन एवं आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये जा रहे हैं ।

५०—श्री रामसजीवन—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में भूमि के पट्टे सम्बन्धी लिस्ट

५१—श्री ओंकारनाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक ३० मार्च, १९७८ को जिलाधिकारी, हमीरपुर को हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के पट्टों की लिस्ट प्राप्त करने से सम्बन्धित दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना अभी एकत्र नहीं हो सकी है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी हमीरपुर से कुछ बिन्दुओं पर मांगा गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

बहराइच जिले की गांव सभा बंचुआ विलास, कटकइयां व विशुनपुर लोहटी में भूमि का आगटन

५२—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि ग्राम सभा बंचुआ विलास, कटकइयां व विशुनपुर लोहटी, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला बहराइच में तीन सौ एकड़ से ऊपर गांव समाज की भूमि के एक सौ पचास सीरदारी पट्टे (भूमिहीनों) फरवरी, १९७६

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

में दिये गये परन्तु एस० डी० ओ०, भिनगा की स्वीकृति न होने से अभी तक उन्हें कब्जा व दखल नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृति न देने व कब्जा दखल न दिलाए जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी और कब तक पट्टेदारों को कब्जा दखल दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गांव सभा बेचुआ विलास, कटकइया, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला बहराइच में २६६.४८४ एकड़ भूमि है जिसका पट्टा कुछ बाहरी व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित है, जो इस गांव के निवासी नहीं हैं। इसकी जांच तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा करायी जा रही है। जांच अपूर्ण होने के कारण पट्टों को स्वीकृति परगनाधिकारी भिनगा द्वारा नहीं की गई है। जांच पूर्ण होते ही पट्टा व कब्जा दिलाये जाने हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी। जहां तक ग्राम विशुनपुर लोहटी का प्रश्न है ८१.७८८ एकड़ उपलब्ध भूमि का आवंटियों को कब्जा दिलाया जा चुका है।

बहराइच जिले की ग्राम सभा हेमपुर तराई में गांव सभा व सीलिंग की भूमि

५३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम हेमपुर तराई, परागना व तहसील भिनगा, जिला बहराइच में कुल कितनी भूमि ग्राम समाज व सीलिंग से निकली हुई है और ग्राम समाज व सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि का पट्टा (आवंटन) किन-किन भूमिहीनों के नाम कब-कब करके कब्जा दखल दिला दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम सभा हेमपुर-तराई परगना व तहसील भिनगा जिला बहराइच में कुल २१.७४० ग्राम सभा तथा १.७५१ एकड़ सीलिंग भूमि निकली है। प्रस्तावित पट्टेदारों का सत्यापन आवंटन पद्धति के अनुसार न होने के कारण पट्टे अभी स्वीकृत नहीं हो सके हैं अतः कब्जा और दखल देने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में बाढ़ एवं नाव दुर्घटना से मृतकों की संख्या

५४—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में वर्ष १९७८ की बाढ़ में कितने लोगों की मौत हुई थी तथा उनके परिवार वालों को कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद गोरखपुर में वर्ष १९७८ की बाढ़ से किसी की मृत्यु नहीं हुई बल्कि नाव दुर्घटना में १८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उक्त १८ मृतकों में से ४ मृतकों के २ परिवार थे तथा १ मृतक का कोई आश्रित नहीं था। इस प्रकार १८ मृतकों के १५ परिवारों को कुल रु० १५,००० प्रत्येक परिवार को १००० की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा रु० २५० रु० की अहैतुक सहायता दी गई है।

देवरिया जिले के बाढ़ ग्रस्त गांवों की सूची

५५—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के हाटा और पडरौना तहसीलों के कौन-कौन से गांव बाढ़ पीड़ित सूची में रखे गये हैं ? यह सूची किस आधार पर तैयार की गयी है ? क्या प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी से इसके त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद देवरिया की तहसील हाटा के १९१ गांव एवं तहसील पडरौना के ५४ गांव बाढ़ पीड़ित सूची में रखे गये हैं, ग्रामों की सूची संलग्न है। यह सूचियां स्थलीय जांच रिपोर्ट तथा बाढ़ से हुई क्षति के आकड़ों के आधार पर तैयार की गई हैं। प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी से इन सूचियों के त्रुटिपूर्ण होने की कोई भी लिखित शिकायत नहीं की गई है और न कोई ऐसी शिकायत ही प्राप्त हुई है। अतः इस प्रश्न पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ से हुयी क्षति और बाढ़ से क्षति को रोकने के लिये योजना

५६—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि १९७८ की बाढ़ से प्रदेश में लगभग कितने रुपये की क्षति का अनुमान है ? भविष्य में बाढ़ से ऐसी क्षति रोकने की दिशा में कौन से प्रमुख उपाय शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्ष १९७८ की बाढ़ से प्रदेश में लगभग ५९७ करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है। भविष्य में बाढ़ से क्षति रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा एक मिड टर्म प्लान बनाया गया है जिसमें २५२.५१ करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है यह प्लान अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

भूमिहीनों एवं हरिजनों को गांव समाज की भूमि का पट्टा एवं पट्टों को सीरदारी में परिवर्तन किये जाने की मांग

५७—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की कर्वी तहसील में सन् १९७६ व १९७७ में भूमिहीनों एवं हरिजनों के लिए गांव समाज की जमीनों के पट्टे देने का जो अभियान चलाया गया था उसमें शासन का आदेश था कि हरिजनों के असामी के सभी पट्टों को सीरदारी के पट्टों में परिवर्तित कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या उस शासनादेश का पालन पूर्ण रूप से किया गया था और असामी के सभी पट्टे सीरदारी में परिवर्तित कर दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६८३ पर)

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं । शासन के यह आदेश नहीं थे कि हरिजनों के असामी के सभी पट्टों को सीरदारी के पट्टों में परिवर्तित कर दिया जाय । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

प्रदेश में बकाया बिक्री-कर

५८—श्री देवबहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि २१ अगस्त, १९७८ तक कुल कितनी धनराशि का बकाया बिक्री-कर का था और इसमें से किन-किन लोगों पर पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि बाकी थी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

प्रदेश में दिनांक २१ अगस्त, १९७८ तक कुल ८५.६२ करोड़ रुपये की धनराशि बिक्री-कर की अवशेष थी । ९९२ व्यापारियों पर पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि बाकी थी ।

बांदा जिले के ग्राम कठहा मजरा गढ़चया के श्री गोकुल की भूमि का पट्टा

५९—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि गोकुल पुत्र बन्सी चमार (हरिजन) निवासी कठहा मजरा गढ़चया, तहसील, कर्वी, जिला बांदा के नाम २० जून, १९६९ को खंत नम्बर ४२१/२/२ रकबा छः बीघा व ४२०/२ रकबा दो बीघा छः बिस्वा व ४२५ रकबा तीन बीघा एक बिस्वा कुल रकबा ग्यारह बीघा सात बिस्वा का पट्टा सीरदार के रूप में गांव सभा गढ़चया द्वारा किया गया था और पट्टे की तस्दीक हलका कानूनगो ने कर दी थी ? जिसके इकरारनामा रजिस्टर का सीरियल नं० ४१७ हैं ? क्या यह सही हैं कि उक्त जमीनों के पट्टे किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित खेत नम्बरों का पट्टा श्री गोकुल पुत्र श्री बंसी चमार (हरिजन) निवासी कठहा मजरा गढ़चया तहसील कर्वी जिला बांदा के नाम होने तथा उसका अंकन इकरारनामा रजिस्टर में होने के तथ्य सही हैं, किन्तु परगनाधिकारी ने २० जून, ६९ के प्रस्ताव से प्राप्त १३ हस्तान्तरण रिपोर्टों में से ९ दाखिल खारिज अस्वीकार किया जिसमें श्री गोकुल का पट्टा भी था । गांव सभा भूमि आवंटन अभियान में गाटा संख्या-४२१/२/२ रकबा छैं बीघे का पट्टा नत्थू पुत्र गोकुल तथा गाटा संख्या ४२५ रकबा ३-१-० नर्वदा पुत्र लौटन के नाम कर दिया गया । शेष एक नम्बर ४२० का पट्टा किसी को नहीं किया गया ।

मुख्यमंत्री की राज्यपाल से भेंट तथा उनसे हुई वार्ता के संबंध में जानकारी की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, कल खाद्य मंत्री जी ने सदन में एक प्रस्ताव किया था, उस पर एक संशोधन स्वीकार किया गया और उसके बाद तुरन्त मुख्यमंत्री जी ने राज भवन में जाकर

राज्यपाल महोदय से भेंट की और उन्होंने इस बात की चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से लगभग आधा घंटे तक राजनैतिक वार्तालाप किया, तो उसके कारण अब सारे प्रदेश और विधान मंडल के सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के बीच आखिर किस प्रकार की राजनैतिक वार्ता होती रही। मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, हो सकता है वह खुद इस पर प्रकाश डालें, तो वह जनभावनाओं को आदर करते हुए निश्चित रूप से इस पर प्रकाश डालें।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, दो-तीन दिन से इस प्रकार की चर्चाएं अखबारों आदि में आ रही हैं और यह राज्यपाल महोदय से भी मिले हैं तो उसमें राजनैतिक बात हुई या प्रेमालाप भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये, यह प्रेमालाप ही हो सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कोई घबड़ाहट नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि प्रेम वार्ता थी या जलपान था या और कोई ....।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

साथ ही एक खबर और है कि चौधरी चरण सिंह जी अलग अपनी एक पार्टी बना रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल होने जा रहे हैं। वही इन्होंने राज्यपाल महोदय से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया जाए।

अल्प सूचित प्रश्न के रूप में मंत्रियों द्वारा उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप उसे सुन लीजिए .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे संज्ञान में इसे नहीं लाए हैं, आप बैठ जाइये, नियम पढ़ें। आप किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आप पहले मुख्यमंत्री जी को बोल लेने दीजिए, वह खड़े हुए थे।

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

तोमर जी मेरी जानकारी में आपका ऐसा कोई विषय नहीं है और आप खड़े हो गए । (व्यवधान)

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैंने आपके कक्ष में कल बात कही, और सचिव से कहा । मुझे प्रश्नों के बीच के अलावा कहने का कोई रास्ता नहीं है । मैं नियम २०१ को पढ़ दूं, उसके बाद अपनी बात कहना चाहता हूं । मुझे आप अपनी बात नहीं कहने देना चाहते हैं, क्या इसीलिए कि हम अधिक अनुशासित रहते हैं, क्या इसीलिए हमें दंडित किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष—

कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने ७ तारीख को एक अल्पसूचित प्रश्न किया था, जिसमें यह जानकारी चाही थी कि जो कौंसिल में नामजदगियां हुई हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं । उसको आपने स्वीकार कर लिया था और उस पर शासन से जो आपत्ति आई, उसको आपने स्वीकार नहीं किया । उसे स्वीकार करने के बाद जो नियम में प्राविधान है, आप उसको पढ़ने के साथ चाहेंगे । आप मेरी मदद करें । आज ७ तारीख के बाद २२ दिन हो चुके हैं । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में आज आखिरी दिन है, कल प्रश्नों का दिन नहीं । आपकी नियमावली के पृष्ठ १४ पर नियम २९ की उपधारा (४, में है "यदि सम्बद्ध मंत्री अल्पसूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये, जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिए उसकी बारी है ।" मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण के पृष्ठ ७ पर नियम २३ देख लें—"किसी अल्पसूचित प्रश्न को विधान सभा सचिवालय द्वारा सरकार को भेजने के बाद इंगित तिथि तक शासन के सम्बद्ध अनुभागों से कोई सूचना न प्राप्त होने पर दो दिन और प्रतीक्षा करने के बाद बिना किसी सूचना के विधान सभा की कार्यसूची में रखा जा सकेगा । आवश्यकता पड़ने पर सम्बद्ध मंत्री सदन में ही विलम्ब का कारण मौखिक रूप में बतायेंगे ।" पारलियामेंटरी प्रोसीज्यार बाई कौल एंड शकधर के पेज ४०५ को देख लें । इफ दि स्पीकर

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है हिन्दी में पढ़ें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहनवीर सिंह जी अंग्रेजी में आप न पढ़िए, उसका अनुवाद करें ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

यदि अध्यक्ष किसी प्रश्न को स्वीकार कर ले तो मिनिस्टर से पूछेंगे कि क्या वह इस स्थिति में हैं कि अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे सकें । यदि मंत्री उसका उत्तर देने से मना कर दे तो अध्यक्ष प्रश्न को स्वीकार करने के बाद उसको प्रथम प्रायारिटी के रूप में रखेंगे । यह आपके प्रक्रिया संबंधी कारण और नियमावली के अनुसार इस संबंध में आपने व्यक्तिगत रूप से निश्चय कर लिया हैं, आपने प्रश्न को स्वीकार कर लिया । स्वीकार करने के बाद शासन की आपत्ति को आपने अस्वीकार कर दिया । उसके बाद आपके कार्यालय द्वारा बार-बार निवेदन किया गया कि उत्तर दिया जाय, आज तक उत्तर नहीं दिया गया । माननीय, संविधान की धारा १७१ का उल्लंघन हैं संविधान के अनुसार सदन चलता हैं । जो नामजदगियां शासन ने की हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप इसकी मेरिट पर आ रहे हैं । आप का प्रश्न सीमित हैं शार्ट नोटिस क्वश्चन तक । उसकी मेरिट पर आप नहीं जा सकते ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

एक निवेदन हैं । सदन में सदस्यों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और आपको भी अधिकार प्राप्त हैं । मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम नियमों का उल्लंघन करें तो उसकी जगह हैं या मुख्य मन्त्री या मंत्री नियमों का उल्लंघन करें तो भी प्रक्रिया नियमावली में उसकी व्यवस्था हो । लेकिन इसी पीठ द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो किस जगह जा कर करेंगे ? जिस तरह से जुडिशयल प्रोसीडिंग में कोई भी जज अपनी कोर्ट में कन्टेम्ट कर सकता हैं क्या अध्यक्ष को इस सदन का कन्टेम्ट करने का खुद अधिकार हैं? अल्प सूचित तारांकित प्रश्न को स्वीकार करने का अधिकार आपका हैं । आपके स्वीकार करने के बाद कोई रास्ता नहीं हैं, १५ दिन का समय देने के बाद आप प्रायारिटी फिक्स करेंगे । अब इस अधिकार का प्रयोग इस पीठ द्वारा, आपके द्वारा नहीं होगा आपके द्वारा नियम भंग करने के लिये इस सदन के सदस्यों को कौन सा चारा हैं । इस पर व्यवस्था में चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका ध्यान नियम २९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें हैं कि (१) जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहे तो वह ऐसे प्रश्न की पूरे तीन दिन की सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे । सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ग्राह्यता पर उसकी प्राप्ति से २४ घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे ।

(२) अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर, अल्पसूचित प्रश्न के रूप में देने की स्थिति में हैं ।

[श्री अध्यक्ष]

(३) यदि मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिये सहमत हों तो यह तत्काल या तदुपरान्त इतने शीघ्र कार्य सूची में रख दिया जायगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें ।

(४) यदि सम्बद्ध मंत्री अल्पसूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निर्देश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है ।

मैंने आपका प्रश्न अल्पसूचित रूप में स्वीकार किया । उसके बाद मुख्य मंत्री जी को भेजा । मुख्य मंत्री जी ने कुछ संवैधानिक आपत्ति की । मैंने उसे उचित नहीं समझा । मैंने आपका प्रश्न अल्प सूचित रूप में स्वीकार करके भेजा । कल मुझको मुख्य मंत्री जी ने सूचित किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर अल्प सूचित प्रश्न के रूप में देने की स्थिति में नहीं हैं । अब नियम २९ के उप नियम (४) के अनुसार जब मुख्य मंत्रीजी का दिन आयेगा जो कि मंगलवार है उस दिन उत्तर देंगे । आपने शकधर जी की पुस्तक का हवाला दिया । पृष्ठ ४०९ पर शकधर और कॉल ने यह लिखा है, जिसका हिन्दी रूपान्तर मैं कर रहा हूं, "यदि अध्यक्ष किसी प्रश्न के महत्व को स्वीकार कर लें तो सम्बन्धित मंत्री से यह पूछा जायगा कि अल्प सूचना पर क्या वह इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं । यदि ऐसा है तो किस तारीख में और यदि मंत्री उसको स्वीकार न करें क्योंकि उस प्रश्न को स्वीकार करना या अस्वीकार करना मंत्री के हाथ में है, चाहे मंत्री उस का उत्तर देने के लिए तैयार ही क्यों न हो गया हो । यदि मंत्री अल्प सूचना स्वीकार करने से इन्कार कर दे और अध्यक्ष का यह मत हो कि उस प्रश्न का लोक महत्व इतना है कि उसका मौखिक उत्तर सभा में दिया जाना चाहिये तो, वह उस प्रश्न को सामान्य प्रश्न के रूप में स्वीकार करते समय तारांकित प्रश्नों की सूची में रख देंगे । मैंने इसको स्वीकार किया और अब यह तारांकित प्रश्न के रूप में जब मुख्य मंत्री जी का दिन आयेगा लिया जायगा ।

कांग्रेस (आई०) के सत्याग्रहियों को जेल में सुविधायें न दिये जाने पर आपत्ति श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं । २६ दिसम्बर को न्याय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि सत्याग्रहियों को जेलों में सारी सुविधायें दी जा रही हैं । लेकिन मेरे पास करीब दस जगह से टेलीग्राम आये हैं जिनमें कहा गया है कि सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । एक लाख सत्याग्रही जेलों में बंद हैं । इस बात की शिकायतें आयी हैं कि न तो सोने की सुविधा है और न ओढ़ने के लिए कम्बल दिये जा रहे हैं । बैरकों में रख-कर उनको खुले में रखा जा रहा है । दोपहर का खाना शाम को दिया जा रहा है . . . .।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

देहलवी जी आप बैठिये । यह अनुचित है । श्री गुलाब सेहरा को अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री गुलाब संहरा—

२६ तारीख को माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन सुविधायें नहीं मिल रही हैं । आप व्यवस्था करें या वक्तव्य दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष—

दहलवी जी आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ।

श्री मोती लाल दहलवी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर सत्याग्रहियों का विश्लेषण करना होगा । झांसी जेल में इन लोगों ने जिनको आप सत्याग्रही कह रहे हैं, ४२ कम्बल गायब कर दिये हैं, जब यह लोग छूटे हैं । २ दरियां गायब हैं उसका हिसाब इन लोगों ने नहीं दिया है । सत्याग्रहियों की परिभाषा करनी होगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, सबसे पहले तो यह तथ्य निराधार है कि ८० हजार या एक लाख लोगों के लगभग बन्द किए गये हैं ।

श्री गुलाब संहरा—

कितने प्रर्दशनकारी हैं यही बतावें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुझे सूचना प्राप्त है कि लगभग १८-१९ हजार लोग बन्दी हैं । दूसरी चीज जैसा कि मैंने माननीय सदन को आश्वासन दिया था उस समय व्यवस्था ठीक थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले ही मैंने सभी जेलों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि अगर जगह जेल में न हो तो टेन्ट मंगा लिये जायें, कम्बल न हों तो वह किराये पर ले लिये जायें । हजारों नये कम्बल खरीदे गये हैं । जहां पर गांधी आश्रम में कम्बल उपलब्ध नहीं हुये हैं वहां पर किराये पर लिये गये हैं । व्यवस्था के बारे में जो कहा जा रहा है वह शासन को बदनाम करने की नियत से कहा जा रहा है । उन लोगों का यह एक राजनैतिक वक्तव्य है । एक-एक बन्दी १०-१० कप तक चाय पी जाता है जिससे कि दूसरों को नहीं मिल पाती है ।

श्री गुलाब संहरा—

चाय की सुविधा है ही नहीं । यह बिलकुल असत्य कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । उनकी बात को समाप्त हो जाने दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस बात को मैं आज पुनः दुहराना चाहता हूं कि जो व्यवस्था जेलों में है ठीक है। मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं कि कहीं पर भी किसी अधिकारी ने या किसी मैजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज नहीं कराया है। इनका व्यवहार साधारण कैदियों से ठीक नहीं रहता है। जेल के अधिकारियों का कहना है कि आज तक इतने सत्याग्रही आते थे इस प्रकार के उग्र सत्याग्रही कभी नहीं आये।

लेकिन अनेक जगह सत्याग्रहियों ने दरवाजे तोड़ने, मेज कुर्सियों को जलाने की कोशिश की है। जेलों में जो फूल पौधे उगाये गये थे उन्होंने उनको तोड़ा और वहां पर जो शाक सब्जी उगी हुई थी उसको उखाड़ कर फेंका। जेलों के सुन्दरीकरण को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे बिल्कुल ही राजनीतिक हैं। वहां पर सारी सुविधायें दी गयी हैं। हो यह रहा है कि जहां पर जिन व्यक्तियों को २-२ कम्बल दिये जाते हैं वे ६-६ ले लेते हैं। मान्यवर, इनमें आपसी विद्रोह है। लेकिन इनमें जो अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, गांधी जी के अहिन्सात्मक तरीकों में विश्वास करते हैं, वे सब शांति से रहते हैं लेकिन जो अराजक तत्व हैं, किराये पर ले जाये गये जेलों में गये हैं, वे यह सब कर रहे हैं। जिन लोगों में अनुशासन नहीं है, वे जेलों में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलों के बंदियों के साथ उनकी मारपीट होती है इसीलिए सारी अव्यवस्था वहीं है। जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है ये उनमें जानबूझकर विघ्न पैदा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आपने ओझा जी को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री बना दिया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

एक बात और मैं निवेदन कर दूं कि जहां भी बंदियों के साथ मारपीट की घटनायें हुयी हैं, उन सब की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने केवल आपके संज्ञान में यह लाया कि १० जिलों से मेरे पास टेलीग्राम आये हैं और मंत्री जी ने बजाय इसके कि सुविधाओं की घोषणा करते, आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला लगा दिया और कह दिया कि जेलों में अराजकत्व गये हुये हैं।

(व्यवधान)

मंत्री की हैसियत से इतने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देना कहां तक उचित है? हमारा कहना केवल यह है कि कानून में प्रदत्त जो सुविधायें हैं, उनकी मांग प्रत्येक सत्याग्रही, प्रत्येक प्रदर्शनकारी कर सकता है। मंत्री जी की ओर से कहा गया कि जेलों में १०-१० चाय के प्याले पिए जाते हैं जबकि जेलों में चाय देने का कानून में कोई प्राविधान नहीं

हैं। या तो इनकी जानकारी में नहीं है कि नियम क्या हैं। अगर जेलों में सत्याग्रही १०-१० चाय के प्याले पीते हैं तो क्या आपके घर से चाय जा रही हैं। माननीय मंत्री जी को जिम्मेदारी और गम्भीरता के साथ यह कहना चाहिये था कि मैं इन १० जिलों के बारे में जहां-जहां से मुझे टैलीग्राम मिले हैं, जांच कराऊंगा और अगर वहां पर ये आवश्यक सुविधायें नहीं मिल रही हैं तो उन्हें मिलवाने का प्रबन्ध करूंगा। इनका आश्वासन न देकर कह दिया कि अराजक तत्व इनमें सम्मिलित हो गये हैं जो कि अव्यवस्था फैला रहे हैं। हमारी कांग्रेस संस्था के सत्याग्रह के आधार पर ही हमने आजादी ली लेकिन जनता पार्टी, जो कि क्रिमिनल्स को शामिल करके सत्ता में आयी, उनको अराजक तत्व ही दिखाई दे रहे हैं।

(व्यवधान)

२६ दिसम्बर, १९७८ को इसी विधान सभा में कहा गया कि अराजक तत्व मिल गये हैं मैंने इस संबंध में विशेषाधिकार की नोटिस दी हैं।

मेरा केवल यह कहना हैं कि माननीय न्याय मंत्री ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया हैं। यह तो कभी न्याय मंत्री बनते नहीं, वह तो अन्धे के हाथ बटेर लग गयी मान्यवर,

(व्यवधान)

तो हमें यह आश्वासन आप दिलायें कि जो आरोप लगाये गये हैं उनकी यह जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

गुलाब सेहरा जी, जो सूचनायें आपके पास टेलीग्राम से आयी हैं वे आप मेरे पास भेज दें, मैं उनके आधार पर शासन का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा और उस पर उनकी रिपोर्ट मंगाऊंगा कि क्या वस्तुस्थिति हैं। एक सदस्य के खड़े होने पर (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपने तो माननीय श्यामधर जी को निकलवा दिया था, वे यहां बैठे हैं, फिर आ गये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रस्तोगी जी का भी निष्कासन निरस्त कर दिया हैं और श्याम धर जी को भी निरस्त कर दिया हैं। रस्तोगी जी भी आ सकते हैं सदन में। (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। आपने श्री श्यामधर जी का निष्कासन निरस्त कर दिया, पर निरस्त करने के पहले से ही वे यहां बैठे हुये हैं, यह कैसे आ गये ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने तभी कह दिया था कि वे आ जायें। रस्तोगी जी के लिये भी कह दिया है कि वे आ सकते हैं।

अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने तथा कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा पढ़े गये पत्र सदन की सम्पत्ति माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं गुलाब सेहरा जी के प्रश्न पर नहीं, एक दूसरे प्रश्न पर कह रहा हूं। (व्यवधान) मैंने एक तो आपको लिखित दिया है, तथा दूसरा एक और व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। (व्यवधान) प्रश्नों के सम्बन्ध में उठा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मैं नियम २९९ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी रुकिये, मिश्र जी के बाद।

श्री श्यामधर मिश्र—

आज मान्यवर, यहां पर प्रश्नों के समय समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री दोनों ही उपस्थित थे। मेरा प्रश्न यह है कि दोनों यहां पर उपस्थित थे, संयुक्त मंत्रि मंडल में उनकी जिम्मेदारी है, यह मैं मान कर कहता हूं।

लेकिन जहां तक मैं समझता हूं अब इस पर आपकी रोशनी चाहिए कि उस जिम्मेदारी में, जहां तक मैंने समझा है, मुख्य मंत्री को बुलाने पर तो मुख्य मंत्री खड़े हो सकते हैं, उनका अनुपूरक कर सकते हैं, लेकिन कोई अन्य मंत्री तत्काल खड़ा हो सकता है, अगर कोई व्यक्तिगत बात को कहना हो, लेकिन आप जब तक दोनों मंत्री उपस्थित हों, जैसे दोनों समाज कल्याण मंत्री उपस्थित थे, तीसरे मंत्री को मुख्य मंत्री का स्थान आप नहीं दे सकते। आप इस संबंध में कहें कि या तो यह केवल अंतिम व्यवस्था थी या संयुक्त जिम्मेदारी में सदैव ऐसा करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस संबंध में मैंने लिखित दे दिया है कि यह प्रश्न मैं आज व्यवस्था के संबंध में उठाऊंगा। माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने कल कुछ बातें कही शांति व्यवस्था के संबंध में, कुछ बातें कही, राजेन्द्र जी द्वारा कृषि मंत्री जी के संबंध में कुछ पत्र पढ़ा गया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखने दे रहे हैं? भूतपूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान मंत्री जो हैं, उसके संबंध में कोई कागज नहीं रखने देते हैं। मेरी मांग है कि सभा पटल पर उसे लाने दें। श्रीमन्, मैं आपकी इसमें व्यवस्था चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष—

पहले व्यवस्था समाप्त होने दीजिए । इस पर मैं नहीं इजाजत दे रहा हूं । आप बैठ जाइये । तो यह प्रश्न होने पर जो मैंने कहा इस प्रकार की यहां की परिपाटी है, मैं कहना चाहता हूं, माननीय श्यामधर जी से, इस सदन के अन्दर मैं स्वयं संसदीय कार्य मंत्री, श्रम मंत्री, सिंचाई मंत्री भी रहा हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

जमाना बदल गया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् तब से आप बदल गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे अवसर पर जब कि मुख्य मंत्री नहीं होते थे मैं अपने साथियों की मदद कर सकता था । ठाकुर हुकुम सिंह जी थे वह कभी कदा ही सदन में नहीं होते थे, शायद ही कोई ऐसा दिन हो, यहां पर बहुत साथी मौजूद हैं जो जानते हैं जब वह बहुत से प्रश्नों पर उनका उत्तर दिया करते थे । यह संयुक्त जिम्मेदारी है अगर कोई समाज कल्याण मंत्री, मैं देखता हूं कि वह उठ ही नहीं रहे हैं, तो मेरा यह कर्तव्य है, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उनसे सहायता के लिए कहूं ।

श्री ऊदल—

जो मंत्री श्रीमन् नहीं उठ रहा है, तो आप इसको उचित ठहरा रहे हैं, औचित्य की बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी मंत्री की, उसके विभाग की है, आप उसको बेकार कर रहे हैं, वह नहीं उठ रहा है, तो इसको आप उचित समझ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए मैंने ध्यान आकर्षित किया ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर. . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी आप बैठ जाइये । मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बीच में खड़े हो रहे हैं । मैं यह कह रहा हूं, दूसरा प्रश्न उठाया कल यहां पर, जब उपाध्यक्ष जी पीठासीन थे, श्री राधेश्याम शर्मा अपना भाषण यहां दे रहे थे, उसमें एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहते थे, माननीय उपाध्यक्ष जी ने उनको निर्देश दिया कि वह पत्र का संक्षेप में हवाला दे सकते हैं और फिर उसी समय यह प्रश्न उठाया गया कि उस

[श्री अध्यक्ष]

पत्र को, जिसके संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया है, पटल पर रखा जाय। उपाध्यक्ष जी ने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी, मना कर दिया। अब श्यामधर जी ने लिख कर दिया है, तो उपाध्यक्ष की एक व्यवस्था को मैं बदलूं, इस संबंध में मुझे विचार करना होगा। उनका पत्र मेरे विचाराधीन है। तो इस वक्त मैं तुरन्त कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, बड़ा गंभीर आरोप है उस पर जांच होनी चाहिये।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय, अब जो डाकूमेंट प्रस्तुत कर दिया गया वह सदन की प्रापरिटी हो गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री गुलाब सेहरा—

इसलिये हमारा अधिकार है कि उस पर कार्यवाही कराई जाय, इन्कवायरी होनी चाहिये। कल को राधे श्याम जी और राजेन्द्र सिंह जी मिल जायं तब क्या होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये मैंने नेगी जी को बुलाया है।

गोपनीयता तथा जनहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति

*श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय, मेरा निवेदन है कि आज तारांकित प्रश्न संख्या ३ नत्थी (ख) के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक प्रश्न किया गया है कि माननीय छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में जो आयोग था उसकी संस्तुतियां क्या हैं। माननीय, समाज कल्याण के दोनों मंत्रियों ने उत्तर नहीं दिया। माननीय त्रिपाठी जी ने उत्तर दिया कि चूंकि अभी इनके ऊपर सरकार विचार कर रही है लिहाजा जनहित में नहीं है कि संस्तुतियां सदन को बतायी जायं। इसी प्रश्न को प्रश्न संख्या ७ पर दोहराया गया है। इसको आपने स्वीकार किया है तो माननीय, जनहित के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था कर लें कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जिसके ऊपर जनहित में दिया जाना चाहिये और कौन सा प्रश्न ऐसा है जो गोपनीय है। इसके बारे में कोई न कोई मापदंड रखें। माननीय छेदी लाल साथी की संस्तुतियों को ढाई हजार प्रतियां इन्हीं का मंत्रालय छाप चुका है और आज फिर वह कहते हैं कि जनहित में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हैं। वह संस्तुतियां क्या हैं बतायी जायं तो कृपा करके इस संबंध में कोई सुनिश्चित व्यवस्था देने की कृपा करें।

अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने तथा कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा पढ़े गये पत्र को सदन की सम्पत्ति माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये। मैं केवल एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या इसी पर कहना चाहते हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं केवल एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये मंत्री खड़े हों और किसी वजह से उत्तर संतोषजनक न दे सकें तो उसके बाद आप दूसरे मंत्री को उत्तर देने के लिये कहते हैं। अगर साथ साथ दो मंत्री खड़े हों। जैसे आज चन्द्रवती जी खड़ी हुईं और केशरी नाथ जी भी खड़े हुये। मैं चाहता हूं कि अगर कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी है तो पहले आप किस मंत्री को उत्तर देने के लिये कहेंगे। चन्द्रावती जी को या केशरीनाथ जी को ?

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न किया है, आप पहले इसका क्रम देखें। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि पिछड़ी हुयी जातियां कौन हैं जिनको माननीय छेदी लाल ने अपनी रिपोर्ट में रखा है। उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया बैठ गयीं तब मैंने केशरी नाथ जी से कहा तो उत्तर केशरी नाथ जी ने दिया।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि केशरी नाथ जी खड़े हुये और चंद्रावती जी भी खड़ीं हुयीं। अगर संबंधित मंत्री खड़ा हो और दूसरा मंत्री उत्तर देने के लिये खड़ा हो तो सदन किससे उत्तर की अपेक्षा करेगा संबंधित मंत्री से या कलेक्टिव रिसपांसबिलिटी वाले दूसरे मंत्री से ?

श्री अध्यक्ष—

कार्यभारी मंत्री अगर स्वयं बैठ जायं तो अन्य दे सकता है। अगर खड़े हों तो जिस मंत्री का वक्तव्य है, उसको।

श्री राज मंगल पांडेय—

तब ठीक है।

एक सदस्य—

मान्यवर मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नेगी ने प्रश्न उठाया है इसलिये उसका उत्तर देने दें और आप बैठ जांय । गोपनीयता तथा जनहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के संबंध में मैंने व्यवस्था की थी कि अब तक नियम २८ के उप नियम (१५) में लिखा है कि प्रश्नों में मंत्रि परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्सम गोपनीय विषय के बारे में नहीं पूंछा जा सकता है । प्रश्न यह उठा और पहले भी उठा था कि यदि अध्यक्ष किसी प्रश्न को स्वीकार कर ले तो मंत्रि परिषद् को गोपनीयता के आधार पर उत्तर न देने का अधिकार है तो उस दिन मैंने १९६० की व्यवस्था का जिक्र किया था लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि मंत्रि परिषद को चाहिये कि गोपनीय क्या है और किन प्रश्नों पर गोपनीयता का आधार लिया जा सकता है इस पर कुछ मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) हो । इस संबंध में यह भी कहा था कि मैं उच्च स्तरीय नेताओं की बैठक बुलाकर इस प्रश्न पर कुछ निर्णय करना चाहता हूं लेकिन जब तक अभी तक जो अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिये गये हैं उनके अनुसार यदि अध्यक्ष किसी प्रश्न को स्वीकार भी कर लें तो यह संबंधित मंत्री का अधिकार है कि वह कह सकते हैं कि 'लोक हित में उत्तर नहीं दे सकते या गोपनीय है ।' इस पर मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं कि वह उत्तर दें । इसलिये जब इस पर निर्णय हो जायेगा तब दूसरी व्यवस्था होगी ।

***श्री श्याम धर मिश्र के बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन में उपस्थित होने पर आपत्ति**

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्याम धर मिश्र जी के संबंध में जो आपने व्यवस्था दी उस पर किसी तरह की आपत्ति न करते हुये मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये आप मेरी बात सुन लें । नियम २९९ मान्यवर, आप देखें । उसमें लिखा है—

"अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तुरन्त बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाये वह तत्काल सभा-मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे ।"

मान्यवर, यह बात सही है कि किसी ने अपराध किया तो यह सदन सक्षम है उसको माफ करने के लिये । इसमें आगे लिखा है कि नियम २९९(४४ में कि "सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उप नियम (३) के अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दंड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय ।" तो मान्यवर, यह कार्यवाही हो सकती थी और तब श्री श्यामधर मिश्र यहां आते । आपको भी अधिकार है। सदन कोई प्रस्ताव न करे लेकिन आपके अधिकार में है उप नियम (३४ में देखें जिसमें लिखा है परन्तु अध्यक्ष किसी निलम्बित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिये आने की अनुमति दे सकेंगे । इसका मतलब आप इनकी प्रार्थना पर ऐसा कर सकते थे । तो न इन्होंने (श्री श्यामधर मिश्र) प्रार्थना किया और न इस सदन ने प्रस्ताव किया कि दंड वापस ले लिया जाय । आपने स्वयं विवेक से इनको अनुमति दे दिया । उसको मैं स्वीकार करता हूं । लेकिन जब निर्देश दिया तो मिश्र जी बाहर चले गये और फिर आपने स्वविवेक से उसको वापस ले लिया, लेकिन वापस लेने से पहले ही मिश्र जी यहां कैसे आ गये ? आप स्वविवेक से दंड वापस लेते और उसके बाद वह वापस आते तो ठीक था । लेकिन वह दिनभर के लिये निष्कासित थे और दंड वापस लेने से पहले यहां आ गये तो मिश्र जी की स्थिति एक अजनबी की तरह है । नियम २०७ में अजनबी के बारे में दिया गया है और मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपके अधिकार सर्वश्रेष्ठ हैं लेकिन ये अधिकार नियमावली के तहत हैं । इसलिए इन बातों पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र जी ने . . . .

(श्री देव बहादुर सिंह के बोलने पर)

आप बैठिये, आपका जवाब आवश्यक नहीं है । श्री राजेन्द्र जी ने यह कोशिश की कि किस तरीके से रूलिंग को गलत करने की चेष्टा करें । नियम २९९ के उप नियम (४) में लिखा है "सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उप-नियम (३) के अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दंड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय ।" उप नियम (३) में इंगित करने पर किसी सदस्य को लागू हो । मैंने श्री रस्तोगी या श्री श्याम धर को इंगित नहीं किया और न सदन का कोई प्रस्ताव हुआ । मैंने उप नियम (१४ के अनुसार उनको सदन छोड़ने के लिए कहा । उसके बाद मैंने कहा कि वह आ सकते हैं । उसके बाद जब मुझे सचिव ने बताया तो मैंने कहा कि श्री रस्तोगी भी आ सकते हैं क्योंकि व्यवस्था रखने का मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिशोध की भावना या किसी सदस्य के प्रति वैमनस्यता ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् आपकी व्यवस्था पर चुनौती दे रहे हैं ।

लिखित वक्तव्य की प्रतियां न मिलने पर आपत्ति ।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

लोक महत्व के विषय पर नियम ५१ के अंदर १५/१२/७८ को दिया । उसे स्वीकार कर लिया गया और माननीय गृह मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी से उस पर वक्तव्य देने के लिए कल की तारीख निर्धारित हुई थी यानी २८ तारीख को । जैसा कि नियम ५१ में वर्णित है कि संबंधित मंत्री अपने वक्तव्य को लिखित देंगे और सूचना देने वाले सदस्य को और अन्य माननीय सदस्यों को उसकी कापी वितरित भी होगी । लेकिन मान्यवर कल जब माननीय गृह मंत्री ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें दीं तो सभी सदस्यों को उन्होंने लिखित सूचना वितरित करायी, संबंधित सदस्य को भी वितरित की गयी लेकिन मेरी सूचना पर न तो लिखित वक्तव्य की कोई प्रति मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गयी और न वितरित की गयी । मैंने समझा था कि वक्तव्य वितरित कर दिया गया होगा क्योंकि उस समय मैं कुछ समय के लिए माननीय सदन से चला गया था । उन्होंने वक्तव्य दिया और उसके बाद आपसे अनुमति लेने पर मैंने कुछ आशंकाओं पर प्रश्न किये और गृह मंत्री जी ने जवाब दिये । अन्य माननीय सदस्यों ने भी सवाल किये और मंत्री जी ने जवाब दिये । मैंने सोचा कि पहले जवाब दे देंगे तब वक्तव्य की प्रति वितरित की जायगी लेकिन मुझे पता लगा कि यहां पर उस वक्तव्य की कोई भी प्रति वितरित नहीं की गई । यदि माननीय गृह मंत्री जी कल उस वक्तव्य की प्रति नहीं दे सके तो आज दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । कल नियम ५१ के अन्तर्गत यह प्रश्न आया था । माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया और माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण भी मांगे और पूरा अवसर आपको भी दिया गया । लिखित वक्तव्य मेरे पास भी मिला । अगर कोई आपत्ति थी तो कल कहना चाहिए था । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बीच में बोल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं तो इस प्रकार सदन का समय लेना अनुचित है । नियमों का कम से कम ज्ञान होना चाहिये । आपने कह दिया कि मुझे वक्तव्य नहीं मिला । आपने प्रश्न पूंछ लिये थे । अब अगर किसी को कापी नहीं मिली तो इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

गोपनीयता तथा जनहित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर अभी आपने व्यवस्था दी कि आप किसी मंत्री की गोपनीयता पर बाध्य नहीं कर सकते । मान्यवर यह ला और रूलिंग भी है कि वाह्य और आंतरिक सुरक्षा के संबंध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही गवर्नमेंट गोपनीयता की बात पर एसर्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाहे कोर्ट में, चाहे कहीं भी या सदन में भी उसको करेगा, तो उसके औचित्य को साबित करने की कोशिश करेगा और तब प्रश्न होगा कि आप उससे संतुष्ट हैं कि वह गोपनीयता की बात है कि नहीं और उस पर कोई भी मंत्री गोपनीयता क्लेम कर सकता है कि नहीं। लेकिन मान्यवर आपने जो व्यवस्था दी उससे मालूम होता है कि सदन में कोई भी मंत्री गोपनीयता की बात कहकर उत्तर देने से कतरा सकता है कि वह उत्तर नहीं देंगे। तो, मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह सरकार के मन्त्रियों पर छोड़ दिया जायेगा या आप उसको तय करेंगे कि यह गोपनीयता क्लेम करने की बात जो कह रहे हैं, वह उसकी सीमा में आता है कि नहीं। मेरी समझ में सिवाय आपके दूसरे को अधिकार नहीं है सिर्फ वाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मामले को छोड़कर। आप तय करेंगे कि संबंधित मंत्री को उत्तर देना चाहिये कि नहीं और अगर नहीं देता तो मैं आज भी इस राय का हूं कि आप उसको मजबूर कर सकते हैं कि वह उत्तर दे।

श्री अध्यक्ष—

पांडेय जी, आप परसों यहां मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि अब तक जो परिपाटी ह और पहले पीठ इससे हुई व्यवस्था में है उसको और सभी नेताओं को सुनेंगे परामर्श करेंगे। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरीक्षण भी करेंगे कि गोपनीयता क्या है, क्या नहीं है। मैंने यह भी कहा कि गोपनीयता का सरकार दुरुपयोग करती है तो विचार करेंगे कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय। तो यह प्रश्न विचाराधीन है। अब इसके बारे में मैं सरकार से और अन्य नेताओं से भी परामर्श करूंगा, मैंने सोचा है कि उनको भी सुन लिया जाय। आप भी अपना मत दे दें तो आपको भी सुन लूंगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि आपने जो व्यवस्था दी उससे मालूम हो रहा है कि आपने स्वतः अपने अधिकार को अपने पास न रखकर उनके पास दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं ऐसा नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

लेकिन, मान्यवर, आप इसके औचित्य के बारे में उनसे क्या सलाह करेंगे? गोपनीयता के बारे में कुछ नियम हैं। उन नियमों के अंदर किसी मंत्री की बात नहीं आती है तो इसकी जिम्मेदारी, मान्यवर, अपनी होगी कि संबंधित मंत्री का उत्तर गोपनीयता की परिधि में आता है कि नहीं, इसको तय करें। अगर आपने कहा कि गोपनीयता में नहीं आता तो क्या आप उनकी सलाह से मजबूर हैं? आपको, तो उस सीमा में अगर नहीं आता तो मजबूर करना है कि उत्तर दें और इसके बारे में तय करना आपका उत्तरदायित्व है और इसमें किसी की सलाह और कमेटी की राय लेने की बात मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया और कल की रूलिंग बतायी। मैंने कहा कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं और जो आपका सुझाव है, उस पर भी अमल करूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

इस तरह नहीं, आप बैठिये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। इस तरह से नहीं। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े रहने और कुछ पढ़ने पर)

आप बैठ जायं। मैंने श्री प्यारे लाल शाक्य को बुलाया है।

एटा जनपद के थाना सहावर के दरोगा श्री एस० आई० चतुर्वेदी द्वारा श्रीमती मिठौली देवी पत्नी श्री सकटू के घर में लूट तथा उनकी लड़की के साथ बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री प्यारे लाल शाक्य (जिला एटा)—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद एटा तहसील कासगंज थाना सहावर में कस्बा मोहनपुर टाउन एरिया में श्रीमती मिठौली देवी पत्नी सकटू के मकान पर दिनांक २०-१२-७८ दिन बुधवार को करीब १२ बजे रात्रि को थाना सहावर के एस० आई० चतुर्वेदी ४ सिपाहियों को लेकर पहुंचे और दरवाजे के किवाड़ को शक्ति के साथ धक्का देने लगे और कहने लगे कि किवाड़ खोलो तो मिठौली ने आवाज दी कौन हो ? तो एस० आई० चतुर्वेदी बोले मैं दारोगा हूं। इतने पर मिठौली बोली मैं नहीं जानती रात्रि में कौन दारोगा है या बदमाश। मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। घर भर में मैं और मेरी लड़की है। इसके बाद दूसरी छत पर चढ़कर दरोगा पांचों अन्य व्यक्तियों के साथ मिठौली के मकान के अन्दर पहुंच गये तथा मिठौली व लड़की को पकड़ लिया और कहा कि तेरा लड़का छत्रपाल कहां है ? उसे पकड़वा नहीं तुम सबको जेल भेज दूंगा, तब मिठौली ने कहा कि मेरा लड़का लाला की वजह से भाग गया है। क्योंकि लालाजी का कर्ज था, वह हमने दे दिया था और लाला ने दस्तावेज कागज धरा लिया था, जब सब रुपया दे दिया तो लाला से दस्तावेज मांगा तो लालाजी नाखुश होकर

नोट—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एटा जनपद के थाना सहावर के दरोगा श्री एस० आई० चतुर्वेदी द्वारा श्रीमती मिठौलीदेवी पत्नी श्री सकटू के घर में लूट तथा उनकी लड़की के साथ बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ।

मेरे लड़के को मारने लगे और कहा कि तुम साले बहुत बढ़ गये हो तुम सबको पुलिस से पकड़वा कर मार लगवाऊंगा । इस बातको सुनकर वह लड़का और पिता दोनों कहीं चले गये हैं । अब मैं कहां से उन लोगों को लाऊं । इतने पर चतुर्वेदी ने लड़की पर टार्च लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया । लड़की के हाथ में चांदी के कड़े १२ तोले के कीमत २०० रु० के थे पकड़ कर खींच लिया । उधर सिपाही लोग टार्च लगाकर राइफलें उन दोनों लड़की व माता की तरफ दिखाने लगे और कहने लगे अगर तुम चिल्लाई तो गोली मार देंगे । इसके बाद दारोगा ने लड़की के हाथ से खड़वा खींचने के बाद खड़वा (कड़े) सिपाही को दे दिया और लड़की के साथ बलात्कार किया, जब दारोगा बाहर निकले तो मिठौली व लड़की चिल्लाने लगी और पड़ोस के लोग वहां और आ गये यह निम्नलिखित हैं—श्री रामरिछपाल पुत्र श्री राज बहादुर, मोहनपुर व दिनेश चन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल, मोहनपुर व नाथूराम पुत्र मुरलीधर मोहनपुर व महारानी पत्नी सीताराम मोहनपुर व दुलारी पत्नी नाथूराम मोहनपुर, गेंदालाल मास्टर प्रा० पा० सिरौरी, मोहनपुर व सोनपाल पुत्र उम्बर, मोहनपुर तथा आदिवासी आ गये । पुलिस दारोगा ने उन लोगों को भी गालियां दी और चलते बने ।

अस्तु माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एस० आई० चतुर्वेदी को तथा चार सिपाहियों को तुरन्त निलम्बित किया जाय और कानूनी कार्यवाही की जाय ।

गोरखपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं समायोजन से भारी असंतोष के विषय को नियम २०० के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, गोरखपुर शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापकों के भारी पैमाने पर स्थानान्तरण एवं समायोजक की सूची प्रकाशित होते ही पूरे जनपद में अध्यापकों में असन्तोष एवं आक्रोश फैल गया है । उनके सम्बन्ध में स्थानान्तरित एवं समायोजित अध्यापक छुट्टी पर चले गये हैं । इनके संघ में शासन को कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है । जिले के इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य ठप्प है ।

सूची से स्पष्ट है कि स्थानान्तरण एवं समालोचन के लिए विभागीय निर्देशों की खुली अवज्ञा की गयी है भारी भ्रष्टाचार का आरोप मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी में ला चुका हूं ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे यह मांग करता हूं कि प्रकाशित स्थानान्तरण एवं समायोजन की सूची को निरस्त किया जाय । स्थानान्तरण के लिए मई, जून में कोई सूची बनाई जाय जिसको जनपद के अध्यापकों के लिए असन्तोष एवं आन्दोलनात्मक रुख को दूर किया जा सके तथा सबको शैक्षिक वातावरण को दूषित होने से बचाया जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में पत्थर के बांध लगा देने से सीमावर्ती अलीगढ़ के गावों के कटान के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

श्रीमान जी निवेदन हैं कि हरियाणा राज्य तथा उत्तर प्रदेश की सीमा जिला अलीगढ़ के खैर क्षेत्र पर मिलती हैं। बीच में ही यमुना नदी हैं। हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ यमुना नदी के किनारे पर पत्थर के बांध लगा दिये हैं जिनके कारण मेरे क्षेत्र के तीन गांव कट चुके हैं। अब तीन गांव महाराजगढ़, किशनगढ़ तथा लालपुर खतरे में हैं। यदि इन गांवों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका तो ये तीनों गांव यमुना नदी के कटाव से वह जायेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन ग्रामों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने की कृपा करें।

हरदोई में बिलग्राम से राजघाट मार्ग को पक्का किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

हरदोई जनपद में बिलरायां-पनवारी मार्ग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं। इसी मार्ग पर बिलग्राम एवं कन्नौज जैसे ऐतिहासिक कस्बे आबाद हैं। गंगा के राजघाट पर धार्मिक अनुष्ठानों का भी सिलसिला लगा रहता हैं किन्तु बिलग्राम से कन्नौज जिसकी लम्बाई २२ कि० मी० हैं मार्ग अत्यन्त ही जीर्ण अवस्था में हैं। राजघाट पर पुल के अभाव से यह ऐतिहासिक केन्द्र अविकसित पड़े हैं। लोक महत्व की इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि बिलग्राम से राजघाट तक डामर रोड तथा राजघाट पर स्थायी पुल की व्यवस्था की जाय।

जिला परिषदों द्वारा संचालित एकीकृत चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों को सेवा मुक्त किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

आपके माध्यम से निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश करके समस्त जिला परिषदों द्वारा संचालित एकीकृत चिकित्सालयों के आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया हैं। परिणामस्वरूप उनके समक्ष गम्भीर संकट व्याप्त हैं। इनकी सेवायें भी वर्षों की हो चुकी हैं। जब ग्रामीण अंचलों के एम० बी० बी० एस० डाक्टर उपलब्ध नहीं थे। उस समय इन आयुर्वेद स्नातकों ने अल्प वेतन पर भी गरीबों की चिकित्सा सेवा करने का साहसपूर्ण कदम उठाया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषदों द्वारा संचालित एकीकृत चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों .१६०१ को सेवा मुक्त किये जाने के विषय को नियम २०१ के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर पुनर्विचार करके अपना आदेश निरस्त करने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ एक वक्तव्य देकर सम्पूर्ण तथ्यों को सदन के पटल पर रखें।

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को असामान्य कठिनाई के विषय को नियम २०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

महोदय कल से सम्पूर्ण प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश की जनता को हो रही असामान्य कठिनाई, आपके माध्यम से शासन एवं आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, आज भी बैंकों में सम्पूर्ण काम काज ठप्प हैं। बैंक के कर्मचारी वर्ष १९७२ के समझौते के अनुसार वेतन पुनरीक्षण, महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा बेहतर सेवा शर्तों की अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में आन्दोलन कर रहे हैं। इस हड़ताल में सहकारी बैंक भी शामिल हैं। बैंकों का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का विषय हो सकता हैं परन्तु राज्य सरकार के लिए असीम चिन्ता का विषय यह हैं कि माह के अन्तिम दिन होने के कारण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो रहा हैं। भुगतान तथा हुंडी सकारने में बाधा उत्पन्न होने के कारण उपयोग एवं व्यापार भी प्रभावित हैं। ग्रामीण किसान कृषि कार्य के लिए धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। संक्षेप में कहा जाय तो सम्पूर्ण जन जीवन प्रभावित हैं।

बैंक के नेताओं ने हड़ताल आगे भी बढ़ाने का निर्णय किया हैं। अतएव यदि सरकार द्वारा अपनी जनता की सुविधार्थ कोई रास्ता अविलम्ब न निकाला गया तो संकट और भी गहन होकर स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण बन सकती हैं।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

भारत सिरिंज वर्क्स नाम फर्म को ग्लूकोज की सप्लाई के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निविदा पर आपत्ति के विषय को नियम २०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षों पूर्व कानपुर में एक "ग्लूकोज काण्ड" नामक घटना घट चुकी हैं जिसमें एक फर्म द्वारा दूषित किस्म के ग्लूकोज की सप्लाई के कारण अनेकों निरीह नागरिकों की जानें चली गई। तब से प्रदेश सरकार ने सदन को आश्वासन दिया था कि ग्लूकोज की बोतल खरीदने में विशेष सावधानी बरती जायेगी। जिस सावधानी बरतने के कारण स्वास्थ्य निदेशक महोदय ने ग्लूकोज की बोतल सप्लाई करने वाली फर्म "भारत सिरिंज वर्क्स" के विरुद्ध ६-११-७८ को अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों आदि को निर्देश दिये हैं कि उनसे कोई खरीद न की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघव राम मिश्र]

महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि न जाने किस दबाव के कारण उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की निविदा संख्या सी० एस० डी० (एम०) के अन्तर्गत ६ लाख बोतल की खरीद का प्रस्ताव उपरोक्त फर्म के पक्ष में शासन के विचारार्थ भेजा है। इस कारण से नागरिकों में अत्यंत असंतोष तथा भय व्याप्त हो गया है।

पुनः ग्लूकोज काण्ड न दोहराया जाय तथा निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में न डाली जाय इस कारण सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा दी जाने वाली अनुमति को रुकवा दें तथा उससे सदन को तत्काल अवगत करायें।

बस्ती जनपद के मालखाने में जमा चोरी के माल के बदल जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के थाना वाटरगंज में २०-२१/१२/७४ की रात्रि में श्री रवीन्द्र नाथ शुक्ल ग्राम पकरीअधीन के घर चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट थाने में अपराध सं० ५१ धारा ४५७/३८०/४११ भा० द० सं० सरकार बनाम रामगरीब आदि के नाम से दर्ज किया गया। पुलिस ने श्री रामगरीब के घर से ४ अशर्फी एक जोड़ा सोने की बाली, एक सोने की अंगूठी तथा अन्य सामान बरामद करके मालखाने में जमा कर दिया। एस० डी० एम०, बस्ती के समक्ष पहचान हुई उस समय भी माल सही था। परन्तु मुकदमे के सम्बन्ध में ९-११-७८ ई० को जे० एम० सदर के समक्ष जब माल साक्ष्य के लिए पेश किया गया तो उपरोक्त सोने के सामान के बदले पीतल का सामान पाया गया। इस पर श्रीमती प्रकाश देवी पत्नी ठाकुर प्रसाद मिश्र ने न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठाई कि यह सामान बदल लिया गया है। इस पर न्यायालय की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। महोदय, यह अहम मामला है। जब पुलिस मालखाने से सामान बदले जा रहे हैं, तो इसके दो नतीजे आ रहे हैं—(१) अपराधी मुकदमें से छूट जायेंगे। (२)मालखाने से सामान बदलने से जनता का विश्वास भी पुलिस एवं प्रशासन से समाप्त हो जायेगा। पता चला है कि न्यायालय द्वारा दर्ज करायें गये मुकदमे में कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सही तथ्यों को प्रकाश में लाकर अपराधी कर्मचारियों को दंडित कराने के लिए तुरंत सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय।

महोदय, जब मालखाने में जमा माल बदल जायगा तो अपराधियों को सजा कैसे मिलेगी। इस पर मुख्यमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह आ गया है। मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद की करछना व मेजा तहसीलों में सिंचाई की अव्यवस्था के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुरुप्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना और मेजा में सिंचाई विभाग की अव्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि इस वर्ष दोनों तहसीलों में विभाग के पतरौल, गांव-गांव और हर खेत का पनकट लिख रहे हैं। किसानों के इतराज करने पर कहते हैं कि शासनादेश है। विधायक तथा मंत्रियों से कहिये।

प्रलयकालीन बाढ़ के बाद अक्तूबर महीने से धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और गेंहू की बुआई के लिए पलेवा में पानी की जरूरत पड़ती है। दोनों तहसीलों में आधे से अधिक नलकूप और नालियां खराब हैं। इनके बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहरों की सफाई नवम्बर माह में प्रारम्भ हुई है जिससे पानी बिलकुल उपलब्ध नहीं हो रहा है। दोनों तहसीलों के किसानों में घोर चिन्ता एवं महा असंतोष है।

नहर की सीड़न से हजारों एकड़ भूमि बेकार हो गयी है जिससे बुआई का काम नहीं हो सकता है। इसकी व्यवस्था होनी जरूरी है।

उक्त दोनों तहसीलों में ओला, बाढ़ और जलप्लावन ने अपनी चरम सीमा तक किसानों को प्रभावित किया है। राहत कार्य न के बराबर है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ध्वस्त गृह निर्माण हेतु कोई भी योजना नहीं बनायी गई जिससे किसान परेशान हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के चारे का भी नितान्त अभाव है। उक्त दोनों तहसीलों में बाढ़ और जल प्लावन से खेतिहर मजदूर और शिक्षित नवयुवक बेकार हैं। कोई काम नहीं जिसके द्वारा अपनी जीविका चला सकें।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि लघु सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को कोई राहत कार्य की योजना चलावें तथा बड़े काश्तकारों को तकाबी देने की शीघ्र व्यवस्था की जाय ताकि सभी किसान संतोष की सांस लें।

संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७८*

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७८ द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधन को जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के खण्ड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय से विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*छापा नहीं गया।

[सचिव, विधान सभा]—

सचिवालय को प्राप्त संचार पत्र को उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियां की प्रतिलिपि सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १८२(१) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

कवाल टाउन्स में पुलिस कमिश्नर के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन, कल एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता था तो आपने कहा था कि इसे पहले मेरे संज्ञान में लाइये, तो फिर यहां उठाइये । आज गृहमंत्री जी यहां नहीं हैं, कृपया मुख्य मंत्री जी इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुन लें । कल शून्य प्रहर के पश्चात उसी समय जानकारी होने के कारण जो महत्वपूर्ण विषय मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता था वह निम्नलिखित है तथा सादर अनुरोध है कि कृपया आज के सत्र में अनुमति प्रदान करें :

अत्यन्त ही विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है कि वर्तमान सत्र के समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश के पांच कवाल नगरों (कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ) में राज्य सरकार पुलिस कमिश्नरों का पद सृजित करेगी तथा वर्तमान व्यवस्था समाप्त करेगी । यह कार्य अध्यादेश द्वारा करने की सरकार की मंशा है ।

सदन शीघ् ही उठने वाला है । आपके माध्यम से उक्त विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा सरकार का आश्वासन चाहता हूं कि कवाल नगरों में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति अध्यादेश के माध्यम से नहीं की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जा चुका है, वह इस पर जो भी कार्यवाही समझें करें ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

यह तो प्रकाश यहां डाल दें यह बड़ा अहम विषय है । गृहमंत्री जी का इस पर वक्तव्य आ चुका है कि वर्तमान सत्र में आवश्यकीय कार्यवाही की जाएगी । वह यह आश्वासन दे दें कि यह अध्यादेश द्वारा नहीं किया जायेगा ।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, यह सारे कवाल टाऊंस का मामला विचाराधीन नहीं है । केवल कानपुर के बारे में प्रश्न अभी विचाराधीन है और इसलिए विचाराधीन होने के नाते जबतक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक यही है कि कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का मामला विचाराधीन है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैं कानपुर का हूं मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जब यह प्रश्न अभी विचाराधीन हैं तो अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व वह कम से कम कानपुर के विधायकों को इस मामले में विश्वास में ले लें। इसपर मुख्यमंत्री जी को क्या कहना हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने अपनी बात कह दी, अब मुख्य मंत्री जी से मिल लीजिएगा।

हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत पुस्तक "बायदा माफ गवाह" में से आपत्तिजनक शब्दों को निकाले जाने की मांग

श्री शतरुध्द प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैंने एक सूचना दी थी और संज्ञान में भी ले आया था और आपने इजाजत दी थी कि पढ़ दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष—

क्या हैं ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैंने २०१ में दी हैं, उसको पढ़ना हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचनाएं क्रम से ले रहा हूं, ९ तक ली हैं।

लेकिन मैंने आपसे कहा था, कोई महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं तो दें।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं आपका ध्यान एक किताब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—'बायदा माफ गवाह उसके लेखक हैं अशोक अग्रवाल। इस किताब को हिन्दी संस्थान ने पुरस्कृत किया हैं। हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव हैं और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण हैं। इस किताब में इतनी आपत्तिजनक बात लिखी हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस किताब में लिखा हैं- --

'अहीर हो कि जाट
गूजर हो कि भाट
कभी गिलहरी कभी बकरी
कभी अजगर कभी मछली'

हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष हैं माननीय रामनरेश यादव, मुख्य मंत्री, और इस तरह की किताबों को पुरस्कार देते हैं, बड़ी शर्मनाक बात हैं, जो जातिपांति को बढ़ावा देती हैं, साम्प्रदायिक घृणा फैला रही हैं। जो आपत्तिजनक शब्द हैं उनको वापस कराया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

कृपया इस किताब को मेरे पास भेज दें । मैं फिर इसको शिक्षा मंत्री के पास भेज दूंगा । इसकी पूरे तरीके से जांच करके जो आपत्तिजनक हैं, उसके संबंध में उचित कार्यवाही करें ।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

मैंने एक सूचना दिया था । आज करोड़ों किसानों की फसल भंगरी से नष्ट हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

शून्य प्रहर में जिन सूचनाओं की अनुज्ञा दी गयी वह दी गयीं । उनके अतिरिक्त सूचना हैं तो उसकी अनुज्ञा नहीं हैं । आप कल दीजिये । अब आप बैठिए ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के करोड़ों .....

श्री अध्यक्ष—

अब कल दीजियेगा । लेकिन क्रम से लूंगा, १, २, ३, जिसकी सूचना पहले आ गयी ।

श्री अशोक बाजपेयी—

यह सारे प्रदेश का महत्वपूर्ण मामला हैं । इसे सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं । आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन मैंने नहीं देखा हैं । आप बैठ जाइये । जब तक मेरे संज्ञान में न लाएं तब तक अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री अशोक बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सूचना हैं, पूरे प्रदेश का प्रश्न हैं । मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले मेरे संज्ञान में लाएं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । इस पर अनुमति नहीं हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

श्री अध्यक्ष—[* * *]

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । अब मैं विशेषाधिकार की .....

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

आपकी आज्ञा से ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये कृपया । आपसे कह दिया आपका पत्र माननीय मुख्य मंत्री को भेज दूंगा । आप बैठ जाइये ।

श्री सुखपाल पांडेय—

श्री अध्यक्ष [* * *]

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री सुखपाल पांडेय— [x x x]

[* * *] कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद ने अपने वायरलेस मैसेज दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८, जो इस सचिवालय में दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा ने अपने २०० समर्थकों के साथ शासन के विरुद्ध नारे लगाये, यातायात अवरुद्ध किया तथा सार्वजनिक शान्ति भंग करने का प्रयास किया । उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को हिरासत में लिया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, झांसी तथा अधीक्षक, जिला जेल, रामपुर ने अपने वायरलेस दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८, जो इस सचिवालय में दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुए हैं, के द्वारा यह सूचित किया है कि श्री रणजीत सिंह जूदेव, सदस्य, विधान सभा निजी मुचलके पर दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ को रिहा किये गये हैं और, श्री मंजूर अली खां तथा श्री मकबूल अहमद दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ को रिहा किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । इस प्रतिवेदन का संबंध पिछली विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७४-७५) के द्वितीय प्रतिवेदन में, जो शासन द्वारा विशेष चेतन के रूप में व्यय की जाने वाली धनराशि तथा इस व्यय के औचित्य से संबंधित है, निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से है ।

२. मूलतः उपरोक्त प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों की शासन द्वारा कार्यान्वयन के संबंध में प्राक्कलन समिति (१९७६-७७) ने विचार किया था और आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग का साक्ष्य लिया था परन्तु विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप समिति अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी । वर्तमान समिति ने शासन से प्राप्त सामग्री तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर इस संबंध में पुनः विचार किया और अपनी दिनांक १६ अक्तूबर, १९७८ की बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया ।

नोट—[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

+छापा नहीं गया ।

[श्री राधेश्याम शर्मा]—

२. प्राक्कलन समिति (१९७४-७५) ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में विशेष वेतन दिये जाने की प्रणाली को सिद्धान्त रूप से उचित न मानते हुए इसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करके उसके स्थान पर एक विशिष्ट वेतनमान, जो सभी समान पदधारकों के लिए समान हो,निर्धारित करने की संस्तुति की थी, इसी के साथ-साथ संबंधित नियम ९ (२५) के खंडों के विषय में भी कुछ सुझाव दिये थे। समिति ने प्रतिवेदन में पांच संस्तुतियां की थीं। परन्तु खेद है कि शासन ने मूल संस्तुति (संस्तुति संख्या १) को ही स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है। संस्तुति संख्या १, ३ और ४ को शासन ने स्वीकार नहीं किया, संस्तुति संख्या २ के विषय में शासन के उत्तर को समिति ने मान लिया है तथा संस्तुति संख्या ५ को शासन ने स्वीकार किया है। इस संबंध में प्रतिवेदन में आगे यथास्थान पर समिति ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने दिनांक १९ मई, १९७८ को सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति की प्रथम बैठक की समिति के सदस्यों के मार्ग दर्शनार्थ सम्बोधित किया था जिसे प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' में सम्मिलित किया गया है।

अन्त में, मैं श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध कर्मचारियों के प्रति समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग से यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना १४ दिसम्बर, १९७८ को तथा उसी विषय पर दूसरी संशोधित सूचना १५ दिसम्बर, १९७८ को दी थी तथा इसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की प्रार्थना की थी। पहली सूचना में शिकायत किसके विरुद्ध है, इसका उल्लेख नहीं था, किन्तु दूसरी सूचना की शिकायत माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध है।

उन्होंने उक्त सूचना में यह कहा है कि ६ दिसम्बर, १९७८ को कार्यसूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग में तथ्यों को छिपाया गया है और सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है तथा तृतीय भाग में सदन को जानबूझ कर गलत जानकारी दी गयी है।

माननीय सदस्य ने उक्त दोनों सूचनाओं के साथ कुछ पत्र संलग्न किए थे जिनके द्वारा वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मेसर्स अजीत एसोसिएट्स द्वारा एन०जी०ई०एफ० की सैंकड़ों मोटरें क्रय की गयी हैं और उनका भुगतान भी वे प्राप्त कर चुके हैं किन्तु माननीय सदस्य ने अपनी उपर्युक्त दोनों सूचनाओं के साथ संलग्नकों की केवल एक-एक प्रति भेजी जिसके कारण वे माननीय सिंचाई मंत्री के पास नहीं भेजी जा सकीं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६५ के दूसरे पैरा के अनुसार माननीय सदस्य को प्रत्येक सूचना के साथ इन नत्थियों की भी दो-दो प्रतियां भेजना आवश्यक था ताकि उन्हें माननीय सिंचाई मंत्री को भेजा जा सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। माननीय सिंचाई मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर दिया था और जानबूझकर इस मामले में न तो सदन से कोई सूचना छिपायी गयी और न ही उनका आशय सदन को गुमराह करने का था। माननीय सिंचाई मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि श्री तोमर द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचनाओं के विषय पर उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि प्रश्न के तृतीय भाग का उत्तर देने में कुछ त्रुटि हो गयी परन्तु इसके पीछे किसी व्यक्ति की दुर्भावना अथवा जानबूझकर गलत सूचना देने की भावना नहीं प्रतीत होती है। प्रश्न का विश्लेषण तथा इसको समझने में कुछ भ्रान्ति होने के कारण मुख्य अभियन्ता द्वारा पूर्ण तथ्यों के आधार पर सूचना नहीं भेजी गयी जिसके कारण प्रश्न के तृतीय भाग के उत्तर देने में त्रुटि हो गयी है। माननीय सिंचाई मंत्री ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों द्वारा प्रश्न के उत्तर तैयार करने में असावधानी बरती गयी है उनको उन्होंने सचेत कर दिया है और कठोर निर्देश दे दिये हैं कि भविष्य में प्रश्नों के उत्तर भेजते समय काफी सावधानी बरती जाये ताकि त्रुटि होने की कोई संभावना न रहे।

माननीय सिंचाई मंत्री ने श्री तोमर को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए यह भी निवेदन किया है कि प्रश्न का संशोधित उत्तर सदन में देने की अनुमति प्रदान की जाये।

उपर्युक्त कारणों से तथा माननीय सिंचाई मंत्री के स्पष्टीकरण तथा खेद प्रकाश को देखते हुए इस मामले में प्राग्दर्शन में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता।

अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

माननीय सिंचाई मंत्री प्रश्न का संशोधित उत्तर देने के लिए पृथक से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री गोकरण सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री सुखपाल पाण्डेय सदस्य, विधान सभा ने श्री गोकरण सिंह, अधिशासी अभियन्ता, डी० सी० यू० (सा० नि० वि०) बस्ती के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने नियम ५१ के अंतर्गत विधान सभा में बाढ़ से सड़क के खराब होने के कारण ट्रक दुर्घटना में ४ व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में एक सूचना दी थी। उक्त सूचना की प्रति सार्वजनिक निर्माण विभाग को मेरे सचिवालय द्वारा भेजी गयी थी। इसकी सूचना जब अधिशासी अभियन्ता को मिली तो उन्होंने क्रोधित होकर कई लोगों से कहा कि "श्री सुखपाल पाण्डेय विधान सभा में सवाल

[श्री अध्यक्ष]—

उठा करके मेरा क्या बिगाड़ लेंगे । मैं अब उनके क्षेत्र में काम नहीं होने दूंगा । विधान सभा में सवाल करके सड़क बनवा लें । देखता हूं कि कौन सुखपाल पाण्डेय के क्षेत्र में सड़क बनवायेगा ।"

माननीय सुखपाल पाण्डेय ने इस बात के समर्थन में श्री बाबू राम वर्मा, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) का एक पत्र संलग्न किया है जिसमें उक्त अधिशासी अभियन्ता श्री गोकरण सिंह द्वारा श्री वर्मा से कही गयी बातों का उल्लेख है ।

उक्त अधिशाषी अभियन्ता ने माननीय श्री सुखपाल पाण्डेय के विरुद्ध जो बातें श्री बाबू राम वर्मा से कहीं हैं उनको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ७८ के अन्तर्गत इस प्रश्न को परीक्षा, जांच तथा प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं ।

न्याय एवं कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री श्यामधर मिश्र तथा देव बहादुर सिंह ने न्याय एवं कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध आज एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है ।

माननीय सदस्यों ने सूचना की केवल एक प्रति दी है । अतः वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ६४ के द्वितीय पैरा की अपेक्षाओं के प्रतिकूल है । अतएव मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

२ भेजी हैं । कैसे कह रहे हैं कि एक भेजी है ?

मान्यवर, २ प्रतियां अभी मेरे हाथ में हैं । आप इसे टैक्नीकल ग्राउंड्स पर अस्वीकृत मत कीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जो देखा है उसमें आपकी एक ही प्रति है । इसलिए यह ग्राह्य नहीं है । इसकी २ प्रतियां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि एक प्रति मैं माननीय मंत्री जी को भेज सकूं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, मैंने तो २ आपके सचिवालय को भेजी हैं । आपका सचिवालय अगर न भेजे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम मंत्री जी को दें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास तो एक ही है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप अपने सचिवालय से पूछ लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

जो आपका पत्र है उसकी एक प्रतिलिपि है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इसकी ४ कापीज गयी हैं । २ हमारी तरफ से और २ गुलाब सेहरा की तरफ से ।

श्री अध्यक्ष—

देव बहादुर जी संलग्नक की २ प्रतियां हैं लेकिन नोटिस जो दिया है उसकी एक ही है । इसीलिए . . .

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, नोटिस की तो एक ही होनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ६४ देख लें ?

श्री श्याम धर मिश्र—

यहां पर कहीं नहीं है कि सचिव को २ पत्र लिखकर दिए जायं ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ६४ देखिए । इसमें लिखा है कि यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायगी । आपने यह मान लिया कि माननीय न्याय मंत्री, मंत्री हैं लेकिन वे एक सदस्य नहीं हैं । इसलिए एक प्रति भेजी । आपको मालूम होना चाहिए कि वे सदस्य तो पहले बने हैं, मंत्री बाद में हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

सदस्य होते तो यह सब बातें न बोलते ।

श्री अध्यक्ष—

आप को पता है । आप भी बनारस के हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, विशेषाधिकार की हमारी भी नोटिस है ।

श्री अध्यक्ष—

वह भी इसी तरह की है ।

जिला टेहरी-गढ़वाल में जंगली सुअर का गोश्त खाने से कई व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, संक्षेप में स्थिति यह है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के एक ग्राम कफलोग के ३ व्यक्ति श्री बौना सिंह, श्री जोरा सिंह तथा श्री पृथा सिंह गांव के पूरब की ओर लवाना जंगल की ओर दिनांक १९ नवम्बर, १९७८ को लकड़ी काटने के लिये गये। रास्ते में उन्हें एक झाड़ी के पास मरा हुआ एक जंगली सुअर मिला। उस पर पत्थर फेंककर उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि सुअर वस्तुतः मरा हुआ है। उसे वह अपने घर ले आये तथा अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों सहित उसे खाया। उनका यह अनुमान था कि सुअर को किसी बघेरे ने मारा होगा क्योंकि उसकी गर्दन पर नुकीले दांतों के निशान थे। उनका यह भी अनुमान था कि उसे किसी जहरीले जानवर ने नहीं काटा होगा कदाचित इस कारण कि उसमें तब तक दुर्गन्ध नहीं थी। सुअर का यह गोश्त उन्होंने अन्य गांव में अपने रिस्तेदारों के यहां भी भेजा। उस दिन संयोगवश ग्राम धारकोट में भैंसे की लड़ाई का एक उत्सव भी था। ग्राम नेल्डे के कुछ व्यक्ति ग्राम धारकोट जाते हुए काफलांग में रुके तथा उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहां यह गोश्त खाया।

उक्त घटना की तिथि १९ नवम्बर, १९७८ की बताई जाती है परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी, टेहरी-गढ़वाल ने शासन को जो सूचना भिजवायी है उसके अनुसार पोस्ट-मास्टर मदन नेगी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को दिनांक ८-१२-७८ को अपरान्ह में टेलीफोन द्वारा सूचित किया कि पट्टी धरममंडल के आसपास के ४-५ ग्रामों में ५० व्यक्ति बुखार, शरीर में पीड़ा तथा अतिसार से पीड़ित हैं। यह सूचना प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, टेहरी- अस्पताल को उसी दिन तार से निर्देशित किया कि कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्द गांव के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा औषधियों सहित उक्त पट्टी पर पहुंचे, तथा चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध करायें। उनके द्वारा तदनुसार कार्यवाही की गई। उन्होंने पाया कि सुअर का गोश्त खाने के तीसरे से छठे दिन के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों में बीमारी के जो लक्षण दिखाई दिये वह निम्नवत् थे—

(१) चेहरे, पांव तथा पीठ पर सूजन।

(२) बुखार।

(३) सिर दर्द तथा सिर चकराना।

(४) सामान्य कमजोरी तथा शरीर के अधोभाग में कमजोरी।

(५) उदर पीड़ा।

(६) कै होना, दस्त आना तथा जी मिचलाना (प्रारम्भिक अवस्था में)।

(७) बाद में कब्ज की शिकायत।

[श्री कल्याण सिंह—]

जिलाधिकारी, टेहरी-गढ़वाल ने दिनांक २४ दिसम्बर, १९७८ के रेडियोग्राम द्वारा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी ने दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ के रेडियोग्राम द्वारा जो सूचना भेजी है उसके अनुसार स्थिति संक्षेप में निम्नवत् है—

(१) (क) सुअर का गोश्त खाने से पीड़ितों की संख्या १२७

(ख) सुअर का गोश्त खाने में मृतकों की संख्या ११

(२) अस्पताल से २० रोगी अवमुक्त किये गये तथा १२ चिकित्सालय में अभी भी भर्ती हैं ।

(३) केमिकल एनालिसिस के लिए विसरा आगरा भेज दिया गया है ।

(४) नरेन्द्र नगर तथा टेहरी में कन्ट्रोल रूम चालू हैं तथा कफलोग में रेडियो टेलीफोन स्थापित किया गया है ।

(५) कफलोग तथा मदन नेगी में मेडिकल रिलीफ कैम्प चल रहे हैं ।

(६) कफलोग में एक टीम के साथ १ मेडिकल आफीसर तैनात किया गया है ।

(७) टेहरी अस्पताल में नरेन्द्र नगर से ३ चिकित्साधिकारी भेजे गये हैं ।

(८) जिलाधिकारी सहित संयुक्त निदेशक, गढ़वाल तथा मुख्य चिकित्साधिकारी टेहरी अस्पताल गये तथा उन्होंने रोगियों की स्थिति में सुधार पाया ।

रोगियों की देख रेख संतोषजनक है ।

गेहूं, आटा तथा पाउडर-दूध की आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्था कर दी गई है ।

चिकित्सीय सुविधायें तथा अन्य राहत कार्य एक सुनियोजित रीति से काफी तेजी से किये जा रहे हैं, जिसके लिए राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग का सहयोग भी उपलब्ध है ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं । इसमें जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार के बच्चे भी बीमार पड़े हैं । तो माननीय मुख्य मंत्री जी क्या अपने निजी कोष से उनकी कुछ सहायता करने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझ से मिले भी थे और मुझे सारी स्थिति की जानकारी उन्होंने करायी थी, मैंने उनसे कहा था कि मैं इसमें सहायता जो भी हो सकेगी करूंगा ।

क्षय रोग आश्रम भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, क्षय रोग आश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति की सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति की सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक १९७८*

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश, पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली उन्मूलन विधेयक, १९७८*

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली उन्मूलन विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली उन्मूलन विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

---

*दिनांक २ जनवरी, १९७९ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शत्तरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली उन्मूलन विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

आदर्श कारागार में नक्सलवादी नेता श्री सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री जयराम की एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो ६ दिसम्बर, १९७८ से आदर्श कारागार (माडल जेल), लखनऊ में श्री सत्यपाल सिंह उर्फ डा० ओम प्रकाश (नक्सलवादी नेता) द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में है तो इस प्रकार की बहुत सी व्यवस्थायें हो चुकी हैं कि आमरण अनशन पर कामरोको नहीं होता ।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष जी, इस किस्म के कार्यकर्ताओं के साथ चाहे हमारे नौकरशाही के लोग हों या शासन में रहने वाले लोग हों, बराबर इस किस्म का व्यवहार हुआ है । मान्यवर, नक्सलपंथियों के बारे में समग्रक्रान्ति के नाम पर जब यह सरकार आयी तो इन्होंने घोषणा किया कि हम इनको एक राज्य बन्दी मानते हैं और जो नक्सलीज जेल में बन्द हैं, इनको हम रिहा करने की आज्ञा दे रहे हैं । इस किस्म के कार्यकर्ताओं के साथ, इस उत्तर प्रदेश के अन्दर जो घटनायें हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के लिए और हम सभी राजनैतिक दल के लिए एक शर्मनाक बात है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसके महत्व को देखते हुए अगर आप कुछ समय इस पर चर्चा के लिए दे देंगे, तो हो सकता है, हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे वे माननीय सदस्य जो अभी-अभी कुछ दिन पहले सरकारों के द्वारा त्रस्त किये गये हैं और उसी के असंतोष का प्रतिफल हुआ कि सत्ता में आये हुए हैं । शायद उनके दिमाग में वे बातें बैठें, जो सत्यपाल मरने की स्थिति में हैं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

बड़ा अहम प्रश्न है मान्यवर, इसको सुन लें । निश्चित सवाल है, एक आदमी मौत से जूझ रहा है, राजनैतिक कार्यकर्ता का जीवन अपने लिये नहीं होता है वह दूसरों के लिये होता है । उसको जो बेड़ियों में जकड़ करके रखा गया है, उसकी बेड़ियां काटी जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं इसको मुख्य मंत्री जी को भेज दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

एक निवेदन है माननीय .....

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

२५ अक्तूबर से ये जो नक्सलीज बन्दी हैं, भूख हड़ताल पर ६ दिसम्बर से हैं, अब उनकी हालत जर्जर हो गयी है, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं । उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेन्ट हो, बेड़ियां तो उनकी हटा दी जायं ।

श्री अध्यक्ष—

इसको लिख कर देंगे, तो मैं इसको मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा ।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प यह है कि— इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकार प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करे आदि-आदि । इस पर बहस चल रही है ।

श्री उदयनारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय, आज की कार्यवाही में ४ नये संकल्प आये हैं, संकल्प जो हैं, बराबर व्यपगत हो जाते हैं । इसलिए जो प्रस्ताव कर्ता हैं और जिनका मंजूर हुआ है उनका संकल्प आप सदन के पटल पर प्रस्तुत करा दें और जिन पर बहस जारी है उन पर बहस कार्यान्वित करें ।

श्री अध्यक्ष—

पहले जो लंबित हैं उनको लिया जायगा । उसके बाद दूसरे लिये जायेंगे । क्रम से लिये जायंगे ।

श्री उदय नारायण सिंह—

माननीय, फिर यह लैप्स हो जायंगे ।

**२८ मार्च, १९७८ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है । अगर यह लिया जायगा तो दूसरे लम्बित हो जायंगे ।

श्री उदय नारायण सिंह—

मान्यवर, संकल्प आये हैं लेकिन रखे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, यह जो संकल्प है ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर आप ५ मिनट से अधिक समय न लें ।

*श्री रवीन्द्र सिंह—

कोई सदस्य इस राय का नहीं होगा कि विकास कार्य और निर्माण कार्य जरूरत को नजर अन्दाज करके राजनीतिक प्रभाव से किये जायं । ३० सालों की योजनाओं को देखने से मुझे कम से कम ऐसा लगा कि पिछले शासन में निरंतर, विकास के कार्यों और निर्माण के कार्यों में इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि किस निर्माण कार्य और किस विकास कार्य की कहां जरूरत है । जहां जितने राजनीतिक प्रभावशाली लोग थे उन्होंने अपने जिलों में विकास के कार्यों को बढ़ाया । चाहे बनारस का चन्दौली हो चाहे मेरठ का छपरौली हो । इन दोनों इलाकों में निर्माण और विकास का काम तेजी से हुआ है । माननीय तिवारी जी ने यह संकल्प प्रस्तुत करके एक अत्यन्त उचित कार्य किया है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विकास के कार्यों की जरूरतों को देखते हुए उन पर कदम उठाये जायं । मैं इस दिशा में दो विभागों के उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं । १९४६-४७ में इस सूबे में ५ विश्वविद्यालय थे आज १९ हो गये हैं एक, दो और खोलने का एलान मुख्य मंत्री जी ने किया है । पहले १६ डिग्री कालेज थे आज ३५० हैं । पहले ५६१ माध्यमिक विद्यालय थे आज ७२५६१ हैं । पहले ३६५४९ जूनियर हाई स्कूल थे आज १ लाख २५ हजार १६२ हो गये हैं । लेकिन मान्यवर, आप साक्षरता का प्रतिशत देखें । स्कूल, कालेज बढ़ते गये हैं लेकिन साक्षरता के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि जिलों में साक्षरता की विषमता को देखें । उत्तर प्रदेश की एवरेज साक्षरता २१.७० है । आगरा की साक्षरता २७.९७ है और उन्नाव की साक्षरता १९.६३ है । वाराणसी की साक्षरता २७.२७ है और रामपुर की साक्षरता १२.९० है । स्कूल खुले, कालेज खुले लेकिन रामपुर में १२.९० का साक्षरता का एवरेज है । साक्षरता में बहुत ही अन्तर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

मैं अब दूसरे विभाग को लेता हूं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लेना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी चले गये हैं। बाम्बे प्लान के मुताबिक आजमगढ़ में २१ प्वाइंट कुछ कार्य हुआ है। पिछले बजट को देखने से ऐसा लगता है, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री आजमगढ़ के हैं, उन्हें बजट बनाने से पहले देखना चाहिए था कि सूबे के दूसरे इलाकों में जितनी सड़कों की जरूरत है उनका प्राविधान है कि नहीं। आजमगढ़ में बाम्बे प्लान के मुताबिक २१ प्वाइंट कुछ सड़कों का निर्माण कार्य पिछले साल हुआ है। इनकी लम्बाई १५०.६२ किलोमीटर है। इन पर ६ लाख ३६ हजार रुपये का खर्च हुआ, पिछले साल। मान्यवर, १२ सड़कें १५०.६२ कि०मी० सड़कें आजमगढ़ में ली गयी हैं यह जिला परिषदों की सड़कें हैं।

(इस समय १ बजकर ५० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए)

मैं भी आजमगढ़ के बगल के क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारे वहां ३०० किलोमीटर सड़कें जिला परिषद् के नियंत्रण में हैं। उनमें से १० किलोमीटर सड़कों को लिया गया और उसमें भी आप देखें कि ६ किलोमीटर सड़कें सिंचाई मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र से ली गयीं और ४ किलोमीटर सड़क उद्योग मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से ली गयीं। इसलिये स्कूल और सड़कों की तरफ मैं मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता सरकार बनने के बाद केन्द्रीय सरकार की उद्योग नीति के मुताबिक हर जिले में उद्योग कार्यालय स्थापित होने वाले थे और उसमें गोरखपुर का नं० दूसरा था और १५ अगस्त को उद्योग विभाग की तरफ से आदेश पारित हो गया। लेकिन मेरा आरोप है कि या तो उद्योग मंत्री जी ने मुख्य मंत्री को खुश करने के लिये अथवा मुख्य मंत्री ने अपने हस्तक्षेप से आदेश निकलने के बाद गोरखपुर जिले का नाम जहां द्वितीय चरण में था और आजमगढ़ का नाम आखिरी चरण में था उसको बदलकर गोरखपुर का नाम आखिरी चरण में और आजमगढ़ का नाम दूसरे चरण में कर दिया गया। इससे गोरखपुर का विकास पीछे हो गया है। यह राजनीतिक प्रभाव से हुआ है।

इन शब्दों के साथ जनता सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी भले पिछली सरकार ने चाहे जिस दृष्टि से देखा हो और बिजली तथा ट्यूबवेल स्थापित किये हों। लेकिन जनता सरकार से उम्मीद थी कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि ट्यूबवेल, उद्योग, स्कूलों की जहां-जहां जरूरत होगी वहां यह चीजें स्थापित होंगी। इन शब्दों के साथ श्री तिवारी जी के संकल्प का मैं समर्थन करता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भविष्य में विकास करने के लिये राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्र को न देखा जाय।

कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा पढ़े गये कृषि मंत्री द्वारा एक डकैत को कथित लिखे गये पत्र पर जांच समिति गठित करने की मांग

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। कल जब आप पीठासीन थे तो आपके सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित हुआ था। एक माननीय सदस्य ने यहां पर एक मंत्री जी पर अभियोग लगाया था कि उन्होंने किसी डकैत को पत्र लिखा और उसके कुछ अंश यहां पढ़कर

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनाये। उन्होंने यह भी अभियोग लगाया कि उन मंत्री महोदय का किसी व्यक्ति की हत्या में उनका हाथ है। सदन में इस पर यह मांग कर दी गयी है कि यदि ऐसा मामला है तो उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए और सदन की एक समिति आप गठित करें जो इस मामले में जांच करे और मंत्री महोदय को अपनी सफाई का समय दें। आज जब अध्यक्ष महोदय बैठे थे तो उनके सम्मुख भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ। आपने कल व्यवस्था दी कि पूरे रेकार्ड देखोंगे और उसके बाद पत्र में क्या लिखा गया है उसका आप अवलोकन करेंगे। इसमें हमारी दो मांगें थीं। एक तो यह कि वह पत्र सदन की प्रति मानी जाय और दूसरे अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष महोदय सदन की एक समिति गठित करें जो इस अभियोग के बारे में जांच करें। इन दोनों पर मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

इस पर व्यवस्था हो चुकी है। कार्यवाही देखने के बाद व्यवस्था देंगे। नेगी जी बारबार यह क्यों प्रश्न उठाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। कल दिनांक २८ दिसम्बर, ७८ को माननीय श्री राधे श्याम शर्मा ने शान्ति एवं व्यवस्था के ऊपर बोलते हुए सदन में एक पत्र पढ़ना चाहा था जिसके सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा कि वह कैबिनेट के एक मंत्री द्वारा एक डकैत को लिखा गया था। पत्र से वे केवल एक ही वाक्य पढ़ पाये थे कि मैंने उन्हें रोक दिया था और कहा कि आप इसका हवाला संक्षेप में दे दें। बाद में माननीय श्री गनेशी लाल चौधरी तथा माननीय श्री नैम सिंह ने यह प्रश्न उठाया कि इस पत्र को सदन की मेज पर रखवा दिया जाय और इसकी जांच करवायी जाय कि यह पत्र किस सन्दर्भ में लिखा गया है। माननीय श्री राधेश्याम शर्मा ने पत्र का जितना अंश पढ़ा था उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उसकी अन्तर्वस्तु क्या थी। उन्होंने केवल इतने ही शब्द पत्र से पढ़ कर सुनाये थे—"प्रिय श्री गजेन्द्र सिंह, कौम की मौत और जिन्दगी का प्रश्न है"। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय सदस्य ने सदन में उस पत्र का ऐसा अंश पढ़ा था जिससे पत्र की अन्तर्वस्तु पर प्रकाश पड़ सकता।

महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधार के संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पृष्ठ ९६७ पर यह कहा गया है कि "जब तक किसी सदस्य ने सभा में किसी दस्तावेज का उद्धरण न दिया हो या उसका उल्लेख न किया हो, उसे सामान्यतया उस पत्र या दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जाती। इसी पृष्ठ पर यह भी कहा गया है कि "जब कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी पत्र या दस्तावेज का उद्धरण देता है, वह चाहे सरकारी दस्तावेज हो या व्यक्तिगत, तो उसे यह कहा जा सकता है कि वह उसे सभा पटल पर रख दे किन्तु उसे सभा पटल पर रखने से पहले, सदस्य के लिये यह आवश्यक है कि वह उस पत्र या दस्तावेज को अध्यक्ष को दे और जब अध्यक्ष उसके लिये अनुमति दे दे, तभी उसे सभा पटल पर रखा गया पत्र माना जा सकता है।"

[श्री उपाध्यक्ष]

माननीय श्री राधेश्याम शर्मा ने उक्त पत्र मुझे नहीं दिखाया और न दिया और न मुझसे उसके लिये सदन के पटल पर रखने की अनुमति ही मांगी। अतः इस पत्र को सदन के सभा पटल पर रखने का आदेश देना उचित नहीं प्रतीत होता। यदि माननीय सदस्य को अध्यक्ष पीठ की ओर से इस प्रकार के पत्रों को सदन के पटल पर रखने का आदेश दिया जाने लगेगा तो इसके दुरुपयोग होने की सम्भावना हो सकती है।

कल सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार मैंने इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर लिया है। मैं निर्णय देता हूं कि जब तक कोई भाषणकर्ता सदस्य किसी पत्र को सदन के पटल पर रखने की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ले और उसे पीठासीन अधिकारी को पहले से दिखा न ले, तब तक किसी गैर-सरकारी सदस्य को किसी पत्र को सदन के पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था। आप कल की कार्यवाही देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

कल की कार्यवाही मैंने देख ली है, माननीय शर्मा जी का पूरा भाषण पढ़ लिया है, मैंने जो आश्वासन दिया था उसको देख लिया है, माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां की थीं उनके भाषण पढ़ लिये हैं और पूरी बातें पढ़ने के बाद व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जहां तक पत्र को पटल पर रखने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है लेकिन मैंने दूसरा प्रश्न उपस्थित किया था और वह यह था कि चूंकि यह मामला गम्भीर है, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लिहाजा आपसे निवेदन किया था कि इस सदन की गरिमा को देखते हुए आप माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन कर दें जो इस मामले की जांच करे। आपने कहा था कि रिकर्ड देखकर अपनी व्यवस्था दूंगा। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समिति गठन करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कोई प्रस्ताव विधिवत सदन स्वीकार न कर ले इसलिये माननीय नेगी जी की इस आपत्ति को जो कल उन्होंने की थी और जिसे मैंने कल ही अस्वीकार कर दिया था आज पुनः अस्वीकार करता हूं।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि जिन स्थानों से चुनकर आये हुए माननीय सदस्य मंत्रि परिषद् में हैं सम्भवतः उन्हीं स्थानों के साथ यह शासन पक्षपात कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं—आपके प्रदेश में एक जिला लखीमपुर है। शायद ३८ पिछड़े जिले घोषित किये गये जहां कि किसी न किसी उद्योग की स्थापना होगी और अनेकों सुविधायें प्रदान की जायेंगे लेकिन अभागा जिला लखीमपुर ही है जिसको पिछड़ा जिला भी नहीं घोषित किया गया जो कि हर दृष्टि से पिछड़ा है। अतः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार से कहना चाहता हूं कि लखीमपुर को अवश्य पिछड़ा जिला घोषित किया जाय क्योंकि वहां पर कोई भी अच्छी सड़कें नहीं हैं। लखीमपुर से हरदोई जाने के लिये एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये कोई भी पक्का मार्ग नहीं है। कच्चे मार्ग हैं साथ ही साथ एक गठना नदी पड़ती है और उस पर कोई भी पुल नहीं है। इसी तरह से लखीमपुर से हरदोई जाने के लिये पहले कोई व्यक्ति सीतापुर जाय फिर हरदोई जाय। मैं एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे जिले में मान्यवर, एक मितौली स्थान है जहां पर बहुत दिनों से एक तहसील की मांग हो रही है क्योंकि मितौली में जो तहसील केन्द्र है मुहम्मदी, वहां अगर किसी को जाना हो तो १०० किलोमीटर बैठता है। पहले तहसील केन्द्र जाने के लिये जिला केन्द्र जाय। फिर तहसील केन्द्र जाय। शासन के द्वारा बार-बार आग्रह किया गया कि १०० कि०मी० चलकर किसी को तहसील पहुंचना होता)है इसलिये जरूरी है कि मितौली पर एक तहसील का निर्माण कराया जाय। लेकिन शायद अभी तक शासन का ध्यान उधर नहीं गया है।

इसी तरह से गोला गोकरननाथ एक स्थान है जहां कि ४०,००० की आबादी है। लेकिन वहां पर अभी बिजली की कटौती हो रही है। उसके साथ ही साथ वहां पर एक छोटा सा हास्पिटल है। ४० हजार की आबादी, जहां लाखों लोग आते हैं, जहां कई मेले लगते हैं, चैत में जहां बहुत बड़ा मेला लगता हो, वहां पर एक छोटा सा अस्पताल है जिस पर राज्य सरकार द्वारा केवल ४-५ हजार रुपया सालाना खर्च किया जाता है। मान्यवर, गोला गोकरननाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ है। लाखों लोग वहां पर आते हैं। लेकिन वहां पर जो मंदिर का तालाब है, बार-बार शासन से आग्रह करने के बावजूद भी उस तालाब का निर्माण नहीं कराया गया।

इसी तरह से हमारे जिले में आज तक एक भी सरकारी उद्योग नहीं है। इसी तरह से लखीमपुर में सिंचाई की दृष्टि से भी कोई विशेष काम नहीं किया गया। जहां अन्य [illegible]ों में काफी सिंचाई की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, वहीं हमारे जिले की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघव राम मिश्र]

काफी उपेक्षा हो रही है। ट्यूबवेल भी हमारे जिले में अन्य जिलों के अपेक्षा बहुत कम लगाये जा रहे हैं। अतः, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि लखीमपुर को पिछड़ा जिला घोषित किया जाय, उद्योग की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, मितौली तहसील बनाने की दृष्टि से, सड़कें बनाने की दृष्टि से, पुल बनाने की दृष्टि से, इस जिले के बारे में ध्यान रखा जाय। वह भी आखिर उत्तर प्रदेश के नक्शे में एक जिला है और वहां भी विकास करना शासन का कर्तव्य है। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि उद्योग की दृष्टि से वहां कोई न कोई उद्योग का सेन्टर खोला जायक्योंकि अभी तक उस ओर शासन का ध्यान नहीं गया है। तो उसके लिये प्राथमिकता दी जाय। वहां पर जूट पैदा होती है वहां पर काफी मात्रा में खोई मिलती है,, वह जंगल का एरिया है। इसलिये वहां पर कोई न कोई सरकारी उद्योग खोलने की व्यवस्था की जाय।

इन शब्दों के साथ, मैं रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जहां तक पिछड़े क्षेत्र के विकास का सवाल है उसका मैं समझता हूं एक ही मूल मन्त्र है कि औद्योगिक विकास किया जाय और जो खेती है उसमें विकास किया जाय। इस कसौटी पर जब हम पूरे प्रदेश को कसते हैं तो लगता है कि सभी जिलों में विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मध्यवर्ती जिले नकारे जाते हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी चर्चा सुनी और उसके लिये आयोग भी गठित हुआ साथ ही पश्चिमी प्रदेश तो खुशहाल है ही। लेकिन मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश का सवाल आता है जिसमें हरदोई, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव और सीतापुर जिले हैं। औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों का विकास किया जाना चाहिए। यदि औद्योगिक विकास किया जाय तो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी स्वाभाविक गति से होने लगेगा। आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, इन सब पर निर्भर होता है पिछड़े क्षेत्र के विकास होने का। हमारे प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन बरसात में डूबी पड़ी रहती है और उसके निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। यदि पुरानी ड्रेनें, जिन पर कांग्रेस सरकार ने पैसा भी लिया होगा, लेकिन सफाई कभी नहीं कराई गयी। मैं यह चाहूंगा कि खेती के उद्धार के लिये इन ड्रेनों की सफाई हो और नई ड्रेनें बनाई जायं।

जहां तक आवागमन की बात है, हमारे यहां बड़ा भारी मार्ग हरदोई जिले में बिलरायां और पनवारी मार्ग है जो उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ता है और जिस पर अनेक स्थान जैसे बिलग्राम, कन्नौज और राजघाट जैसे धार्मिक स्थान हैं। लेकिन उस मार्ग पर न तो पुल है और एक छोटे से टुकड़े में तो सड़क भी नहीं है। आप कल्पना करें विकास कैसे हो। जी० टी० मार्ग से मिलाने के लिये राजघाट पुल नहीं है, विकास के लिये पानी और बिजली जरूरी है। लाइन मन्जूर हो जाती है। लेकिन नौकर-शाही उसको अपनी फाइल में डाले रहती है, बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती। हमारे जिले की बिसौरी और छिबरामऊ की दो विद्युत् लाइनें हैं जिनके बारे में विद्युत् मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अक्तूबर ७८ तक चालू हो जायेंगी। लेकिन चालू होना तो

दूर रहा, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। नई योजना में पता नहीं उसके बनने में कितने साल लग जायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर हम अपने प्रदेश पूर्वी अंचल की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें वहीं पर कम से कम मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां पर औद्योगिक विकास हो सकता है हरदोई, सीतापुर बाराबंकी आदि ऐसे जिले हैं जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं, इनके औद्योगिक विकास के लिए सम्भावित दरवाजे खोले जायं। क्योंकि अगर बीच का भाग पिछड़ा रहेगा तो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी जिले हों,यह बीच में एक कोढ़ की तरह बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री आँसान सिंह (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसके अन्तर्गत हम विधायकों को अपनी भावनाओं को सदन में रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। जो स्थिति प्रदेश की पिछली तीस वर्षों से रही है वही आज भी है। जिस तरह से पक्षपात विगत वर्षों में होता रहा है उसी तरह से पक्षपात मौजूदा सरकार की तरफ से भी हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज भी जो विकास की योजनायें हैं वे मंत्रियों के क्षेत्र तक ही सीमित हैं जिससे हम विधायकगण घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं। एक ही क्षेत्र में हमारे जनपद में ४२ किलोमीटर की सड़क पक्की कराई जा रही है जिसमें ४८ लाख ४० हजार की लागत आ रही है। इसके साथ ही उसी क्षेत्र में १२ लाख ७५ हजार की लागत का एक पुल बनाया जा रहा है जो कि अभी काम कर रहा है, जिसके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से लगभग ६२ लाख रुपये एक ही क्षेत्र में खर्च किये जा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो समान अवसर देना पड़ेगा और सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के लिये स्पष्ट घोषणा करे और वरीयता के आधार पर विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने का आदेश दे। अगर मंत्रियों के ही क्षेत्र का विकास करना है तो प्रदेश का सारा बजट पहले उन्हीं के यहां खर्च कर दिया जाय, फिर विधायकगण के क्षेत्र का नम्बर आये या फिर जो योजनायें सरकार बनाये उनका समान वितरण किया जाय अथवा सारे प्रदेश का सर्वे करा लिया जाय और शिक्षा के आधार पर, यातायात के साधनों के आधार पर, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के आधार पर सड़कों, उद्योग धन्धों आदि का निर्माण किया जाय समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाय। मैं अपने क्षेत्र विधूना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब विधान सभा में पहले मुझे बोलने का अवसर मिला था तो मैंने अपनी बात रखी थी लेकिन मेरी तथा मेरे साथी विधायकों की बात कागजों तक ही सीमित रह गयी है, कोई उसे सुनने वाला नहीं है। कानपुर से सिरसागंज २०० किलोमीटर सबसे लम्बा मार्ग है। पिछले शासन काल में १४-९-७६ को मंत्रिमंडल की उप समिति ने फतेहपुर की मीटिंग में उसे स्वीकृत किया था। इस मीटिंग से पहले चौबेपुर से बेला तक कम भाग स्वीकार किया गया था लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद बेला—विधूना १६ किलोमीटर बन कर तैयार हो गया है और पहले जो स्वीकृति हुई थी उसका

[श्री आँसान सिंह]

नम्बर आज तक नहीं आया। इसी तरह से विकास की योजनायें भी प्रेशर के आधार पर कार्यान्वित हो रही हैं जो राजनीतिक लोग प्रभावशाली हैं उन्हीं के क्षेत्र में कार्य होता है, दूसरी जगह नहीं होता। यह जो २०० किलोमीटर का मार्ग है यह ५ जिलों को मिलाता है कानपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी ,आगरा और इटावा को। इस मार्ग पर दो-दो फुट गहरे गड्ढे हैं जिससे बसों का आना जाना बन्द है। दस विधायक इस लम्बे मार्ग से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा हमारे यहां हरचन्दपुर ग्राम है जहां १० मील के आसपास आने जाने का कोई साधन नहीं है। वहां दो इन्टर कालेज चल रहे हैं। लड़के और लड़कियां सर पर बक्से लेकर और महिलायें सर पर बोझ लाद कर हरचन्दपुर पहुंचते हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन से किसी भी सड़क से इन ३० सालों में उसे नहीं जोड़ा जा सका है। इस प्रकार ३० सालों से उसकी उपेक्षा होती रही है और आज भी हो रही है। तो किस प्रकार देश का हित हो सकता है। मान्यवर, जिन स्थानों का विकास हुआ है उन्हीं पर योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं चाहे अस्पताल हों, चाहे पुल हों, चाहे कालेज हो, चाहे ग्रामीण उद्योग धंधों की स्थापना हो उन्हीं स्थानों पर हो रही है। इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि सरकार समयबद्ध एक निश्चित घोषणा करे और सभी स्थानों का विकास करने का समान अवसर प्राप्त हो। यह कह कर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके साथ ही मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना यह संकल्प रख कर मुझे बोलने का अवसर मिला।

मान्यवर, जब मैं यह देखता हूं, लोग यह कहते हैं कि इस संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है और जब उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का नाम आता है तो पूर्वांचल के क्षेत्रों का नाम आता है उसके बाद जब उनमें से फैजाबाद मंडल जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसका नाम आता है। फैजाबाद मंडल में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हमारा बहराइच का जिला आता है। तो हम सच्चे हृदय से चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, सब को समान अवसर मिले तो यह देखना होगा कि जो भी योजनायें लागू की जायं वह इस आधार पर लागू की जायं कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है उनको प्राथमिकता दी जाय और वहीं पर यह कार्य किये जायं।

जहां शिक्षा की बात आती है पूरे प्रदेश में जो औसत शिक्षा की संख्या है वह २१ प्रतिशत के करीब है बाकी लोग अशिक्षित हैं उनमें से भी बहराइच जनपद को हम देखते हैं तो वहां पर केवल ११ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। जब प्राइमरी स्कूलों के खोलने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात होती है, जब जूनियर हाई स्कूल खोलने की बात होती है तो हमको अन्य जनपदों से कम स्कूल दिये जाते हैं। वहां पर अभी भी प्राईमरी स्कूल पेड़ों के नीचे हैं। आज तक उनके भवन नहीं बने हैं और भवनविहीन वह चल रहे हैं।

इसके साथ ही जब सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के लिए शारदा सहायक परियोजना बनाई गई, घाघरा बैराज बनाया गया जिससे आधे उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था होगी लेकिन बहराइच को एक बूंद पानी नहीं दिया गया। जो घाघरा बैराज बनाने की बात की गयी उसमें बहराइच और गोंडा का उत्तरी क्षेत्र जो है वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक हम समानता के आधार पर इन कार्यों को करने लिये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी जनपद देश या प्रदेश का समुचित रूप से विकसित नहीं हो सकता है।

इसके साथ ही आप देखें जहां तक साधनों की बात है, यातायात की सुविधाओं की बात है उसमें भी बहराइच, गोंडा, लखीमपुरखीरी यातायात के साधनों से विहीन हैं। घाघरा पुल के पिछले बजट में ९ लाख ३५ हजार रु० निश्चित किया गया था जिसमें से ८ लाख रु० इस वर्ष सर्वेक्षण के लिये निश्चित हुआ था। मैं मान्यवर, उसी रास्ते से आता जाता हूं लेकिन देखता हूं कि एक इंच भी काम उसमें नहीं हुआ। इस घाघरा पुल के निर्माण हो जाने से गोंडा, बहराइच, बस्ती और गोरखपुर के लोगों को सुविधायें मिलेंगी। उनको विकास करने का अवसर मिलेगा।

जहां तक उद्योगों का प्रश्न है बहराइच में एक बूढ़ी चीनी मिल है जिसके ऊपर किसानों का दो लाख रु० बकाया पड़ा है। इसके अतिरिक्त वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं है। इस प्रदेश में यदि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है तो वहां पर जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता के आधार पर उन क्षेत्रों को विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए और उसे ज्यादा सुविधा देना चाहिए। इसके साथ ही, सिंचाई साधनों के सम्बन्ध में भी बहराइच और गोंडा बहुत पिछड़ा हुआ है। तराई क्षेत्र में जहां जमीन पथरीली और कंकरीली है और ट्यूबवेल्स सफल नहीं हो पाते हैं, पहाड़ी नालों पर बांध बनाये जायं और इस प्रकार से उन क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित सुविधा जुटाई जाय। जहां पर बड़े ट्यूबवेलों की आवश्यकता नहीं है, सैलो ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जाय, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में बड़ी आसानी और शीघ्रता होगी। इन शब्दों के साथ मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि वह पूरे क्षेत्र को एक समान दृष्टि से देखते हुए, पूरे प्रदेश को विकसित करने का समान अवसर देगी। वरना पिछड़े क्षेत्र और जिले पीछे ही होते चले जायेंगे और आगे वाले आगे ही बढ़ते चले जायेंगे।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस देश में ३२ वर्ष से गांधी जी की दोहाई देने वालों का राज्य है, बराबर सामुदायिक विकास की बात की गयी है, लेकिन आप देखें कि विकास की योजनायें किस प्रकार से लागू की जा रही हैं। चाहे इन्दिरा जी रही हों, या कमला-

[श्री जय राम]

पति त्रिपाठी जी या हमारे आज वाले जो पिछले समय में इसी प्रकार की मांग उठाते रहे हैं, उनकी ही मिली जुली आज सरकार है। किन्तु जब भी जिसको मौका मिला है, उसने सबसे पहले अपने को बनाने की कोशिश की है, उसके बाद अपने क्षेत्र को और फिर उसने अपने जिले पर ध्यान दिया है। मुख्य मंत्री जी के जिले से ही सटा हुआ मेरा क्षेत्र है, उनके जिले से जब कोई व्यक्ति बाहर आता है और मेरे क्षेत्र में आता है, उनको लगता है कि हम गाजीपुर जिले में आ गये हैं और खासकर जहूराबाद क्षेत्र में आ गये हैं। वह वहां आकर भारी असमानता, भारी पिछड़ापन अनुभव करता है। सड़कों के बारे में भी हम बराबरी चाहते थे। हमने उस विभाग के मंत्री के सामने अपने प्रश्न को रखा, लेकिन जो सत्ता पक्ष में हैं हमारे जिले के उनको यहां कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, वे अधिकारियों पर जोर डालकर अपने-अपने यहां के लिये करवा लेते हैं।

हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे यहां के हैं और वह समाजवादी विचारों के हैं। वह इतना बड़ा जिला है कि वहां पर बहुत सी जगहों पर डिग्री कालेज खोला जा सकता है और उन्होंने अपनी ईमानदारी का यह परिचय दिया कि समता विद्यालय को, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी और जो उनके गांव के करीब है, उसको ही डिग्री कालेज बनायेंगे। इसी प्रकार खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें लेने की बात है, हमने कहा है कि एक लिंक रोड बनाई जाय, लेकिन कोई नहीं ध्यान देता है। पिपरीडीह से नखतपुर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी को, डी०पी०ओ० और बी०डी०ओ० तथा अधिशासी अभियन्ता (पी०डब्लू०डी०) को लिखा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तमाम दरवाजों को हमने खटखटाया। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, दवा के बारे में हमारी सरकार जो मौजूदा है, मुझे अपनी सरकार कहना ही पड़ता है, मजबूरी में, जब इस मुल्क में है। मान्यवर इनकी घोषणा हुई, प्रारम्भिक चिकित्सा के लिये एक हजार लोगों के ऊपर एक डाक्टर देंगे उसको एक महीने के लिये ५० रुपये की दवा देंगे। पचास रुपये की दवा हमारे माननीय सदस्य एक दिन में डकार जाते हैं। उनके लिये पचास रुपये की दवा एक महीने के लिये। हमने उस बार भी सुझाव दिया था कि क्यों गरीबों की जिन्दगी से मजाक करते हैं, आप जिले में एक अस्पताल ऐसा बना दें जिसके अन्दर गरीब से गरीब आदमी अगर किसी तरह से उस अस्पताल तक चला जाय तो उसकी चिकित्सा हो जाय। एक हजार लोगों के लिये एक महीने में पचास रुपये की दवा देना, यह गरीबों के प्रति मजाक नहीं है तो क्या है? उसी तरह से शिक्षा के बारे में कहा गया। शिक्षा पद्धति को समान तरीके से लागू कीजिये। एक तरफ लोगों के लड़के कानवेन्ट और मान्टेसरी स्कूल में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ गरीब किसान और मजदूर फटे चीथड़ों पर बैठेंगे, मास्टर दिन भर काम करके चारपायी पर सोयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री नयराम—

यह मुल्क के उन गरीबों की जिन्दगी के साथ मजाक नहीं तो क्या है। गांधी जी की चिता पर रोटी सेंक कर खाना नहीं है तो क्या है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री लोग समय के अन्दर चेत कर उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास के बारे में सोचें।

*श्री पूरनचन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने पर्वतीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रख सकूं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी को। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान उस पर्वतीय अंचल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो पर्वतीय अंचल इस देश, प्रदेश की तस्वीर को बनाता रहा है। लेकिन कभी भी और किसी भी सरकार ने उस पर्वतीय अंचल में जिसका शोषण किया गया, उसकी ओर कभी भी नहीं सोचा। आज तीस वर्षों के बाद हमारी जनता सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए एक पर्वतीय विकास मंत्रालय भी खोला जिसका काम पर्वतीय क्षेत्र के लिए बजट देना है। लेकिन मान्यवर, वह विकास केवल इस बजट तक ही रह जाता है। यदि वास्तव में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय विकास मंत्रालय खोला है उसको यह अधिकार दे देना चाहिए कि वह उस पैसे का सदुपयोग कर सके, उसको स्वयं लागू कर सके। पर्वतीय विकास मंत्रालय पर्वतीय क्षेत्र के लिए पैसा अलाट तो कर देता है लेकिन वह पैसा यहीं वित्त मंत्रालय में घूमता रहता है और मार्च में यहीं लैप्स हो जाता है। पर्वतीय विकास मंत्रालय को यह अधिकार देना चाहिए कि वह स्वयं उन योजनाओं को लागू कर सके। वित्त विभाग वाला प्रश्न जो है यह अधिकार स्वयं पर्वतीय विकास मंत्रालय को हमारी सरकार को देना चाहिए।

आज सम्पूर्ण पर्वतीय अंचल कहता है, पश्चिम वाले कहते हैं कि परेशान हैं, उत्तराखंड वाले, बुन्देलखंड वाले कहते हैं कि हमारी परेशानियां हैं।

उत्तराखंड वाले कहते हैं हमारा उत्तराखंड बनाओ, पूर्वी प्रदेश वाले कहते हैं कि पूर्वी प्रदेश बनाओ . . . .

एक सदस्य—

पूर्वी प्रदेश वाले मांग नहीं करते।

श्री पूरन चन्द्र—

विकास वाली बात तो है। मैं सदन को आगाह कर देना चाहता हूं कि सरकार को पिछड़े अंचलों का विकास करना है। उन अंचलों के लोगों ने जनता सरकार को कामयाब बनाया है और वहां के लोगों की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं इस सरकार से हैं। मैं अपने पर्वतीय क्षेत्र की ओर, विशेषकर बागेश्वर क्षेत्र की ओर जहां से मैं चुनकर आया हूं, सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह क्षेत्र तिब्बत और चीन की सीमाओं से मिला हुआ है लेकिन आज तक इसको बोर्डर एरिया घोषित नहीं किया गया है। मैं सरकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पूरन चन्द्र]

निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र को बोर्डर क्षेत्र घोषित करें और दूसरे यह कि या तो पर्वतीय विकास विभाग को खत्म कर दें या फिर उसको अधिकार दें कि जो बजट दिया जाता है उसको योजनाओं के लिए अपने तरीके से खर्च कर सके। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समय पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगारी की भीषण समस्या है। हमारे पहाड़ में भी एक से एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, डाक्टर है, बी० एड० एम० एड० लोग हैं जहां हम पुरानी सरकार की बुराई करते हैं वहीं जो उसकी अच्छाई थी उसको भी रखना चाहिए।

पुरानी सरकार ने एक हिल कैडर बनाया था जिसमें हमारा रिजर्वेशन होता था और उससे हमारे डाक्टर्स, इंजीनियर्स, बी० एड० एम० एड० लोग खप जाते थे लेकिन आज जो स्थिति है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि हमें उत्तराखंड दिया जाय ताकि हम अपना विकास स्वयं कर सकें। जहां एक ओर सरकार द्वारा हमारे यहां अस्पताल खोले गये, फैक्टरीज खोली गयी, विद्यालय खोले गये वहां दूसरी ओर यह है कि न अस्पताल में, न फैक्टरी में और न विद्यालय में पर्वतीय क्षेत्र का एक भी आदमी रखा गया है। मैदानी क्षेत्र से लोगों को भेजा जाता है जो वहां ज्वाइन करके वापस मैदान में आ जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्र रोता रहता है। अन्त में एक बड़े मजे की बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया है लेकिन हमारे यहां के० एम० ओ० यू० में जो परमिट दिये जा रहे उन्हें उसमें एक भी हरिजन को परमिट नहीं दिया गया जबकि सरकार की दृढ़ नीति है कि हरिजनों का उद्धार किया जाय। वहां बस परमिट पाने के लिए २०० रु० एक हरिजन ने जमा किया और अर्जी दी है लेकिन उनको परमिट नहीं दिया जा रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और अपने साथी विधायक श्री तिवारी जी को उनके इस संकल्प के लिए धन्यवाद देता हूं।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का यहां पर विचार कर सकते हैं और शासन के सामने कुछ समस्यायें रख सकते हैं। मान्यवर, वैसे तो सारा प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है। बिहार, उड़ीसा आसाम तथा कुछ अन्य प्रदेशों को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में चाहे पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से देखें चाहे शिक्षा के प्रतिशत को लेवें, सभी दृष्टियों से अनेक प्रदेशों से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर भी साधारणतः ऐसी धारणा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मान्यवर आपके सामने एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसके बारे में वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा होगा। मैं कानपुर जिले से चुनकर आया हूं। श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने कानपुर जिले और कानपुर शहर को अलग कर दिया था और २ जिले बना दिए थे। उसके पीछे धारणा यह थी कि जो यहां की सरकार थी कानपुर महानगर के औद्योगिक विकास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कारण कानपुर ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रह जाता हैं । उसका समुचित विकास नहीं हो पा रहा हैं ।

मान्यवर, जनता सरकार बनी और जनता सरकार के बनने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि प्रारम्भ में ही यह निर्णय लिया गया कि कानपुर ग्रामीण क्षेत्र और कानपुर शहर को एक कर दिया जाये । जिसके सम्बन्ध में कानपुर के विधायकों ने इसका विरोध भी किया था । हमारे एक मित्र श्री राकेश चतुर्वेदी ने भूख हड़ताल की और इस्तीफा देने तक की घोषणा की । हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास हो इसका शासन ध्यान रखेगा । हमारी यह मांग कि कानपुर को ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया जाय इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी सहमत नहीं थे, लेकिन वह इस बात से सहमत थे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जायेगा । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा हैं कि आज १८-१९ महीने के बाद भी कानपुर देहाती क्षेत्र के विकास के लिये वहां पर सड़कों का निर्माण समुचित ढंग से नहीं हो सका वहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी । वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी । इस ओर किन्चित मात्र भी शासन ने ध्यान नहीं दिया हैं । मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह आधा शहरी हैं और आधा देहाती हैं । शहर से लगे हुए क्षेत्र की दशा का वर्णन क्या करूं । यहां पर सड़कें नहीं हैं । न गावों में पानी हैं । स्कूलों की व्यवस्था नहीं हैं । जब शहर से लगे हुए क्षेत्र का हाल यह हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का हाल क्या होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं । इसीलिए मैं सदन का अधिक समय न लेकर मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करें और वहां पर सड़कों, स्कूलों और सिंचाई तथा उद्योग धंधों की व्यवस्था की जाये । इन सबकी आज आवश्यकता महसूस होती हैं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी को पुनः धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, आज का विषय जो माननीय तिवारी जी ने सदन के सामने रखा हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं । मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे ही विषय सदन में आने चाहिए जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो । हमने देखा हैं कि हम आज डिस्कस करके भविष्य की योजनाओं की तैयारियां कर रहे हैं विकास सम्बन्धी । मेरी यही प्रार्थना हैं कि जो योजनायें बन रही हैं वे राजनीतिक न हो जायं । उससे उनका महत्व ही समाप्त हो जाता हैं । आज वाराणसी मंडल में कई योजनायें लागू की गई हैं जिनमें जौनपुर को वंचित ही कर दिया गया हैं । मेरी प्रार्थना हैं कि यह भी देखने में आया हैं कि जहां पर रेलवे लाइन जा रही हैं उसी के पास सड़कें भी बनायी गयी हैं । जिन जिलों में सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं हैं, वहां का सर्वे कराकर और गम्भीर रूप से विचार करके सड़कों आदि का प्रविधान किया जाय । पहले उन स्थानों को प्राथमिकता देना चाहिए जहां पर न तो रेलवे लाइन्स हों, जहां पर कच्चे मार्ग भी न हों और ऐसे क्षेत्र हों जहां पर पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल हो । जौनपुर जिले में रामपुर से पूर्वी इलाके में न तो

[श्री राम कृष्ण]

रेलवे लाइन्स हैं, न कोई कच्ची सड़क है, न कोई पक्की सड़क है, यहां ही नहीं और भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर पहुंच पाना ही कठिन है ऐसे स्थानों को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

दूसरी बात मुझे अस्पतालों के बारे में कहनी है । इनका भी सर्वे उचित ढंग से हो न कि पोलिटिकल ढंग से कि किसी-किसी स्थान पर तो २-३ और ४-४ मील पर अस्पताल हों और कहीं-कहीं पर १५-१५ और २०-२० मील पर हों । अस्पताल के बारे में दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि इनमें औषधियों की जो वितरण प्रणाली है वह बहुत ही दोषपूर्ण है । जो औषधियां हैं वे १ परसेन्ट ही वास्तविक औषधियां हैं । हमारे माननीय राज बहादुर यादव जी को एक इन्जैक्शन लगने से ही रिएक्शन हो गया और एक क्षण में ही उनका देहावसान हो गया । हमारे जिले के ही एक श्री नवाब साहब के रिश्तेदार थे, उनको एक इन्जैक्शन लगाया गया और उनको भी रिएक्शन हो गया । जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके बारे में तो यहां पर सदन में मालूम हो जाता है लेकिन प्रदेश में आये दिन कितने ही लोग इन्जैक्शन्स के लगने से मर रहे हैं । देश में इनकी संख्या हजारों में और हमारे प्रदेश में भी इन्जैक्शन और कैप्सूल के प्रयोग से रिएक्शन के कारण सैकड़ों मर जाते हैं जिनके नाम हम लोग नहीं जानते हैं । मिनिस्टर्स, सदस्यों और बड़े-बड़े आदमियों के नाम तो अखबारों में छप जाते हैं लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके बारे में पता भी नहीं चल पाता है । आज प्रदेश में एलोपैथिक औषधियों के वितरण की जो व्यवस्था है वह बहुत ही भयावह है जिनके रिएक्शन्स लोगों के प्राण हर लेता है । जौनपुर जिले में एक व्यापारी हैं । उन्होंने ग्लूकोज के बिस्कुट खिलाये, ७ व्यक्तियों में से २ मर गये और ५ अस्पताल में और बहुत से लोग बेहोश हो गये इन बिस्कुटों के खाने से । मिलावटी चीजों और गलत चीजों के कारण जो आये दिन मौतें हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग बिलकुल निकम्मा हो गया है । मैं क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछ सकता हूं कि इन चीजों की रोकथाम के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? (व्यवधान) जनता बड़े हौसले और बुलन्दी के साथ जनता पार्टी को जिता कर भेजा और यह आशा बनी थी कि यह सरकार कुछ अच्छे कामों को कर दिखायेगी, पर वह आशा धूमिल हो गयी । आज आपके कर्मों का अच्छा असर नहीं पड़ रहा है । इसलिये मैं माननीय तिवारी जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह सरकार इस पर ठंडे दिल से विचार करे ।

(व्यवधान)

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये समय-समय पर कई आयोग बैठे हैं और उनकी रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त होती रही हैं, मगर उस सब के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा गोरखपुर मंडल का, जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, विकास आज तक नहीं हो पाया है । उसके पिछड़ेपन का अन्दाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां के गरीब लोग, भूमिहीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसान, गोबर से अनाज निकाल कर धोकर खाते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने चकिया और चन्दौली का जिक्र किया, यह मेरे ही विधान सभाई क्षेत्र में आते हैं, मैं वहां से चुन कर आया हूं । वहां की हालत यह है कि उस इलाके में आज तक कोई रेलवे लाइन नहीं गयी है । यह है ३० वर्षों की उपलब्धि । यातायात के साधनों में केवल एक मात्र साधन बस ही है । बसें भी इतनी खराब हैं कि वे रास्ते में ही फेल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, यात्रियों को रात-रात भर तकलीफ उठानी पड़ती है ।

चन्दौली से धरौली तक एक कच्ची सड़क है जो बिहार प्रदेश को जोड़ती है, वह इतने महत्व की सड़क है मगर उसे आज तक पक्का नहीं कराया गया । बरसात में वह सड़क इतनी खराब हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है । वहां की मिट्टी चिकनी होने के कारण बरसात में सड़क पर चलना दूभर हो जाता है । मेरे क्षेत्र में आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ । वहां के लिये एक सर्वांगीण विकास की योजना बनानी चाहिये । योजना विकास योजना बनाता है, पर उसने हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये आज तक कोई योजना नहीं बनायी । हमारे यहां नहरों का जाल बिछा हुआ है पर पुल नहीं है । पिछली सरकार के सिंचाई मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी ने, गोंड़िया हालपुर, चन्द्रप्रभा नदी पर, चुनाव के पूर्व, एक पुल का शिलान्यास किया । जब मैं यहां आया तो उसके बारे में फाइल में कहीं जिक्र नहीं मिला । मैं बताना चाहता हूं कि चकिया चंदौली तो केवल बदनाम है और न वहां यातायात के साधन हैं न शिक्षा के साधन हैं । सिंचाई के साधन थे लेकिन बाढ़ आने के कारण वहां नहरें और बंधियां साफ हो गयीं । मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी समस्याओं को दूर करने के लिये शासन प्रयास करे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा इलाका ऊसर इलाका है । हमारी समस्यायें गम्भीर हैं । कल मेरा नाम था, मान्यवर, मुझको समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री अशफाक को बुला लिया है ।

श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

मान्यवर, जो संकल्प माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है, यकीनन वह धन्यवाद के पात्र हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि गोंडा जिला हिन्दुस्तान के पिछड़े जिलों में एक है । पिछली सरकारों ने उसे विरोधियों का क्षेत्र होने के नाते उसको बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे । निर्माण कार्य के नाम पर वहां एक ईंट नहीं रखी गयी । पूरे का पूरा क्षेत्र पिछड़ा है । जब जनता सरकार बनी तो प्रत्येक जिले में एक-एक मंत्री नियुक्त कर दिया गया । उन्होंने अपने-अपने जिलों के लिये हर विभाग से योजनायें लेकर कार्य शुरु कर दिया । लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से गोंडा जिले का कोई मंत्री नहीं हुआ इसलिये कोई योजना नहीं लागू हुयी । सड़कों के नाम पर वहां पर कुछ नहीं है । राप्ती नदी पर कौड़ी घाट पर पुल की व्यवस्था बजट में की गई थी लेकिन उस योजना का क्या हुआ पता

[श्री अशफाक]

नहीं हैं, धन कहां गया पता नहीं है। शिक्षा के नाम पर यह क्षेत्र पिछड़ा है। अधिकांश गांवों में दूर-दूर तक कहीं विद्यालय नहीं हैं जहां जाकर किसान भाई अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकें। बहुत सा कच्चा माल बलरामपुर में जो नेपाल की सीमा की तरफ से आता है वहां उपलब्ध है। लेकिन वह कच्चा माल उपयोग नहीं हो पाता है न अपने प्रदेश में न उस जिले में बल्कि पश्चिमी बंगाल में चला जाता है। मेरी शासन से गुजारिश है कि इसके लिये कोई स्कीम बनाकर इस कच्चे माल का उपयोग वहीं किया जाय। वेस्ट बंगाल को न भेजकर वहां गोंडा में कोई पेपर मिल आदि लगाकर इसका उपयोग किया जाय।

मान्यवर, अभी हाल ही में भयंकर बाढ़ आयी थी। पूरे का पूरा क्षेत्र पूरी बलरामपुर तहसील बुरी तरह से तबाह और बरबाद हुयी है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक दल भेजा गया था इसलिये कि एक योजना बना ली जाय जिससे अगली बार जब बाढ़ आ जाय तो समुचित व्यवस्था की जा सकें। मैंने उसमें एक सुझाव दिया था, कि बलरामपुर एक रियासत थी। रियासत ने बांधों का निर्माण कराया था जिससे बाढ़ का पानी तहसील और गांवों में दाखिल नहीं हो पाता था। अब तो बांध नष्ट हो चुके हैं। मैंने सुझाव दिया था कि सर्वेक्षण करके उन बांधों पर कार्य लगाया जाय जिसमें बाढ़ को रोकने की व्यवस्था और भुखमरी दूर हो सके। लेकिन मेरे सुझाव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर अर्थ वर्क नहीं किया गया है। मंडी समिति ने एक आध सड़क ली लेकिन वह भी वैसे की वैसे पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि मेरी बात आप शासन तक पहुंचायें और बलरामपुर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कोई समुचित योजना निर्धारित की जाय और वहां का विकास किया जाय।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया कि मैं भी अपने उपेक्षित क्षेत्र के विकास की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कर सकूं। मान्यवर, यों तो सभी ने अपने-अपने क्षेत्र के विकास की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। किन्हीं माननीय सदस्यों ने पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन की बात कही है और किन्हीं ने पश्चिमी जिलों के विकास कार्य करने के लिये निवेदन किया है। लेकिन हम इटावा के लोग कहां जायें जो कि न पूर्व में आते हैं और न पश्चिम में आते हैं और त्रिशंकु की तरह बीच में लटके पड़े हैं। मान्यवर, जिस नियोजन के कार्य के पीछे हम बड़े गर्व से सीना तानकर कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र का पैटर्न लागू किया जायगा क्योंकि महाराष्ट्र में नियोजन का कार्य सर्वोपरि है। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर इस नियोजन का जन्म इटावा जिले के अजीतमल क्षेत्र में हुआ था, पंडित नेहरू जब प्रधान मंत्री थे और गोविन्द बल्लभ पन्त इस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो उनके जमाने में अल्वर्ट मायर नाम का एक विद्वान पंडित नेहरू से मिला था और उन्होंने प्लानिंग के विषय में उपयुक्त धर्ती को चुनने की इच्छा व्यक्त की थी, पं० नेहरू ने श्री अल्वर्ट मायर को श्री पन्त जी के पास भेजा था और अल्वर्ट मायर ने उत्तर प्रदेश में इटावा की धर्ती को नियोजन के कार्य के लिये चुना था और महेवा

ब्लाक हिन्दुस्तान का पहला ब्लाक खोला गया था, उसके बाद अब यह महेवा ब्लाक अग्रगामी विकास योजना पायलेट प्रोजेक्ट अजीतमल के नाम से चुना जाता है। लेकिन नियोजन को जन्म देने वाले इस धरती की जितनी उपेक्षा हो रही है यह बहुत बड़े शर्म की बात है।

मान्यवर, काश कि इस अजीतमल की धर्ती पर भी कोई मंत्री पैदा हो गया होता, तो निश्चित रूप से इसका भी सर्वांगीण विकास हो पाता, क्योंकि जो भी मंत्री हो जाता है अपने-अपने क्षेत्र में लाखों और करोड़ों रुपयें की योजना ले जाता है। आज अजीतमल की यह विकास योजना 'गोबर गैस' के लिए केवल देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी प्रसिद्ध है लेकिन प्रदेश की सरकार इस योजना के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है यह शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसा बोले कि रिपोर्टर्स लिख सकें।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट—

जबकि इटावा जनपद में ही मंत्री के क्षेत्र में ४८ लाख ४० हजार की योजना केवल सड़कों के लिए मिली है और इसी तरह की अनेकों योजनाएं मंत्रियों के क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं। लेकिन हम विधायकों के क्षेत्रों की बहुत उपेक्षा की जा रही है। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह कभी मान सिंह, और लाखन सिंह की कर्म स्थली थी और आज वही हमारा विधान सभा क्षेत्र है। जमुना, चम्बल, क्वारी, सिंध पहूज आदि नदियां पंच नद पर मिलती हैं और वहां पर पंच नद बंध की योजना पिछली सरकार ने स्वीकृत की थी, लेकिन इस योजना पर इस शासन का जितना ध्यान जाना चाहिए था नहीं जा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है हमारी इन नदियों के किनारे के क्षेत्र सिन्हौस से लेकर जाजेपुरा, चौरैला, विन्डवा, गड़ीमंगव कचेहरी, करियावली, नीमरी, बैड़ौंदी बिठौंरी, हरौंली, पथर्रा, महुअसुड़ा आदि अत्यन्त उपेक्षित क्षेत्र में कोई दिन दहाड़े भी जाय, तो पेंड्डरी कांपती है। इनकी इस एरिया में राजकीय नलकूपों और सड़कों आदि की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिये। इस हमारे अजीतमल क्षेत्र के विकास के लिए अटसू अछाल्दा, अटसू, अहेरीपुर, भीखेपुर, जुआ, भीखेपुर जुहीखा, बावरपुर, सिवरौड़ी, चकरनगर, भरेह आदि सड़कों का निर्माण किया जाना जन-हित में अत्यन्त आवश्यक है तथा साथ ही सेंगर नदी पर रूरुआ बधुआ घाट तथा ऊंचा के घाट पर पक्के पुलों का निर्माण नितान्त आवश्यक है।

यदि आपने इस क्षेत्र के विकास के लिये कोई कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता में जनता पार्टी के प्रति असन्तोष बढ़ेगा और हमारे क्षेत्र की जनता आज भी यह पूछती है कि खाद्यान्न योजना, जैसी बराबर ४ सार्वजनिक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं न मालूम कहां चली गयीं, हमारे क्षेत्र में तो उसका कहीं नामोनिशान तक नहीं है। इस पर भी शासन का ध्यान जाना चाहिए और यदि हमारी आवाज को यह शासन नहीं सुनता है और हमारी आवाज को दबा देता है, तो मैं आपके माध्यम से शासन को आगाह करता हूं।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

मेरी सदा को बढ़ाना तो गैर मुमकिन है, मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा।
फसीले आतसी आहन बहुत बुलन्द सही, बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा।
नये ख्याल की परवाज रोकने वालों, नये आवाम की तलवार कौन रोकेगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, हमारा प्रदेश सबसे बड़ा है लेकिन साथ ही साथ पिछड़ा भी है प्राकृतिक दृष्टि से कई भागों में यानी चार भागों में बंटा है श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सराहनीय है। सदन में जो यह बात हो रही है कि कुछ नहीं हो रहा है तो इससे हमें इन्कार नहीं करना चाहिए कि भूतपूर्व सरकार से नई सरकार ने बहुत योजनायें परियोजनायें विकास के माने में बनाई है और उसमें तरक्की किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ देखें कि जो समाजवादी सरकारों का तरीका होता है कि गांव की साधारण जनता तक विकास को ले जायंगे तो उसमें जैसा सरकार कर रही है वह केवल एक ढिंढोरा है।

मान्यवर, आज पूर्वांचल की बात है, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी कमिश्नरी में देखें तो जमीन आसमान का आप अन्तर पायेंगे। उसी तरह पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों को लें तो वहां यह अन्तर पायेंगे। जो कांग्रेस सरकार ने परम्परा कायम किया है वही परम्परा यह सरकार भी कायम कर रही है। प्रदेश के जिस हिस्से से निर्माण मंत्री, खाद्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री होते थे वहां सारी चीजें उपलब्ध करायी जाती थीं। पश्चिमी जिले जैसे चकिया चंदौली में घर-घर बिजली है। जौनपुर के निर्माण मंत्री थे तो वहां चूहे के चलने के लिए भी सड़कें बन गयी जैसा माननीय सदस्य रवीन्द्र सिंह ने आजमगढ़ के बारे में कहा, मैं उसको दोहराना नही चाहता हूं लेकिन बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ की जो स्थिति है, वहां जो सौतेला व्यवहार भूतपूर्व सरकारों ने किया है वही व्यवहार यह सरकार भी कर रही है और पिछड़े जिलों को बिल्कुल छोड़ रही है और गांव की तरफ तो बिल्कुल ही उदासीन है।

मान्यार, हमारे क्षेत्र में आप देखें। हमारे जिले से मित्रसेन जी है उनके क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी सड़क नहीं है जो पिच्ड न हो। अन्य कई जिलों में पिच्ड है। हमारे क्षेत्र से २० किलोमीटर की दूरी में टोंस नदी है जिस पर कोई भी साधारण पुल तक नहीं बना है। २० किस्ती स्थानीय है जिनसे उतरा चढ़ा जाता है। हमारा क्षेत्र उससे कट जाता है। क्योंकि कंकड़ की केवल एक सड़क है। मैंने इस सरकार के निर्माण मंत्री से कहा था कि सड़क और पुल बनवा दें लेकिन नहीं हुआ जबकि वह क्षेत्र मुख्यमंत्री के जिले का बारडर है लेकिन उनके वहां डामर और रोलर चल रहे है किन्तु हमारा क्षेत्र उपेक्षित है। टूंडी नदी पर पुल नहीं है।

मान्यवर, दवा से हमारा क्षेत्र वंचित है। जच्चा बच्चा वाली औरतें रास्ते में ही मर जाती है क्योंकि छोटे मोटे पुल तक नहीं है इसलिये जो सरकार विकास कर रही है उसको पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिये और उनका सर्वे कराकर पिछड़े जिलों को जैसे बांदा, हमीरपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि को विशेष सुविधा

जैसे डिस्पेन्सरीज, स्कूलों और पुलों और सड़कों का निर्माण कर विकास का कार्य तत्काल करना चाहिये ।

(श्री श्याम सुन्दर गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, जिनको पांच सात दिन तक मौका नहीं मिला बोलने का, उन्हें आप मौका क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास जितने नाम आते हैं मैं उनको देख कर ले रहा हूं क्योंकि पिछड़े क्षेत्र का मामला है जिस पर चर्चा हो रही है । अपने विवेक का प्रयोग कर सभी को अवसर दूंगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मेरी पहली प्रार्थना यह है कि व्यवधान का समय न जोड़ा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो योग्य सदस्य हैं पांच मिनट का भाषण तीन ही मिनट में कह देंगे ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा । माननीय तिवारी जी के इस संकल्प का समर्थन करते हुए मैं इस बात का समर्थक हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित, स्पष्ट और समय बद्ध नीति निर्धारण यह सरकार करे । यदि यह तय हो जाय कि प्रदेश में इतने क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विकास का कार्य नहीं हुआ और उनमें निश्चित रूप से, समय बद्ध रूप से यह नीति होगी, इस-इस प्रकार के विकास के कार्य होंगे, एक बार निश्चित नीति ऐसी हो जाय तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इस बात का समर्थक होउंगा और इस सदन में यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा है ।

हमें बड़ी शर्म होती है यह कहते हुए कि बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है । मैं उस प्रखण्ड का पहला व्यक्ति हूं जो इस बात को आपके सामने रख रहा हूं । अभी माननीय गौरी शंकर जी बोल रहे थे । उन्होंने कुछ नदियों का नाम बताया । उस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पचनदा योजना पिछली सरकार में बनायी थी । पांच नदियों का संगम उस स्थान पर है । यदि वहां पर बांध बनाया जाय तो समूचा बुन्देलखण्ड ही नहीं प्रदेश का एक तिहाई भाग वहां से सिंचित हो सकता है और वहां से विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है और इस प्रदेश के तमाम भागों को उससे लाभ हो सकता है ।

मान्यवर, इस संकल्प का और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जालौन जनपद में मान्यवर अस्पतालों की बड़ी दुर्दशा है । यदि उरई को छोड़ दिया जाय तो जितने भी

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त—]

तहसील केन्द्र हैं उन में कहने को तो राजकीय अस्पताल हैं लेकिन वे राजकीय अस्पताल के नाम पर कलंक हैं। वहां खंडहर के रूप में इन्हें रखा गया हैं। जानवरों को बांधने तक की जगह नहीं हैं। क्या इन्हें राजकीय अस्पताल कहा जा सकता हैं। चालीस हजार आबादी वाले कस्बों के तहसील केन्द्र पर अस्पतालों के लिए कोई विकास का कार्य नहीं किया गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में चार नदियां हैं। यमुना, बेतवा, पहुंच और क्वारी। क्वारी नदी हमारे जिले से गुजरती हैं। मान्यवर, यदि बेतवा नदी के मुहानाघाट पर बांध बनाया जाय तो पूरे हमीरपुर जिले की रोड खुल जाय। इसी प्रकार शेरगढ़घाट पर बांध बनाया जाय तो इटावा से दूरी घट कर हमारे जनपद की बड़ी तरक्की हो सकती हैं।

एक बात और निवेदन कर दूं, मान्यवर। बुन्देलखन्ड की धरती उर्वरक धरती हैं। वह एक तिहाई उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न सप्लाई करती हैं लेकिन आज भी सिंचाई का इतना अभाव हैं कि केवल ७८ प्रतिशत सिंचाई की सुविधा वहां पर हैं दोनों फसलों के लिये। ३८ प्रतिशत सुविधा केवल एक फसल के लिये हैं। आप केवल सिंचाई की सुविधा बढ़ा दें बाकी हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमने सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक अतिरिक्त रिंग डिवीजन हमारे जनपद में बना दें। हमारे यहां ट्यूब वेल की समस्या हैं, ट्यूब वेल हमारे जिले में लगाये जायं। नहरों की आवश्यकता उतनी नहीं हैं। आज बुन्देलखण्ड में जालौन जनपद ही ऐसा हैं कि जहां ट्यूब वेल सफल होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि वहां एक रिंग डिवीजन खोला जाय तो ट्यूब वेल की समस्या हल हो सकती हैं।

एक बात कहना चाहता हूं कि जहां यह इलाका खेती में इतना विकसित हैं, वहीं पर मिट्टी के परीक्षण की बड़ी परेशानी हैं। यहां से १० करोड़ से अधिक का गेहूं हर साल पूरब को भेजते हैं लेकिन मिट्टी के परीक्षण का केन्द्र लखनऊ या कानपुर में हैं। इस-लिए जालौन जनपद को बड़ी दिक्कत हो रही हैं। इसलिए निवेदन हैं कि इसको जालौन जनपद में खोल दिया जाय ताकि जो किसान अपनी खेती में प्रगति करना चाहते हैं, उनको सुविधा मिल सके और वे प्रगतिशील खेती कर सकें। एक बात और निवेदन कर दूं। जहां एक ओर हम तमाम अन्य बातों में पिछड़े हुए हैं, वहां पर एक बात पर हम शून्य हैं और वह हैं उद्योग। उद्योग के नाम पर वहां कुछ नहीं हैं और उद्योग वहां पर नगण्य हैं। आज बुन्देलखण्ड में मात्र झांसी जिले को सुविधा हैं और वहां कैपिटल सब्सीडी देते हैं। लेकिन जालौन में कोई सुविधा नहीं हैं और इसके कारण वहां कोई भी उद्योग नहीं हैं। न राजकीय उद्योग लगा हैं और न प्रायवेट उद्योग। सब्सीडी और विश्वसनीय पावर न होने के कारण औद्योगीकरण के लिये आदमी बढ़ नहीं पाता हैं। इसके कारण जिन्हें पैसा लगाना हैं, वे संकोच कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि झांसी जनपद की सुविधायें वहां प्राप्त नहीं होंगी। अतः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

एक बात की ओर और भी मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक आवागमन के साधनों का प्रश्न हैं, उसमें भी जालौन बहुत पिछड़ा हुआ हैं। इस

सम्बन्ध में कहना हैं कि आप सड़कें जब बनवायें तब बनवाते रहें लेकिन सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं और पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन हैं कि उसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें। सुझाव यह हैं कि आप समूचे प्रदेश के लिये योजना लागू कर दें कि जो ग्रामीण श्रमदान से कच्ची सड़कें बनायेंगे, उनको अनिवार्य रूप से पक्की करा देंगे। मेरी प्रार्थना हैं कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में आश्वासन दें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने जनपद में और अपने क्षेत्र में अगर वे इस बात की घोषणा कर दें, तो इतनी सड़कें श्रमदान से कच्ची बनवा देंगे कि इस सारी समस्या को हल कर देंगे।

अब आखिरी बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। आपकी योजना पारित हुई कि जहां-जहां कैनाल रोड हैं उनको पक्का करेंगे, लेकिन जालौन में एक इंच भी कैनाल रोड नहीं बनायी गयी। इसलिये निवेदन हैं कि शासन इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

जिसको बोलने का मौका नहीं मिला, उनको पहले मौका दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम द्विववेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको नहीं, श्रीराम जी को अवसर दिया हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश पाण्डेय—

मान्यवर, आपने कहा था कि मुझको बोलने का मौका देंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। जिसको बोलने का मौका दिया हैं, पहले उसको बोलने दें और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कृपया दूसरा सदस्य बोलने का प्रयास न करें क्योंकि उससे दिक्कत होती हैं और व्यवधान उत्पन्न हो जाता हैं। उसके बारे में अध्यक्ष जी ने भी कहा हैं कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। इसलिये उस गरिमा को बनाये रखने का प्रयत्न करें। क्षेत्र की बात चल रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर जिले से कम से कम एक सदस्य को अवसर मिल जाय और कहीं ऐसा न हो कि एक ही जिले के दो-तीन सदस्य

[श्री उपाध्यक्ष—]

हो जायं। आप कृपया उनको बोलने दें। दस-बारह सदस्य और बोलने को हैं। अगर सरकार ने क्लोजर न मूव किया तो सबको अवसर मिलेगा।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस समय किसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही हो, उस समय लाबी में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। अध्यक्ष जी ने भी ऐसी व्यवस्था दी है। इस समय इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है लेकन लाबी में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय मंत्रियों की संख्या भी बहुत कम है और अधिकारी तो एक भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी इस बात का ख्याल रखें कि नियोजन के ऊपर बहस हो रही है जो पिछड़े क्षेत्र से संबंधित है। अगर अधिकारी न मौजूद हों तो कृपाकर उनको बुलवा लें।

(व्यवधान)

*श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और जनप्रतिनिधि और यह जन प्रिय सरकार इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना चाहती है, इस दृष्टि से यह संकल्प निश्चित रूप से लाना पड़ेगा। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो यह सही है राजनैतिक दृष्टि से सबको समान अवसर मिले। साथ ही अगर हम इस प्रदेश में आर्थिक लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो हमें क्षेत्रीय संतुलन विकास के लिए योजना का निर्माण करना पड़ेगा। अब तो इस देश और प्रदेश में जो देखा गया है संतुलित विकास की जो योजनाएं बननी चाहिए थीं, वह नहीं बनी और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही योजनाओं का निर्माण हुआ। हम आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। विशेष रूप से जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूं पूरा क्षेत्र ऊसर का इलाका है और नदियों के कारण बालू का क्षेत्र है। ऊसर होने के नाते कृषि की दृष्टि से इसका विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अपना प्रदेश कृषि प्रधान होते हुए भी उस दृष्टि से सन्तोषजनक काम नहीं हुआ। इसके साथ ही विकास उस समय सम्भव है जब आवागमन के साधनों का भी विकास हो। लेकिन हमारे क्षेत्र में न तो रेलवे की दृष्टि से जहां पर बड़ी लाइन होनी चाहिए थी बनारस से भटनी और शाहगंज से बलिया तक वह नहीं बनीं। यह केन्द्रीय सरकार का मसला है और प्रदेश सरकार को इस मसले को उठाना चाहिए। हमारे यहां मऊ कस्बा है जिसकी आबादी एक लाख से भी अधिक है। बहुत पहले से मांग की जा रही है कि इसे जिला केन्द्र बनाया जाय। क्योंकि प्रशासनिक दृष्ठिकोण और औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से विकास छोटी-छोटी प्रशासनिक ईकायों द्वारा होना चाहिए लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे प्रशासनिक इकाई न बनाकर शासन ने उसकी उपेक्षा की है। लिहाजा मऊ को एक औद्योगिक केन्द्र होना चाहिये ताकि पूर्वी क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके। समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि मऊ को एक तहसील बनाने जा रहे हैं। जिसे जिला केन्द्र होना चाहिए वहां तहसील की बात करना हास्यास्पद है। मऊ को जिला केन्द्र बनाया जाय।

जब शिक्षा की दृष्टि से विचार करते हैं तो पूर्वी प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय है जिसकी बड़ी दुर्गति है। परीक्षाओं में वहां अनेक प्रकार की धांधलियां होती हैं। शिक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिये एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जो केन्द्रीय स्थान पर हो और जो सड़क व रेल दोनों से सम्बन्ध हो और जिसकी दूरी उस क्षेत्र के सभी नगरों से बराबर दूरी पर हो। जब इस दृष्टि से विचार करते हैं तो मऊ ऐसा स्थान है जहां पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

पूरे प्रदेश में टेक्सटाइल की दृष्टि से कानपुर का नम्बर है। वहां टेक्सटाइल की शिक्षा के लिये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कालेज है। अगर सरकार टेक्सटाइल का विकास चाहती है तो एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना मऊ में भी होनी चाहिये।

जन स्वास्थ्य का जहां तक सम्बन्ध है मऊ में १ लाख से ऊपर आबादी का नगर होने के बावजूद इतना छोटा अस्पताल है जिससे लोगों की सेवा नहीं हो पाती है जब कि गाजीपुर और बलिया के लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। उस अस्पताल को जिला स्तर का अस्पताल होना चाहिए। वहां के जीर्ण-शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है पनेरा रेलवे स्टेशन से बहादुरगंज तक सड़क जरूर बनाना चाहिये। इसके अलावा भातकोल कोपागंज सड़क पर सरयू पर पुल बनाना चाहिये क्योंकि सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग बना रहा है उसके लिये तो वह बधाई का पात्र है लेकिन बगैर पुल के उस सड़क की कोई उपयोगिता नहीं है। टोंस नदी पर पूरा घाट पर छोटा सा औद्योगिक केन्द्र है मऊ से उसे जोड़ने के लिये औद्योगिक विकास के लिये सड़क बनाना आवश्यक है। अन्त में मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि सत्ता पक्ष से तीन सदस्य बोलेंगे और विपक्ष से एक। सत्ता पक्ष से तीन सदस्य बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

तीन नहीं बोले हैं। फिर तीन और एक का अनुपात तब देखा जाता है जब आपका दल न बोला हो और सदस्यों की संख्या पूरी हो। इधर से ज्यादा लोग उठते हैं तो उनको मौका भी अधिक मिलेगा।

श्री मित्रसेन—

यह तो व्यवस्था आपने ही दी थी कि सत्ता पक्ष के तीन बोलेंगे और विपक्ष से एक को मौका मिलेगा।

*श्रीराम नरेश पाण्डेय—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूर्वांचल जिलों में हमारा निर्वाचन क्षेत्र फाजिलनगर सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। बिहार के बार्डर पर होने के नाते ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत वहां नहीं पहुंच पाती है। हमारे क्षेत्र में अगर दो ही चीजों की व्यवस्था कर दी जाय तो हमारा क्षेत्र खुशहाल हो जाय। यह इलाका खेतिहर है लेकिन वहां कोई रोजगार के साधन नहीं हैं, कोई कुटीर उद्योग वहां नहीं है। वहां पर कोई टाउन एरिया, म्युनिसपैलिटी या नोटिफाइड एरिया नहीं है। हमारा क्षेत्र गंडका का क्षेत्र होने के नाते वहां नहरों का जाल बिछा हुआ है। हम आभारी हैं कि जनता सरकार के राज्य में वहां सड़कें बनने लगी हैं। अगर वहां रजवाहों की पटरियों को पक्का कर दिया जाय तो नई सड़के बनाने की जरूरत नहीं होगी और वह लिंक रोड का काम करेंगे।

दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में जूट, हल्दी, पटसन और कटहल की पैदावार बहुत होती है और अगर इन पर आधारित कोई कुटीर उद्योग स्थापित कर दें तो बड़ी मदद लोगों की हो जायेगी। दुधही इलाके में जूट की फैक्ट्री लगायी जा सकती है। मत्स्य-पालन की भी वहां काफीगुंजाइश है हर दस बीस गांव के बीच में पोखर हैं वहां पर मच्छी पालने का काम कराया जाय तो हर आदमी को बहुत फायदा होगा।

हमारे यहां जो कुलाबे हैं जो नहरें हैं जो छोटी और बड़ी निकली हैं उनको अगर गहरा कर दिया जाय तो पानी की अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

फाजिल नगर निर्वाचन क्षेत्र में मधुरिया गंज राजबाहा की बांई पटरी, जैकुवा समरी राजवाहे की बांई पटरी को पक्का किया जाय तो यह लिंक रोड का काम कर सकता है। दुधही क्षेत्र में मत्स्य पालन का काम किया जाय, शंकरपुर घोरट में सेरीकलचर की बहुत संभावना है। वहां पर हजारों एकड़ में सहतूत के पेड़ों को उगाने का काम हो रहा है। वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी जाय। जौरा बाजार से बेलदा कारखाने की बीच सोडभद्र नाले पर पुल बनाया जाय। वहां पर रेशम के उद्योग की बड़ी संभावना है उससे हजारों लोगों को काम मिल सकता है। इसी तरह तिरमुहानी घाट पर पुल बनाया जाय। मान्यवर, जो मिनी राइस प्लान्ट निजी क्षेत्र में खोला जा रहा है उससे काफी राहत मिलेगी। वहां पर आलू के लिये कोल्ड स्टोर की बहुत आवश्यकता है। हमारा फाजिल नगर का इलाका आलू के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। वहां १० हजार एकड़ में आलू पैदा होता है। पिछले साल सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन हमारे इलाके में हुआ। हमारे यहां गरीबी दूर करनी है तो लिंक रोड्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि तिर-मुहानी घाट से जौरा बाजार भठनियां इन्टर कालेज के बीच में पुल बनाया जाय। अगर सोड़भद्र नाले पर पुल बन गया तो मंडी तक जाने के लिये लोगों को सुविधा हो जायेगी। हम खुशनसीब हैं कि हमारी सरकार ने मंडी समिति की ओर से सड़कों का निर्माण किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। लेकिन उनमें मिट्टी डाली गयी है जो बरसात में बह गयी है जो पैसा इनवेस्ट हुआ था वह चौपट हो गया है। इन सड़कों पर मिट्टी के बदले कंकड़ डालने का काम करवायें।

हमारे यहां नहरों का जाल निकला है उनको अगर गांवों में भी पहुंचाया जाय तो लोगों को काफी फायदा हो सकता है। दुद्धी के आस-पास का इलाका बहुत गरीब है जहां से गोंदा सिंह जी आते थे वह बहुत पिछड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसी तरह टांडी भार से नहर निकाल कर पूरे मौंजे को पानी दिया जा सकता है। विजय पुर उत्तर पट्टी के पास नहर पर एक पुल बना दिया जाय और हमारे यहां लिंक रोड्स का प्रबन्ध कर दिया जाय। धन्यवाद।

*श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों और खासकर अपने सबसे पिछड़े हुए जिले की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया, साथ ही मैं तिवारी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत करके मुझे यह सुअवसर दिलाया है। मैं प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए जिले का हूं। प्रदेश में सत्ता कभी पश्चिम के हाथ में रही और कभी पूरब के हाथ में रही और बारी-बारी से पूर्व और पश्चिम के जिलों का विकास होता रहा। किन्तु मध्य उत्तर प्रदेश राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा रहा, जिसके कारण वह औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक सभी दृष्टियों से पिछड़ा रहा और पिछड़ता चला गया। जब पुलिस के संबंध में जैन कमीशन की रिपोर्ट आयी, तो उसमें हरदोई जिला एक प्रमुख अपराधी जिला घोषित किया गया। तो उस जिले को अपराध के उस स्तर तक पहुंचने का कारण क्या था। उसका कारण यह है कि वहां के नवयुवकों को कोई कार्य नहीं है रोजगार नहीं है। उनके साथ खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत चरितार्थ होती है और वह खाली होने के कारण अपराधी प्रवृत्ति की ओर बढ़ चले। वहां कोई भी ऐसी औद्योगिक इकाई नहीं है, जिसमें २-३ हजार युवक काम कर रहे हों। केवल एक चीनी मिल पुरानी चली आ रही है। वहां सोवियत रूस के कलोबूरेशन से एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात चलाई गई, कार्य शुरू हुआ, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कार्य को रोक दिया गया।

वहां एक डालडा उद्योग प्रस्तावित है, वर्षों से पड़ा है, लेकिन उक्त सहकारी डालडा मिल का काम शुरू नहीं हो रहा है। आज सरकार लोकतन्त्र और पंचायती राज की बात कहती है, लोहिया जी के सिद्धान्तों की दुहाई देती है, किन्तु उनके चौखम्भा शासन के आधार स्तम्भ पंचायती संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं का इतना शोषण हो रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे यहां के जितने किसान हैं। उनके लिये रोजगार का साधन केवल खेती है और उस पर प्रति बीघा पर भार बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जब तक इस जनपद में कोई औद्योगिक इकाई, किसी नई परियोजना और कुटीर उद्योगों की स्थापना नहीं होगी, यहां के लोगों के जीवन स्तर को उठाया नहीं जा सकता है। हरदोई ही नहीं, स्वयं मान्यवर का जिला लखीमपुर खीरी सभी दृष्टियों से बहुत पिछड़ा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशोक वाजपेयी—]

सिंचाई की दृष्टि से केवल २-३ नहरें हैं, जो कुल सिंचाई का १० प्रतिशत हिस्सा भी नहीं सींच पाती हैं । वहां केवल ५० राजकीय नलकूप ही अब तक बन पाए हैं । उनको और बढ़ावा दिया जाए । मार्गों की दृष्टि से भी यह पिछड़ा हुआ है । प्रमुख-प्रमुख कस्बों और जिलों को जोड़ने के लिये भी मार्ग नहीं वहां बन सके हैं । सार्वजनिक मंत्री ने कुछ उदारता बरती है और उन्होंने हमें कुछ सड़कें दी हैं । मैं आशा करता हूं कि शायद उससे कुछ राहत मिल सके, लेकिन वह आगे उसे और सुविधा प्रदान करें ।

हमारे यहां के लिये राजकीय परिवहन की योजना प्रस्तावित है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार आलस्य कर जाती है कि वह योजना कभी आगे नहीं बढ़ पाती है । इससे जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं । प्राईवेट वाले मनचाही सवारी भरते हैं और मनचाहा किराया वसूल करते हैं । मैं परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर भी राजकीय परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं । वहां पर केवल एक महाविद्यालय है, जो तमाम नौजवानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है । हरदोई जिले के कस्बा पिहानी में, जिसकी आबादी २० हजार है, वहां पर एक महाविद्यालय खोला जाए और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी बालिका इंटर कालेज बनाए जाएं ।

वहां पर पानी भरने की भी समस्या है, जिससे केवल एक बरसात की फसल हो पाती है । रामपुर, रामनगर व मंसूरनगर जो ड्रेन हैं, उनका सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया जाए । फसलों की बर्बादी के कारण किसान तबाह हो रहे हैं । वहां पर भंगरा कीटकमला कीट ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया है ।

उसके कारण जैसे ही फसल उगती है भंगरी खा जाती है, तीन-तीन बार फसलें बोई गयीं लेकिन नष्ट हो गयीं । सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । ऐग्रीकल्चर डायरेक्टर कहते हैं कि भंगरी को डंडे से मारा जाय । डंडे से भंगरी की रोक-थाम कैसे हो सकती है ? मैं इस सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि युद्ध स्तर पर इस कीड़े को मारने की व्यवस्था की जाय और विदेशों से दवाई मंगवा कर इस समस्या का निराकरण किया जाय ।

(श्री मित्रसेन का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मित्रसेन ।. . . . . (व्यवधान) चार इधर के बोल चुके हैं अब मित्रसेन को बोलने दीजिये ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर)—

हम सुबह से कसरत कर रहे हैं । आप एक लिस्ट बना कर टंगवा दिया करें ताकि हम लोगों को कसरत न करनी पड़े ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये तो नियम में परिवर्तन करायें । जिन माननीय सदस्यों को बोलना होता है उनको खड़ा होना पड़ता है और तब हमारी निगाह उनके ऊपर जाती है ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

आप जिसका नाम जानते हैं उसे बुला लेते हैं। जिसका नाम नहीं जानते हैं कम से कम उसको इंगित कर दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष—

नाम जानना जरूरी नहीं है। अगर खड़े हों तो इशारे से बुलवा सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि पीठासीन अधिकारी सब का नाम जानें।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मेरा नाम भगवानदीन कुशवाहा है। मुझे समय दिया जाय।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मैं भी बार-बार . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दल के नेता बोल चुके हैं। आपको मौका नहीं मिल पायेगा।

श्री मित्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य रवीन्द्रनाथ तिवारी के इस संकल्प के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संकल्प की मूल मंशा यह है कि प्रदेश के उन क्षेत्रों का जिनका विकास नहीं हुआ है पूर्वांचल के १०-१२ मुख्य पिछड़े जिले हैं, यह प्रस्ताव इस मंशा से है कि पूरे प्रदेश के स्तर पर, स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य, बन्धे पुल, सम्पर्क मार्ग, समान रूप से विकसित होने चाहिये। किसी क्षेत्र विशेष जिसका मंत्री हो, या सम्बन्धित अधिकारी हो, उन्हीं क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास होता आया है। उस सम्बन्ध में कुछ न कुछ यह जरूर होना चाहिए जो माननीय तिवारी जी ने सदन में रखा है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार के इतने स्वस्थ और सुन्दर विचार को, जो इस सरकार का अपनी रीति नीति उस सम्बन्ध में अपनाना चाहिये। वैसे तो यह सरकार भी हमेशा चेहरा और टोपी लेबिल बदलने वालों की है। मैं तो उम्मीद नहीं करता, इनसे कोई उम्मीद करनी थी नहीं कि देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकेगा जिससे ग्रामीण जनता को लाभ हो जो विकास हो वह ग्रामीण स्तर तक पहुंच सके। यह आशा नहीं की जा सकती। दरअसल विकास की मंशा गांव में रहने वाली जनता, जो हमेशा शोषित और उपेक्षित रही है वह लाभान्वित हो सके, अगर ऐसा हो सके तो उस समय इस सरकार को धन्यवाद दिया जा सकता है।

माननीय परिवहन मंत्री बैठे हैं। सीतापुर में सारी बसें नयी हो गयीं। फैजाबाद जनपद से रायबरेली फैजाबाद ९० किलोमीटर की रोड है उस पर अवध विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय है लेकिन न वहां रेल लाइन है और न सड़कों पर इतनी बसें चलती हैं कि जो जनता की परेशानी है वह दूर हो सके। मैंने माननीय मंत्री का कई बार ध्यान आकर्षित किया लेकिन माननीय मंत्री ने उपेक्षा की दूसरी तरफ माननीय मंत्री सार्वजनिक

[श्री मित्रसेन—]

निर्माण बैठे हुए हैं । इनका ध्यान बार-बार फैजाबाद की सड़कों और वहां के अधिकारियों के सम्बन्ध में आकर्षित किया गया लेकिन जिस तरह से इन्होंने उपेक्षा की है और जो आरोप इस पर लगाया जाता है कि इन्होंने आजमगढ़ में सड़कों का जाल बिछा दिया क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए । इस सरकार का स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश का समान विकास हो सके । मैं अधिक न कहते हुए केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी रहती है उसको देखते हुए प्रतिशत के आधार पर वहां विकास किया जाना चाहिए चाहे वह पूर्वान्चल हो या पश्चिम का क्षेत्र हो । यह सरकार जनता के सामने एक आदर्श उपस्थित कर सके इस भावना से कार्य करना चाहिये ।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपके पास सूची में नाम लिखा आया [xxx] उसको तो मौका मिल गया और जो मर्यादित ढंग से सदन के नियमों का पालन करते रहे उनको समय नहीं दिया । अगर सदन का यही नियम हो तो हम भी वही रास्ता एडाप्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन चलाना एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है । यह तो सब माननीय सदस्यों की है । पीठासीन अधिकारी ऐसा नहीं है जो कि हड़बोंग मचाता हो उसी को समय दें । या तो आप अपने शब्दों को वापस लें नहीं तो इसको मैं कार्यवाही से निकालने का निर्णय लेता हूं ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी भी सुन लें । मैं कहना चाहता हूं कि आपने कल भी नाम लिखा और समय नहीं दिया । आज भी मैं सुबह से दसियों बार खड़ा हुआ लेकिन समय नहीं मिला, उठते-उठते पैर भी थक गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हर समय और हर विषय पर खड़े होते हैं । दूसरे माननीय सदस्यों को खयाल हो जाता है, जैसा कि अभी विद्या शंकर जी कह रहे थे, कि जो उठकर हल्ला मचाते हैं उनको समय दे दिया जाता है तो यह भावना बदलिये ।

श्री मानसिंह आजाद—

आपके दिमाग में गलतफहमी है । मेरे बारे में कोई ऐसा नहीं कहता । आपने कल नाम लिखा उसके बावजूद भी अवसर नहीं दिया । आज भी सुबह से उठ-बैठ रहा हूं ।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है प्रदेश के समान विकास के लिए यह बड़ा ही आवश्यक संकल्प है । सड़क, चिकित्सा, शिक्षा यह ऐसे मुद्दे हैं जिनके विकास के द्वारा समाज और राष्ट्र का विकास सम्भव है । उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कमिश्नरी अत्यन्त पिछड़ी हुई है और इस कमिश्नरी में भी सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिले बहुत ही पिछड़े हुये हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुल्तानपुर जिले के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं कि २० साल तक यह जिला सिंचाई के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है । मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सड़कों के मामले में उन्होंने अमेठी क्षेत्र की ओर कुछ ध्यान दिया है और उसके पिछड़ेपन को देखते हुए दो एक सड़कों का निर्माण कराया है । अमेठी से धम्मौर की सड़क मुख्य सड़क है लेकिन वह भी जिला परिषद् की कंकड़ की सड़क है । मान्यवर, अमेठी में लड़कियों का एक राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल है लेकिन वहां पर लड़कियों का इन्टर कालेज नहीं है । पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज है । इसलिये लड़कियों को हाई स्कूल पास करके इन्टर करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और फिर वहीं वापस आना पड़ता है । इस कारण बहुत सी लड़कियां या तो पढ़ाई छोड़ देती हैं या मजबूर होकर किसी प्रकार बाहर इन्टर के लिए जाती हैं ।

मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो हायर सेकेन्डरी स्कूल है उसको इन्टर कर दें तो यहां पर जो समस्या लड़कियों के लिए इन्टर की पढ़ाई करने की है वह हल हो जावेगी । कुटीर उद्योग धन्धों का जहां तक प्रश्न है उसके बारे में मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर सनई अधिक पैदा होती है और छोटे-छोटे किसान टाट पट्टी का काम करते हैं । इस ओर मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था कि इस कुटीर उद्योग धन्धे को बढ़ावा दिया जाये जिससे वहां के जो छोटे-छोटे किसान हैं उनकी आमदनी का साधन बन सके । एक समस्या की ओर मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जौनपुर से रायबरेली के लिए बस रूट है लेकिन इस रूट पर एक भी बस नहीं चलती है । अगर अमेठी होकर जौनपुर से रायबरेली के लिए बस चलायी जाये तो लगभग ५० किलो मीटर की दूरी बच जावेगी । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे इस सुझाव पर अवश्य विचार करें । तहसील अमेठी की मिट्टी उसरीली है उसको रिक्लेम करने के लिए कार्य किया जा रहा है । इसके लिए पानी की आवश्यकता है । परन्तु जब तक सिंचाई के साधन नहीं होते हैं तब तक यह स्कीम सफल नहीं हो सकती है । सरकार की यह भूमि सुधार की योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक वहां सिंचाई की सुविधा न उपलब्ध करायी जाये । कांग्रेसी हुकूमत ने वहां पर ३ नलकूप लगवाये थे परन्तु हमारी जनता सरकार ने इतने कम समय में १४ नलकूप लगवा दिये हैं । इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिचरण यादव—]

जिस जगह के मंत्री या मुख्य मंत्री हो जाते हैं वह क्षेत्र पिछड़ जाता है । प्रधान मंत्री हमारे प्रदेश का रहा है परन्तु सभी प्रदेशों में हमारा प्रदेश पिछड़ा रहा है और उसका समुचित विकास नहीं हुआ है । इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के पूर्वी इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूर्वी अंचल से हमारे मुख्य मंत्री जी आते हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि विधायकों को बैठाकर कमिश्नरी वाइज मीटिंग बुलावें और एक नीति निर्धारित करें कि इन जिलों का विकास किस प्रकार से किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष इलाहाबाद की समस्याओं को रखना चाहता हूं । यहां पर करछना और मेजा दो तहसीलें हैं । यह तीन ओर से नदियों से घिरी हुई हैं और पहाड़ी इलाके से घिरी हुई हैं ।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । जरा सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । श्री शास्त्री जी को कह लेने दें । इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊंगा ।

*श्री गुरु प्रसाद—

और बीच में बड़े-बड़े नाले हैं । उनके कारण वहां पर विकास कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की दृष्टि से, नहरों की दृष्टि से और सड़कों की दृष्टि से । यही कारण है कि ये दोनों तहसीलें करछना और मंजा पिछड़ी हुयी हैं । वहां पर शंकर गढ़ का जो इलाका है वह पहाड़ी क्षेत्र है । वहां पर २५ हजार मजदूर पत्थर का काम करते हैं और उनसे अपनी जीविका चलाते हैं लेकिन उनके रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए सरकार द्वारा गृह निर्माण कराये जायं । बेकारी की दृष्टि से भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है । वहां पर कोई उद्योग धन्धे का साधन नहीं है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर उद्योग धंधे खुलवाये जायें ताकि वहां से निकले हुये नौजवान किसी न किसी कार्य में लग सकें ।

मान्यवर, करछना तहसील में ३-४ बड़े-बड़े नाले हैं जिनमें हर वर्ष कम से कम ३-४ आदमियों की मृत्यु हो जाती है । ये कंजासा और कुखड़ी आदि नाले वर्षा ऋतु में भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और नदियों के रूप में बहने लगते हैं । मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कई बार प्रार्थना की और पत्र भी लिखे कि उन पर पुल बनवा दिये जायं और वहां पर सड़कों का निर्माण करा दिया जाय ताकि आवागमन के साधन मुख्य रूप से ठीक हो सकें । बाढ़ की विभीषिका में वहां के रहने वाले किसान त्रस्त हैं, उनके मकान धराशायी हो गये हैं । वहां के किसानों को बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पाती है । मेरी प्रार्थना है कि वहां के किसानों को राहत दी जाय और इसके लिये तुरन्त व्यवस्था सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुरु प्रसाद]

की ओर से होना चाहिए । दूसरे वहां पर जो किसान हैं उनके लिए तकावी की व्यवस्था भी होनी चाहिए । सरकार की ओर से जो गेहूं आदि वितरण की व्यवस्था होती है वह केवल २-३ बीघे जमीन वाले किसानों के लिए होती है लेकिन जिन किसानों के मकान गिर गये हैं, इनसे बड़े किसान हैं, उनको भी तकावी देने की व्यवस्था की जाय ताकि वे भी किसानी की व्यवस्था कर सकें । इसके अलावा वहां पर शंकरगढ़ के इलाके में जो शिक्षा की कमी है उसके लिए भी समुचित प्रबन्ध किया जाय क्योंकि वहां से बांदा और रींवा बहुत दूर हैं और इलाहाबाद भी ३० किलोमीटर पर है । वहां पर एक भी डिग्री कालेज नहीं है । अगर वहां पर एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय तो वहां के किसानों और मजदूरों के लिए बहुत लाभप्रद होगा । मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन और आग्रह है कि वे इन पुलों को और सड़कों को यथाशीघ्र बनवाने की व्यवस्था करें ।

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

(मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, अभी काफी सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं । इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप सदन का समय बढ़ा दें ताकि सभी लोग अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

(व्यवधान)

मैं बहुत देर से उठ-बैठ रहा हूं । अब तो मुझे मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) आप लोग अब बैठ जाइये ।

एक सदस्य—

एक घंटा का समय और बोलने के लिये दिया जाये ।

श्री उदयनारायण सिंह—

मैंने लिख कर भी दिया है कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाये, इसके बाद और बहुत से प्रश्न आने को हैं ।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित—

दो मिनट का समय आप हमें दे दें ।

मीलहाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है . . . (व्यवधान—शोर) ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उदयनारायण सिंह का यह प्रस्ताव आया हैं कि अब इस विषय पर चर्चा समाप्त की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किये जाने और कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आज गैर सरकारी कई प्रस्ताव हैं । इस प्रस्ताव पर करीब २ घंटा बहस हो चुकी हैं ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, अभी क्लोजर मूव न करें, इसी प्रस्ताव पर १५ मिनट का समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट का समय तो मैं स्वयं दे सकता हूं, ठीक हैं । पर माननीय सदस्य २-२ मिनट में ही अपनी बातें संक्षेप में रखें ।

***श्री विद्या शंकर—**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । यह प्रस्ताव बड़े ही महत्व का हैं । आज प्रदेश की ६० प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे गुजर कर रही हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार करना नितान्त आवश्यक हो जाता हैं । यूं तो सारा प्रदेश ही पिछड़ा हुआ हैं, लेकिन जिस जिले से मैं आता हूं वह जिला अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ हैं । वहां के लिये अगर पश्चिम से कोई योजना चलती हैं तो वह रायबरेली तक आते-आते ही समाप्त हो जाती हैं ।

अगर पूर्व से कोई योजना चलती हैं, तो वह जौनपुर तक आते-आते समाप्त हो जाती हैं । प्रतापगढ़ जो हैं त्रिशंकु की तरह लटक जाता हैं । वह कहीं का नहीं रहता हैं । हमारे अध्यक्ष महोदय, और उपाध्यक्ष महोदय भी प्रतापगढ़ को भूल जाते हैं । प्रतापगढ़ वालों को समय नहीं देते हैं । प्रतापगढ़ में विशेष रूप से ७० फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं । वहां न तो ट्यूबवेल हैं न नहरें और न सड़कें हैं । हर एक क्षेत्र नदियों के कटाव से दो-दो तीन-तीन भागों में बंटा हुआ हैं वहां पर अस्पताल, स्कूल, सड़क व्यापारिक सुविधाओं के लिए आवागमन के लिए आवश्यक हैं । इस प्रकार से सरकार से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि जहां पिछड़े क्षेत्र के लिए सुनियोजित और स्पष्ट योजनाएं हैं, वहां विशेषतौर से प्रतापगढ़ जिले के लिए विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि वह अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला हैं । लेकिन कुछ माने में हां वह जरूर आगे था, वह मंत्रियों की खान था । अध्यक्ष भी वहां पर पैदा हुए, लेकिन जहां तक विकास का सवाल हैं एकदम पिछड़ा हुआ जिला हैं जहां पर ७० फीसदी जनता रह रही हैं । आपने मुझे मौका दिया इतनी जद्दोजहद के बाद इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आज मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा —

मान्यवर, कानपुर जनपद में डेरापुर क्षेत्र माननीय कृषि मंत्री राजेन्द्र सिंह जी ने स्वयं मेरे क्षेत्र को देखा है और सार्वजनिक मीटिंग को सम्बोधित करते हुए और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए मीटिंग में घोषणा की थी कि यह ½ क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बुलडोजर के लिए घोषणा की थी। तीन क्षेत्रों के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी। (१) मिन्दाकुआं से मेलावनी पारा (२) कन्वांसी बाजार से किसांण (३) मेलावनी पारा से बनी पारा गांव। इन तीनों सड़कों के लिए घोषणा माननीय कृषि मंत्री जी ने की थी कि इसको बनवा देंगे। आज तक उन सड़कों में काम नहीं शुरू हो पाया है। माननीय कृषि मंत्री जी से दो तीन बार मिला। एक बार माननीय कृषि मंत्री जी ने आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन अधिकारियों ने नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको कार्यान्वित करा दिया जाय। ½ क्षेत्र जो डेरापुर के लिए बुलडोजर के लिए घोषणा किया था वह बुलडोजर की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। माननीय परिवहन मंत्री जी जो मौजूद हैं उनको मैंने एक दरखास्त दी थी, माननीय परिवहन मंत्री जी ने उस पर आदेश दिया था, चार बसों का आदेश दिया था, लेकिन वह बस आज तक नहीं चालू हुई है। तो मंत्री जी कैसा आदेश करते हैं जो अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं। कल मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से मिला था, उन्होंने रजिस्टर दिखलाया और उसमें आदेश निकला कि यह पिछले दो महीने पहले आदेश हुआ था, लेकिन उन आदेशों का पालन अभी तक नहीं हुआ है।

हमारे माननीय मकसूद साहब ने एक आदेश सड़क के लिए किया था, उस आदेश का भी पालन नहीं हुआ था। हमारे वाजपेयी जी जो पहले मंत्री रहे हैं उन्होंने एक आदेश दो सड़कों के लिए किया था कि इन सड़कों का निर्माण कार्य करा दिया जाय। आजतक उस आदेश का पालन नहीं हुआ। मान्यवर, मैं फिर मंत्री जी से मिला और उन्होंने फिर आदेश किया लेकिन उसका आजतक पालन नहीं हुआ। पंचायत से संबंधित सड़कें जिला विकास अधिकारी ने पूरी नहीं करायी हैं। मान्यवर, गतुआपुर से सरगंवा जो सड़क थी उस सड़क के बारे में कृषि मंत्री जी ने आदेश दिया था लेकिन सड़क पर काम नहीं हुआ है। मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आदेशों का पालन किया जाय और जो दो सड़कों के संबंध में आदेश दिये गये थे उन पर काम शुरु किया जाय। मेरे क्षेत्र में अस्पतालों, सड़कों तथा स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जिन दो सड़कों पर काम शुरु हुआ है वहां कांग्रेस के कार्य कर्ताओं ने उन सड़कों का काम बंद करा दिया है, यह कहकर कि आपको २०० रुपया पेंशन मिलेगी। जो श्रमदान कर रहे थे जेल ले गये उनसे कहा कि २०० रुपया पेंशन मिलेगी। गरीब किसान मजदूरों को कांग्रेस (आई) के लोग फुसलाकर ले गये। यह कानपुर की ही बात नहीं है सारे प्रदेश में इस तरह का भ्रामक प्रचार किया कि २०० रुपये पेंशन मिलेगी। मान्यवर, इसकी जांच करायी जाय और आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सुंदर लाल जी आप २ मिनट बोल लें। (शोर)

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे जो संकल्प श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने रखा हैं उस पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, आज प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हैं। मैं आपका ध्यान तथा वर्तमान शासन का ध्यान बाराबंकी जिले के पिछड़ेपन की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर हमारा जनपद सदैव इस बात के लिये संघर्ष करता रहा कि जिले का पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन जब वर्तमान सत्ता बनी तो आशा बंधी थी कि बाराबंकी जिले का विकास अवश्य होगा। लेकिन विकास योजनायें केवल कागज पर बनीं और विकास का काम केवल मंत्रि मंडल के मंत्रियों की फाइलों में हैं। जनता में नहीं हैं। जनतापार्टी ने वादा किया था कि वह गांवों की ओर जायगी। गांवों की तरक्की करेगी लेकिन वह केवल स्वप्न बन कर रह गया हैं। वह पूरा होने वाला नहीं हैं। आज प्रश्न यह हैं कि बाराबंकी जिले का हैदरगढ़ जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां की आबादी २ लाख हैं। लेकिन कोई उद्योग धंधा नहीं हैं। पिछली बार जब उद्योग पर बहस हो रही थी तो मैंने माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। और कहा था कि हैदरगढ़ तहसील में कोई बड़ा उद्योग धंधा लगाया जाय जिससे वहां के एक हजार पढ़े लिखे लोगों और एक हजार मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। मैं उद्योग मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां ग्रामीण अंचल में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किये जायं। छिब्रवेदी गंज, सुबेहा, भिम्लबल जैसे प्रमुख स्थानों में उद्योग धंधे स्थापित किये जायें जिससे बेकारी दूर हो सके। अब मैं कृषि पर बातें करना चाहता हूं। कृषि मंत्री सौभाग्य से मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज किसानों की जो हालत हैं, और जिसके कारण जो दिल्ली में हुआ, उसको सभी जानते हैं कि इस जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सत्ता की जिंदगी में केवल किसानों के लिये घड़ियाली आंसू ही बहाये और कोई काम नहीं किया। मेरा तो निश्चित मत हैं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार हैं। सरकार को चाहिये कि वह किसानों को खाद, बीज पानी और बिजली मुफ्त दें।

मान्यवर, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। यहां शिक्षा मंत्री जी अभी नहीं हैं। लेकिन सरकार के और लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज यदि किसी पिछड़े क्षेत्र में डिग्री कालेज खुलना हैं तो उसमें इतनी पाबन्दी लगा दिया हैं कि वह वहां नहीं खुल सकता हैं। इसमें पाबन्दी यह हैं कि जब ६ लाख रुपया सेक्योरिटी के रूप में जमा होगा तभी डिग्री कालेज खुल सकेगा। इस प्रकार अब कोई डिग्री कालेज नहीं खुलवा सकता हैं पिछड़े क्षेत्र में। हैदरगढ़ तहसील पिछड़ा क्षेत्र और मुख्यालय हैं जहां मैं प्रयास कर रहा हूं कि डिग्री कालेज खुल जाय, प्रार्थना पत्र दे दिया हैं। लेकन ६ लाख रुपया का सवाल हैं जो कि हम नहीं दे सकते हैं। इसलिये निवेदन हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने इस प्रस्ताव में संशोधन कर और पिछड़े क्षेत्रों में बिना शर्त डिग्री कालेज खोले जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अब मैं चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी तहसील हैदरगढ़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर दवा तक उपलब्ध नहीं है। इसलिये निवेदन है कि उसको एक बड़ा अस्पताल २० शैय्याओं वाला बनाया जाय और वहां दवा उपलब्ध करायी जाय।

मान्यवर, अंत में मैं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये राजनीतिक दलगत भावना से हटकर पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तत्काल इमानदारी से काम करे जिससे जनता का विश्वास आप प्राप्त कर सकें।

*श्री मान सिंह आजाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पिछड़ेपन पर मुझे बोलने का समय दिया। आजादी मिलने के बाद ३० साल कांग्रेस शासन में लखनऊ का सुन्दरीकरण हुआ परन्तु लखनऊ में गांव की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं मलिहाबाद क्षेत्र से चुनकर आता हूं। यह क्षेत्र हिन्दुस्तान और बिदेशों तक में मशहूर है। सभी लोग इस क्षेत्र को जानते हैं चूंकि वहां की दशहरी खाते हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा है। जब मैं वहां से जीता हूं तो हमारे वहां सालेह नगर की नहर में पानी नहीं आता है और उसमें पटाव पड़ा है लेकिन फिर भी किसानों से सिंचाई की आबपासी वसूली गयी है।

मान्यवर, हमारे वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है और आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि पानी गिर जाय तो कोई चल तक नहीं सकता है। यदि कोई बीमार हो तो वह शहर नहीं आ सकता है। जनता सरकार ने कहा था कि वह गांव की ओर चलेंगे और उसके आधार पर काम शुरू किया लेकिन लखनऊ जिला परिषद् द्वारा जो सड़कों का निर्माण होना था, जब वर्षा हुई थी तो कहा गया था कि बनवा दी जायेंगी, ६ महीने हो गये हैं लेकिन आजतक सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। आज सड़कों का निर्माण शुरू किया है तो गांव वालों की जमीन का सवाल आ गया है। सड़क के बनाने में भू-अधिकारी लोग जमीन के मामले में परेशान करते हैं। अंग्रेजों के राज्य में और इमरजेन्सी में इन के दिमाग जैसे बन गये थे उसी को ध्यान में रख कर जनता सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि हिन्दुस्तान में कोई भी यदि जुल्म करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। ये अधिकारी लोग सचेत रहें। हिन्दुस्तान की जनता ने अपनी आजादी के लिये अंग्रेजों को भगाया था और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये भू अधिकारी और अन्य लोग जो हमारी योजनाओं को सफल नहीं होना देना चाहते उन के खिलाफ इस देश और प्रदेश में हम बगावत करेंगे और किसानों के दुःख को दूर करेंगे।

मेरा एक निवेदन और है और वह यह कि मेरे क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज नहीं है। वहां पर कोई चौकी भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इन्हें अवश्य वहां पर खोला जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठाकुर मूल चन्द—

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नाथूराम शिक्षक के खड़े होने पर)

शिक्षक जी, आप बैठें । आप को मौका मिलेगा ।

ठाकुर मूल चन्द—

मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आया हूं जिसको कहा जाता है कि बहुत अग्रिम जिला है . . . . .

एक सदस्य—

एक व्यवस्था चाहिए । जो आप समय दे रहे हैं उस के लिए स्लिप आप को भेजनी क्या आवश्यक है ?

ठाकुर मूल चन्द—

इस के अलावा गन्ने की जो समस्या है उसे भी हल करना बहुत जरूरी है । किसानों का जो बकाया पेमेंन्ट है तुरन्त भुगतान होना चाहिये ।

विकास के लिए दूसरे नम्बर पर मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में जितनी खड़ी हुई रोडवेज बसें भेज दी गयी हैं जो खड़ी रहती हैं । कोई भी उन में सफर कर रहा हो तो उसे बीच में ही रह जाना पड़ता है । अतः ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इस बात को नोट करें कि वहां पर अच्छी बसें पहुंचायी जायें इस के अलावा जो शासन की आज्ञा होती है उस का वहां पर पालन नहीं किया जाता है । शासन के आदेश जिन रूटों पर बस जाने के होते हैं लेकिन वहां बसें नहीं पहुंच रही हैं । शासन के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है । इसलिए मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इस के अलावा मैं स्वास्थ्य की तरफ आता हूं । स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के संबंध में जितनी उपेक्षा मुजफ्फरनगर की की गयी है शायद ही सारे उत्तर प्रदेश में किसी जनपद की की गयी हो । अस्पताल की वहां बहुत कमी है । जनता सरकार यह कहती है कि ग्रामीण विकास करेंगे लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बिल्कुल नेग्लेट किया गया है और गांव के छोटे छोटे लोग गरीब लोग, इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर अस्पताल अवश्य स्थापित करें और छोटी छोटी डिस्पेन्सरियां कायम की जायं । जहां अस्पताल है वहां की समस्त दवाएं डाक्टर बेच देते हैं ।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी मसूद साहब पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने हमारे जनपद का दौरा किया था और वहां पर वायदा किया था कि पुल और सड़कें बनेंगी । इसका नतीजा यह हुआ कि वहां जो एक्ज्यूव्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने जो कार्य चल रहे थे उन को भी ठप्प कर दिया है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस

इंजीनियर को हटा कर वहां पर दूसरा इंजीनियर भेजा जाय और जितने काम रुके हैं उन को पूरा कराया जाय ।

इस के अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सड़कों का बजट अधिक दिया जाय जिससे वहां जो सड़कों की कमी हैं वह पूरी हो जाय । इसके अलावा मैं शिक्षा की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां शिक्षा की भी कमी हैं और जितने विद्यालय खुलने चाहियें थे, नहीं खुले और न कोई ग्रान्ट दी जा रही हैं । अभी शिक्षा मंत्री जी ने वहां दौरा किया था और वहां की हालत देखी थी, वहां स्कूलों की बिल्डिंग देखी थी, शिक्षण कार्य देखा था कि किस तरह से चल रहा हैं, लेकिन दुःख का विषय हैं कि वह यहां लखनऊ आकर सारी बातें भूल जाते हैं । अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के बारे मे जो इस संबंध में शिकायतें आ रही हैं उन की ओर ध्यान दिया जाय और उनका निवारण किया जाय ।

इसके अलावा एक बात यह कहना चाहता हूं जिसके बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर से पहले भी कहा था और वह यह हैं कि हमारे जनपद की बहुत बड़ी समस्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा की हैं । यहां की भूमि हरियाणा की तरफ चली गयी हैं । हरियाणा का शासन तो जागरूक हैं और हमारी तरफ के लोगों के वारंट इसू करके गिरफ्तारियां कर रहा हैं लेकिन हमारी भूमि नहीं दिलवा रहा हैं । तो हमारे शासन को इस तरफ जागरूक होना चाहिये और अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इस ओर भी ध्यान देना होगा । तभी ग्रामीण विकास हो सकता हैं ।

मान्यवर, एक चीज एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कृषि यंत्रों की बड़ी कमी हैं । औजार नहीं मिल पाते हैं । अतः निवेदन हैं कि वहां ऐसे औजार बनाने का कारखाना खोला जाय ताकि इस समस्या का हल हो सके ।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं जो सिंचाई मंत्री जी से संबंधित हैं । जलालाबाद का पुल और रोहाने का पुल बनाया जाय । इसके बारे में वायदा भी किया गया था । इसी तरह से छाजपुर के पुल को रिपेयर किया जाय । सिंचाई मंत्री जी ने यह भी वायदा किया था कि छाजपुर, राजपुर और बुढ़ाना बांध बना कर नहर निकाली जाय । मेरा निवेदन हैं कि इस कार्य को जल्द पूरा कराया जाय ताकि चौंसाना क्षेत्र रेगिस्तान बनने से बच सके । मुझे आशा हैं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह लखनऊ से आये हों, चाहे वे मेरठ या मुजफ्फरनगर से आये हों, प्रत्येक सदस्य यही कह रहा हैं कि उसका क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हैं । लेकिन मुझे, मान्यवर आपके माध्यम से कहना हैं कि हमारे प्रदेश में इस भावना को भूला दिया गया हैं कि कौन सा जनपद पिछड़ा हुआ हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर एक क्लोजर मोशन आया था । उसमें मत भी ले लिया था । उसके बारे में निर्णय भी घोषित कर दिया । उसके बाद जब निवेदन किया मंत्री महोदय ने तो आपने कहा कि १५ मिनट तो मैं दे ही सकता हूं । तो यह डिस्कशन अब किस नियम के अंदर चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्लोजर आपने मूव किया था [* * *] जहां तक मुझे याद है, हमने कोई निर्णय नहीं दिया था और सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने १५ मिनट बढ़ाने के लिये कहा था ।

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपने अभी कहा कि निर्णय नहीं दिया था । लेकिन आपने स्पष्ट कहा था कि हां को संख्या अधिक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह भी देख लेंगे । लेकिन कौशिक जी ने समय बढ़ाने के लिये कहा था । यह माननीय सदस्यगण जान लें कि यह गैरसरकारी प्रस्ताव है । इसमें कार्य-मन्त्रणा समिति की ओर से कोई समय निश्चित नहीं किया गया और यह भी नहीं तय किया गया कि ३ या ४ बजे तक खत्म किया जाय । माननीय सदस्यों की इच्छा बहुत अधिक बोलने की थी इसलिये १५ मिनट होने के बाद भी हमने उसको उचित समझकर जारी रखा । चूंकि इसमें नियम का कोई उल्लंघन नहीं होता है ।

श्री उदय नारायण सिंह—

मान्यवर, अगर यह बात है तो आप व्यवस्था दें कि जितने यहां पर प्रस्ताव हैं आप सबको लेंगे और अगर सदन १०-०० बजे रात तक चलता है, तो १०-०० बजे रात तक चलायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह व्यवस्था तो नहीं हो सकती है । जब तक कोरम रहेगा और आप लोग चलाना चाहेंगे, तब तक चलेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम इस नतीजे पर आये हैं कि तीस साल के पुराने इतिहास और २० महीने जनता पार्टी के इतिहास को हमने देखा है । इसमें उन्हीं जिलों की उन्नति हुई है जिन जिलों के मुख्य मंत्री, मंत्री या उप मंत्री बनाये गये हैं । मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शाहजहांपुर का

इतिहास जो कि आजादी के लड़ाई में सबसे आगे रहा हैं और जहां पर राम प्रसाद बिसमिल, अश्फाक उल्ला खां और रोशन सिंह ऐसे शहीद हुए और जो लोग देश की आजादी के निमित्त फांसी की बलि बेदी पर झूल गये। वहां पर पिछले २० वर्षों में एक उप मंत्री तक नहीं बनाया गया। मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि जिन बातों के लिए वर्तमान सरकार के लोग पिछले २० वर्षों तक कांग्रेस की सरकार की आलोचना करते रहे हैं, मैं समझता था कि शायद मौका मिलने पर वे ऐसी गलती नहीं करेंगे। शाहजहांपुर जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे था आज प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला हैं। मैं आपको उदाहरण दूं।

शाहजहांपुर जिला न पूरब में गिना जाता हैं और न पश्चिम में गिना जाता हैं। यह पूर्व और पश्चिम की सीमा पर हैं। इस जिले की कुल १३ लाख आबादी हैं और दुख का विषय हैं कि वहां पर एक भी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं हैं। कमिश्नरी के अन्दर चाहे सिंचाई के साधन ले लें चाहे सड़कों के मामले में देख लें, हमारा जिला शाहजहांपुर सबसे पिछड़ा हुआ हैं। यहां तो जो माननीय सदस्य कह दें कि उनका क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ हैं वही मान लिया जाता हैं वह चाहे लखनऊ के ही सदस्य क्यों न हों।

(इस समय ४ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जिला शाहजहांपुर बाढ़ से सबसे प्रभावित जिला रहा हैं। वहीं ऐसा जिला हैं जहां पर इस सरकार ने सहायतार्थ हेलीकाप्टर भेजा था। लेकिन उसके बारे में कोई भी विशेष योजना नहीं बनाई गयी क्योंकि उस अभागे जिले का प्रतिनिधित्व मंत्रिमण्डल में नहीं हैं। कुछ जिले के संसद सदस्य से सहायता की उम्मीद थी। लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण वह भी नहीं हो पाया। आप सिंचाई को ले लें, शाहजहांपुर जिले में सबसे कम ट्यूबवेल हैं। मेरा तो ऐसा क्षेत्र हैं कि शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर नेशनल हाई वे के अलावा एक किलोमीटर भी सड़क नहीं हैं। एक भी ट्यूबवेल नहीं हैं। सिंचाई के मामले में काफी पिछड़ा हुआ हैं। अध्यक्ष, महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिला जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहा हैं आज सभी कैबिनेट के मंत्रियों का कर्तव्य हैं कि वे इस बात को देखें कि जिले की किस प्रकार उन्नति हो। इसी प्रकार इस जनपद में एक पोस्ट ग्रेजूएट कालेज का स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक हैं। अस्पतालों की वह स्थिति कर दी गयी हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में इनका विस्तार हुआ हैं लेकिन हमारे यहां बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया जा रहा हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के लिए वर्तमान मंत्रिमण्डल को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो पिछली सरकार की नीतियों की बराबर आलोचना करता चला आ रहा था उस पुरानी नीति को छोड़कर उनको देखना चाहिए। पुराने शासन तथा पूरी नीतियों को उसे देखना चाहिये। आज कोई भी माननीय सदस्य वहां का मंत्रिमंडल के अन्दर नहीं हैं जो वहां की बात का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिये इस पर ध्यान देने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी का जो प्रस्ताव हैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री नाथूराम शिक्षक (जला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के पक्ष में मैं अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, किसी भी क्षेत्र के उत्थान के लिये यह आवश्यक हैं कि वहां जो प्राकृतिक साधन मौजूद हों जिनके आधार पर उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता हो उनका सर्वे कराया जाय, वर्ना उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। यह कार्य तभी हो सकता हैं जब ग्राम्य विकास से सम्बन्धित समस्त सरकारी मशीनरी अपने कर्मचारियों द्वारा ग्राम स्तर पर कैम्प डाल कर उस क्षेत्र का सर्वे कराये। इस आधार पर इलाहाबाद जिले का विकास किस प्रकार से हो, उसे आपके सम्मुख रख रहा हूं। यहां तीन प्राकृतिक भाग हैं—गंगा पार, जमुना पार तथा द्वाबा। गंगा पार तथा जमुना पार से हमेशा प्रधान मंत्री होते आये हैं और आज भी राज्य मंत्री मौजूद हैं। इसलिये इन दोनों क्षेत्रों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना हैं।

मैं द्वाबा क्षेत्र में मंझनपुर तहसील का जो सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंझनपुर तहसील जमुना नदी के उत्तरी किनारे पर हैं और दक्षिणी किनारे पर बांदा जिला हैं। एक प्रकार से बुन्देलखंड की जड़ मंझनपुर तहसील कही जा सकती हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिये कई प्राकृतिक साधन मौजूद हैं। कौशाम्बी ऐसा स्थान हैं जो ऐतिहासिक तथा शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उसका विकास किया जाय तो बहुत से लोगों को काम मिलेगा। इससे आगे बढ़ कर पभोसा पहाड़ी हैं जो जैनियों का तीर्थ स्थान हैं। सड़कों से उसे जोड़ दिया जाय। गिट्टी तोड़ कर सस्ती सड़कों के निर्माण में सहायता मिल सकती हैं। इससे आगे बढ़ कर अलवरा झील हैं जिसका क्षेत्रफल तीन किलोमीटर हैं। उस क्षेत्र के विकास करने से सिंचाई, मत्स्य पालन तथा पर्यटन का विकास हो सकेगा। यात्री वहां से जमुना पार करके राजापुर तुलसीदास का जन्म स्थान, चित्रकूट, बांदा, कालिंजर, महोबा और खजुराहो का अवलोकन कर सकते हैं और इन स्थानों को पर्यटन केन्द्र बनाया जा सकता हैं।

मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र में दो वर्षाती नदियां हैं सरयर खदेरी, किलन हाई यदि उनको गहरा करके उनके किनारे ट्यूबवैल लगा कर सिंचाई के साधन बना दिये जायं तो बारहों महीने सिंचाई हो सकती हैं जिसमें किसी ग्राम वासी की जमीन नहीं जाती हैं और न किसी को नुकसान होता हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार समाप्त कर रहा हूं।

श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे तिवारी जी के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के संबंध में आये प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे पहले कृषि का विकास होना अतिआवश्यक हैं। इसके लिए (१) समय पर बीज और सिंचाई के साधन अति जरूरी हैं। (२) खेती उसी की हैं जो हल से जोते बोये। (३) कृषि के लिए तमाम ऊसर व बंजर भूमि जो पड़ी हुई हैं उसे उपजाऊ बनाया जाय। जिस प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र सैनिक होते हैं उसी प्रकार किसानों के लिए "हल सेना" सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जिनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास जमीन नहीं है उनको वह जमीन जो ऊसर पड़ी हुई है उसे उपजाऊ बनाया जाय, वहां लोगों के लिये घर बनाये जांय और जब तक वह उपजाऊ न हो जाय तब तक सरकारी साधनों से उपजाऊ बनाया जाय और जब फसल होने लगे तब वह जमीन उन किसानों की ही हो जाय ।

कृषि के विकास के लिये सड़कों का और संपर्क मार्गों का होना आवश्यक है । उसके लिये सरकार की योजनायें चल रही हैं लेकिन जो मजदूर वहां पर कामकरते हैं उनके लिये पर्याप्त गल्ला और पैसा नहीं मिल रहा है और जो मिट्टी पड़ रही है वह भी बह जाती है । उनमें काम करने वाले मजदूरों को समय पर गल्ला और वेतन दिया जाय ।

इसके अलावा सिंचाई के साधनों में नलकूप ज्यादा से ज्यादा बनाये जायं जिससे ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके ।

स्कूलों के सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिये मान्टेन्सरी स्कूल हैं उनमें एक-एक बच्चे पर साढ़े तीन सौ रुपये महीने से अधिक खर्च किया जाता है लेकिन ८० फीसदी लोग गांव में रहते हैं वहां पर स्कूल दरख्तों के नीचे चलते हैं । पक्षी बीट करते हैं और अध्यापकों के लिए बैठने को न तो फर्नीचर है और न बच्चों के बैठने के लिए टाटपट्टी । इसके अलावा जो वहां अध्यापक हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं जिसके लिए वह लोग अनशन कर रहे हैं या घेराव करते हैं । वह अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं लेकिन उनका अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उनके अधिकार हैं वह देने चाहिए साथ ही कर्तव्यों को तरफ भी ध्यान दिलाना चाहिये बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसमें मास्टर महीनों तक पढ़ाने नहीं आते और हाजिरी भर जाती है ।

जो अस्पताल हैं उनकी भी दशा ऐसी ही है जहां न दवा मिलती है और न इंजेक्शन । डाक्टर लिख देता है कि फलां दुकान से दवा ले आओ । अस्पतालों में चारपाई भी नहीं हैं । मेरा कहना है कि अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जांय ।

इसके अलावा मुझे थोड़ा सा अपने जनपद के लिये भी कहना है । हमारा जनपद शाहजहांपुर है यह दुख की बात है कि उसका नाम पिछड़े हुए जनपदों की लिस्ट में नहीं है । क्योंकि पिछड़े हुए क्षेत्रों की लिस्ट में शाहजहांपुर भी आना चाहिए । मैं जिस क्षेत्र-जलालाबाद से चुनकर आया हूं, वह अति पिछड़ा हुआ है । वह गंगा और रामगंगा दो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है । उसके बीच में न तो कोई डिग्री कालेज है और न कोई यातायात का साधन है न कोई रेल मार्ग है । वहां एक रामगंगा नदी पर कोला घाट फेरी है, उसके बारे में हमने मंत्री जी को सूचना भी दी थी कि उसको पी० डब्लू० डी० को दिया जाए और वहां पर जब तक पक्का पुल नहीं बन पाता है पैन्टून पुल ही वहां बना दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कन्हई सिंह—

मैंने अपने पिछड़े हुए क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु दरख्वास्तें दी हैं, अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया, वहां आवागमन का कोई साधन नहीं है । उस पुल की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैं आपकी अति महत्वपूर्ण विषय पर व्यवस्था चाहता हूं । आपकी स्पष्ट व्यवस्था है कि जब कोई चर्चा हो तो उस विभाग से संबंधित अधिकारी यहां उपस्थित रहें । यहां नियोजन विभाग के संबंध में काफी देर से चर्चा हो रही है, लेकिन उस विभाग का कोई भी अधिकारी यहां उपस्थित नहीं है । आप माननीय मंत्री जी से इसकी व्यवस्था कराएं ।

श्री अध्यक्ष—

यह दायित्व मंत्रियों का है कि वह अपनी सहायता के लिए अधिकारियों को चाहें, तो बुला लें । लेकिन साधारणतया लोगों के विचार मालूम हों, इसलिये डेवलपमेंट कमिश्नर या उनके अधिकारियों को यहां अवश्य रहना चाहिए । लेकिन इसकी वजह से इसको रोका नहीं जा सकता है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब आप इसके पहले कोई बोले, मैं कार्य मंत्रणा समिति के कार्यक्रम के बारे में सदन को सूचना देना चाहता हूं—

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज २९ दिसम्बर, १९७८ को ३ बजे अपरान्ह की हुई बैठक में सदन के ३० दिसम्बर, १९७८ के उपवेशन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में पुनर्विचार करके यह संस्तुति की है कि निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा हेतु उनके सामने दिया हुआ समय निर्धारित किया जाय—

सर्वश्री कल्पनाथ सिंह—

ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह तथा मैनेजर सिंह के प्रस्ताव—'प्रदेश में विद्युत चालित निजी नलकूपों का न्यूनतम विद्युत शुल्क १२ रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह से अधिक न रखा जाय ।' के लिये एक घंटा ।

श्री श्यामधर मिश्र के प्रस्ताव-'वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील को एक अलग जिला बनाया जाय' और उन्हीं के एक दूसरे प्रस्ताव कि—'मिर्जापुर के राबर्टसगंज व दुद्धी तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाय' इन दोनों को मिलाकर इनके लिए १ घंटा

सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश, सत्यप्रकाश मालवीय, कृष्णा राय, राम अधार राय, राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा गनेशी लाल चौधरी के प्रस्ताव—'यह सदन सिफारिस करता है कि भारत सरकार शाह आयोग की रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें हेतु एक घंटा

तदुपरान्त तीन घंटे असरकारी कार्य होगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री जीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने इस संकल्प के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को हमारे बीच में चर्चा का माध्यम बनाया है। यह बड़ा ही महत्व का मामला है। इस संकल्प के माध्यम से जिस मंशा को उजागर किया गया है, वह यह है कि प्रदेश में जो सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका सुनियोजित और स्पष्ट नीति के आधार पर विकास किया जाए।

मान्यवर, जब तक हम इस विशाल प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता नहीं देंगे विकास के कार्यों में तब तक विकास सम्भव नहीं हो पायेगा। यह आवश्यकता है कि जो सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र हैं, तीन, चार, पांच, छः जिलों को एक जगह एकत्र करके एक अलग आयोग उनके लिये गठित कर दिया जाय। वह पता लगाये कि इन सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन का क्या कारण है, वह मूलभूत समस्यायें क्या हैं जिनसे यह क्षेत्र सदियों से पिछड़ा चला आ रहा है। इस के लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूर्वांचल के लिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों के लिये एक पटेल आयोग की रचना हुई थी। उसने हमारे जिले में और अन्य पूर्वी जिलों में जा कर निरीक्षण किया और यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि आखिर वह मूलभूत समस्यायें क्या हैं जिनसे ये जिले पिछड़े हुए हैं। उसने यह भी सर्वेक्षण किया कि अशिक्षा, अनावश्यक रोग फैलने का क्या कारण है।

पटेल आयोग ने जो संस्तुतियां केन्द्रीय सरकार को दीं उनमें स्पष्ट था कि हमारे जिले में कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिले में ऐसे मार्ग नहीं थे जिनसे ग्रामीण इलाकों को जोड़ा जा सके। पटेल आयोग की जो सिफारिश थी उसके आधार पर स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह ने देवरिया जिले के लिये गंडक परियोजना बनवायी। उसके बाद देवरिया जिले में खुशहाली का वातावरण फैला। आज देवरिया जिले में जो बाढ़ की समस्या कम हुई है वह उसी गंडक परियोजना के लागू होने के कारण है। जब तक सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं करायेंगे, पांच-दस क्षेत्रों को लेकर योजना तैयार नहीं करेंगे तब तक प्रदेश के स्तर पर योजनायें नहीं लागू हो पायेंगी। चाहे बुन्देलखण्ड हो, या पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन हो या पहाड़ी जिलों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

समस्या हो सब के लिये अलग-अलग आयोग बनाया जाय । वह आयोग पांच-दस वर्षों के लिये परियोजनायें बना कर सरकार को प्रस्तुत करे जिसमें पिछड़ेपन के कारण भी हों और उनके निवारण के लिये समाधान भी दिये जायें । उसके अनुसार सरकार उन विशेष योजनाओं को लागू करने के लिये जो कृषि से सम्बन्धित हों, या उद्योग से सम्बन्धित हो या बाढ़ या सूखे से सम्बन्धित हो, उनके लिये बजट में विशेष प्राविधान करे । पहले वर्ष में पूर्वांचल ले लें, दूसरे समय के लिए बुन्देलखंड को ले लें, उसके बाद रुहेलखंड को ले लें । ऐसा करेंगे तभी सर्वाधिक पिछड़ेपन का विकास होगा ।

मैं देवरिया जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । देवरिया जिले में अभी जो एंसेफेलाइटिस की बीमारी शुरु हुई थी और जो पूरे प्रदेश में महामारी के रूप में फैल गयी उसका मुख्य कारण वहां जल जमाव की समस्या है । उसके कारण पांच छः महीने तक जल जमा होने के कारण महामारी फैली है । इसके लिये दो करोड़ की योजना बनायी गयी थी । लेकिन वह इंजीनियरों और बड़े-बड़े अधिकारियों की पेट में चला गया । २० परसेंट भी कार्य नहीं हुआ । जिसके परिणामस्वरूप आज वह पिछड़ा हुआ है । मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल निकास के सम्बन्ध में जो दो करोड़ का घोटाला हुआ है उसकी जांच करवायेंगे और जल निकास समस्या का समाधान करें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

हनुमान जी की दुम की तरह इसका अन्त कब होगा । यह संकल्प कब तक चलता रहेगा ?

श्री हरीराम शाक्य (जिला मैनपुरी)—

माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं और इस समर्थन में मैं अपने कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं । पहला तो यह है कि पिछड़े क्षेत्रों की सूची राजनैतिक दबाव के कारण बनायी गयी है उसको पुनः वास्तविकता के आधार पर बनाया जाय जिसके स्पष्ट आधार हों । दूसरा यह है कि सरकार इन क्षेत्रों पर अलग से बजट बनाकर अति पिछड़े क्षेत्रों को क्रमबद्धता के आधार पर विकास करे । तीसरा यह है कि पिछड़े क्षेत्रों यदि जनता श्रमदान द्वारा सड़कें या चन्दा एकत्र करके विकास कार्यों में कुछ योगदान देती है तो वहां पर सरकार पुल, अस्पताल, स्कूल आदि वरीयता देकर बनाए जिससे जनता में श्रम करने की प्रेरणा विकसित हो । चौथा यह है कि पिछड़े क्षेत्रों में जो अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र हैं उनको वरीयता दी जानी चाहिए । ऐसा न हो कि राजनीतिक दबाव के कारण जहां आपाधापी हो जाती है वहां तो विकास कार्य हो जाता है और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वह इस आपाधापी की राजनीति में पिछड़े ही रह जाते हैं ।

पांचवां एक सुझाव इस संबंध में यह है कि माननीय छेदीलाल साथी जी की जो रिपोर्ट है और जिसके बारे में शासन ने कहा है कि विचाराधीन है उसे शीघ्र लागू किया जाय । उसके माध्यम से भी अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है । यह तो कुछ सामान्य बातें हैं । इनके अतिरिक्त मैं अपने जनपद मैनपुरी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यहां भोंगांव अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है । यहां पर दो नदियां काली नदी और ईसेन नदी हैं जिनसे यह क्षेत्र घिरा हुआ है । यहां की जनता दूसरी तरफ नहीं जा सकती और दूसरी तरफ के लोग यहां नहीं आ सकते । इसके कारण यहां पर कोई

विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर यहां पर पुलों का निर्माण कर दिया जाय तो विकास कार्य हो सकता है। काली नदी पर तीन पुलों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है बड़ेश्वर घाट का पुल, राजघाट का पुल और नवीगंज घाट, का पुल। इसी तरह से ईसन नदी पर इटैराघाट पढीना घाट का पुल और अधार घाट का पुल का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। इनके निर्माण हो जाने से फर्रुखाबाद और इटावा का आवागमन का साधन हो सकता है। इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये इन पुलों के निर्माण को वरीयता दी जानी चाहिए। इनके अतिरिक्त यहां पर सड़कों का भी अत्यन्त अभाव है। यहां लिंक रोड्स बहुत कम हैं। यदि लिंक रोड्स बना दी जायं तो विकास कार्य सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल और उद्योग के मामले में भी विकास कार्य नहीं के बराबर हुआ है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस क्षेत्र में सिंचाई की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में एक भी पक्की नाली नहीं है। जो राजबाहे हैं उन्हीं से काम लिया जाता है। हमारे यहां एक सहकारी चीनी मिल और एक सहकारी दाल मिल लगने की बात थी लेकिन अभी तक नहीं लगी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनको शीघ्र ही वहां लगवाया जाय। जनपद मैनपुरी को ६ तहसीलों में विभाजित करके किसी को नयी तहसील बनाया जाय।

*श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बार-बार खड़ा होने के बाद मौका दिया है, इसके लिए मैं आप का आभारी हूं। गोरखपुर जिला सबसे पिछड़ा जिला है। आप सरकार को आदेश दें कि यह पिछड़ा जिला घोषित किया जाये। गोरखपुर जिले में महराजगंज तहसील बहुत ही पिछड़ी है। यह नेपाल के बार्डर पर है वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है। सड़कें बहुत कम हैं। वहां पर एक नहर है लेकिन नहर में पानी नहीं रहता है। फसल सूख रही है जिससे जनता में असंतोष है। बड़ी परेशानी लोगों के सामने आ गयी है। आप सरकार को आदेश दें कि वहां पर जो फसल नष्ट हुई है उसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करे जिससे गरीब किसान को राहत मिले और उसको कुछ धन दिया जाये। महराज गंज के इलाके में स्कूलों की कमी है। जगह-जगह पर बेसिक प्राइमरी पाठशालायें खुलवायी जायें, डिग्री कालेज खुलवाये जायें और इन्टर कालेज खुलवाये जायें। जब स्कूल खोले जायेंगे तो वहां पर लोग शिक्षित होंगे और तब सही-सही काम होंगे। महराजगंज में आज तक कोई उद्योग धन्धा नहीं खोला गया है। उसके लिये आप सरकार को आदेश दें ताकि वहां पर जगह-जगह पर दियासलाई, कागज, मोमबत्ती के उद्योग तथा खान्डसारी उद्योग खोले जायं जिससे वहां के लोगों का जीवन अच्छी तरह से चल सके। वहां पर कोई उद्योग नहीं है। कोई उद्योग न होने के कारण गरीब मजदूर और किसान इधर-उधर घूमा करते हैं जिससे लोगों के ऊपर ऐसी परेशानी आ जाती है कि लोग भूखों मर जाते हैं और कितने लोग इस समय जाड़े में मर रहे हैं लोग नंगे हैं और भीख मांगते हैं। उनको कोई भी एक पैसा देने वाला नहीं है कि वह अपनी जीविका चला सकें। आप सरकार को आदेश दें कि जो लोग भूखों मर रहे हैं उनके लिये सरकार कोई उपाय करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पर्यवेक्षण नहीं किया।

[श्री दुक्खी प्रसाद]

जो लोग भूखों मर रहे हैं उनको सरकार अपने पास लाकर कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि उन लोगों को खाना मिल सके।

महाराजगंज में कई जगह पुल नहीं हैं। जब बरसात में पानी आता है तो लोग उसमें बह जाते हैं और जो लोग उनको बचाने के लिये दौड़ते हैं वह भी बह जाते हैं। रोहनवाला और मनकावाला ऐसे नाले हैं जहां पर कोई पुल नहीं है। दरिया नाला है जो गोरखपुर से नेपाल की सड़क पर पड़ता है लेकिन इस पर भी जो पुल है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वह किसी भी दिन गिर सकता है। इन्जीनियरों ने लिखकर दे दिया है कि इस पुल की हालत बहुत ही खराब है और किसी दिन यह गिर सकता है। अगर गिर गया तो मान्यवर हमारी जान जा सकती है या दूसरे की जान जा सकती है। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि अगर इस पुल को न बनाया गया तो जल्दी ही यह पुल ध्वस्त हो जायगा। हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त घोषित हुआ है। जगह-जगह पर खाद की व्यवस्था अन्य जिलों में की गयी है लेकिन हमारे क्षेत्र में खाद और बीज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैंने इस संबंध में बी० डी० ओ० और अन्य अधिकारियों को भी लिखकर दिया है कि इसकी व्यवस्था की जाये, लेकिन अभी तक कोई सुनवायी नहीं की गयी है।

*श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, हमारा बस्ती जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है जिससे आप भी परिचित हैं। मान्यवर, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें घाघरा, मनवर, कुवानों, खई मजोरा आदि नदियां बहती हैं। पिछली बाढ़ जो आयी थी उसमें किश्ती के डूबने से २ आदमी की मृत्यु हो गयी थी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में ४ ब्लाक हैं जिनमें बहादुरपुर कुदरहा, बनकटी और सदर ब्लाक हैं। मैंने कई बार मंत्री जी से आग्रह किया कि इस पिछड़े हुये क्षेत्र की ओर सरकार ध्यान दे। मान्यवर, कुदरहा ब्लाक में भगौतीपुर मांझा, तिलकापुर, मटियारा तथा गंगापुर मांझा घाघरा के कटान से कट गये हैं। वहां के रहने वालों के घर भी बरबाद हो गये हैं। वहां की जमीन भी कट गयी है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था कि जो गांव कट गये हैं, जिन लोगों के घर कट गये हैं, उनको बसाने के लिये एक वृहद योजना बनायी जाय। जिला फैजाबाद में एक जंगल है उसके लिये मैंने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे यहां के लोग वहां जाने को तैयार हैं और वहां पर बसने के लिये भी तैयार हैं। वहां पर बस कर वे लोग कृषि के लिये भूमि भी पा सकते हैं ताकि वे और अधिक भुखमरी के शिकार न हों। मान्यवर, अगर उस क्षेत्र की हालत को आप चल कर देखें तो पायेंगे कि बड़ी ही दयनीय दशा है। कोई भी आदमी वहां जाये और देखे उसकी आंखों से आंसू आये बिना नहीं रह सकते हैं।

मान्यवर, उस क्षेत्र में कलवारी सड़क है तथा राम जानकी मार्ग है। वही एक मात्र यातायात का साधन है लेकिन वह कार्य भी पूरा नहीं हो रहा है। मान्यवर, लालगंज में मनवर और कुंवानों का संगम है। वहां पर न जाने कितनी किश्तियां डूबा करती हैं। इसके बारे में मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से आग्रह किया था कि वहां पर एक पुल

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

बनवा दिया जाय नहीं तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग डूबते रहेंगे । ये ५ नदियां एक हो जाती हैं और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिये और एक गांव से बाजार जाने के लिये केवल किश्ती ही एक मात्र सहारा हैं । वहां पर जाकर अधिकारियों और मंत्रियों ने भी देखा हैं कि क्या हालत हैं । उस जनपद की दशा किसी मंत्री अथवा किसी अधिकारी से छिपी नहीं हैं । मेरा यह भी मंत्री जी से आग्रह हैं कि वहां पर टैस्ट वर्क्स खोले जायं लेकिन आज तक कोई काम वहां पर चालू नहीं किया गया हैं । अगर इस क्षेत्र की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो न जाने कितने नागरिक भूखों मर जायेंगे । वहां पर सर्दी की मौसम में घाघरा नदी के बालू में जो लोग रहते हैं उनके पास पुवाल भी नहीं हैं जिससे सर्दी से बच कर वे आराम कर सकें । माननीय गुप्ता जी ने १०० कम्बल और ५० जोड़े कुर्ता पायजामा वहां के लोगों के लिये दिये थे लेकिन जब मैं उनको उस क्षेत्र में बांटने के लिये गया तो केवल १०० आदमियों को ही दे पाया । मैंने सोचा कि किस को दूं और किसको न दूं । मैं स्वयं रो पड़ा । आज यहां के लोगों की यह हालत हैं और जब तक सरकार की ओर से सक्रिय कदम नहीं उठाये जायेंगे जिससे वहां के नागरिक अपने पैरों पर खड़े हो सकें तब तक उसक्षेत्र की उन्नति नहीं हो सकती हैं ।

कुदरहा ब्लाक में सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ आया करती हैं । मेरी माननीय सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना हैं कि वे इस इलाके का सर्वे करायें और पता लगवायें कि कहां पर ट्यूबवेल की व्यवस्था हो सकती हैं । अगर बाढ़ के कारण वहां पर ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं तो कोई और योजना इस क्षेत्र की सिंचाई के लिये बनायी जानी चाहिए । लालगंज का इलाका कुवानों और मनवर से डूबा रहता हैं । वहां पर दूसरी संस्थायें जो राहत पहुंचाने के लिये गयीं उनका भी एक मात्र सहारा किश्ती ही था ।

हमारे यहां बाढ़ के कारण सड़क टूट गयी और पुल जो थे वे भी बह गये । मंडी समिति से मैंने मूड़घाट गनेशपुर ३ किलोमीटर सड़क बनवायी हैं । पुलिया न होने के कारण किश्ती में सवार दो आदमी डूब कर मर गये । मेरा निवेदन हैं कि लालगंज तथा मूलघाट पर शीघ्र पुल बनवाना अति आवश्यक हैं ताकि वहां की जनता को कुछ राहत मिल सके तथा गनेशपुर क्षेत्र जो साल भर टापू बना रहता हैं शेष भारत से जुड़ जाय ।

डाक्टर बाबूराम प्रभाती (जिला पीलीभीत)—

मान्यवर, मैं रवीन्द्रनाथ तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र हैं । हमारे पूरनपुर क्षेत्र में शारदा नदी बहती हैं जिसका वेग बहुत ही तेज हैं । उसके कारण तमाम जमीन हमारे यहां की कटती चली जा रही हैं और उसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही हैं ।

मान्यवर, मेरे यहां का क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ हैं । तरायी का इलाका हैं । वहां पर तेल का भन्डार भी मिला हैं । विशेषज्ञों ने बताया हैं कि वहां काफी मात्रा में तेल मिल सकता हैं । इसलिये मेरा निवेदन हैं कि हमारे क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

[डा० बाबू राम प्रभाती]

पूरनपुर को म्युनिसिपल बोर्ड, घोषित किया गया है, किन्तु सरकार की ओर से अन्य म्युनिसिपल बोर्डों को जो अनुदान दिया गया उसी प्रकार हमारे यहां अनुदान नहीं दिया गया। हमारे यहां केवल १५ हजार का ही अनुदान दिया गया जब कि दूसरी नगरपालिकाओं को एक-एक लाख रुपया दिया गया। मेरा निवेदन है कि अनुदान की इस राशि को बढ़ाया जाये।

शारदा नदी के कटान से जो भूमि कटती चली जा रही है उसको रोकने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

शारदा नदी के किनारे धुरिया के इलाके में काफी जमीन कट गयी है उस नदी के कारण, काफी लोग बेरोजगार हो गये हैं, कटाव को तुरन्त रोका जाय। इसलिये इस क्षेत्र के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाये।

पीलीभीत में एक खकरा नदी भी है। इसके पास १५ हजार की आबादी है। इस नदी ने एक सड़क पीलीभीत चदोंई मझोला को काट दिया है जिसके कारण लोगों के निकलने के लिये रास्ता बन्द हो गया है। इसके कारण आये दिन राहजनी व अन्य क्राइम्स बढ़ रहे हैं। पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सिंचाई विभाग को इस कटी हुई सड़क को तुरन्त बनवाना चाहिये। यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ही कटी हुई सड़क आती है। सड़कें हमारे जिले में इतनी कम हैं कि उनसे काम नहीं चलने का। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो जंगली इलाका है, जिसमें आये दिन डाकुओं के गिरोह घूमते रहते हैं, जिसमें पुलिस तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पुलिस अगर जाय तो रास्ता भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में सरकार ने दो नहरें इस साल मंजूर की हैं जिसकी खुदाई का काम बहुत सुस्ती से हो रहा है। अभी तक वहां पर कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस पिछड़ेपन पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सन् ५२ से जमींदारी खतम हो गयी और उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में जमींदारी अब भी चालू है। १८७२ में इंगलिश पीरियड में हमारे यहां के इस्टेट के राजा नरसिंह राव से एक समझौता हुआ था जिसको आज कहते हैं हकचौंहरम। यदि कोई भी किसान मजदूर अपना मकान बेचता है तो उस पर १/४ आज भी चौंहरम लिया जाता है। मैं बराबर शासन से मांग करता रहा, लेकिन आज तक शासन ने ध्यान नहीं दिया। मैंने हाउस में क्वेश्चन भी किया, तो जवाब आया कि शहरी क्षेत्र में अभी जमींदारी समाप्त नहीं हुई और जमींदारी अब भी बरकरार है। तो लिहाजा उनको अभी यह अधिकार है कि टाउन एरिया के अन्तर्गत उस जमीन पर जमींदार का पूरा हक है। वह अपने द्वारा दूसरे को बक्सीज नामा लिख देते हैं। इस तरीके से आम लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। अभी हाल में एक लखना ग्राम में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। इस तरीके से और भी

केसेज हाई कोर्ट के अन्दर विचाराधीन हैं ।

इसके बाद मैं अपने क्षेत्र जो कि क्वारी चम्बल जमुना के बीच में स्थित हैं, जहां पर लाखन सिंह और मान सिंह जैसे डकैत पैदा हुये और उसी बीहड़ के इलाके में शरण लेते रहे और आज भी उसी दृष्टि से यह हमारा क्षेत्र डाकुओं से आतंकित रहता हैं । उसका कारण हैं कि इस क्षेत्र में सड़कों की भारी अव्यवस्था के कारण पुलिस भी नहीं पहुंच पाती । मैं चाहता हूं शासन से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र को डाकूग्रस्त एरिया घोषित करके इसके विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाय जिससे कि उन डाकुओं पर जो सरकार काफी रुपया खर्च करती हैं, तो उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना अनिवार्य हैं । इसके बाद मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्वारी और चम्बल के बीच में सिंचाई का एक भी ट्यूबवेल न होने के कारण वहां का किसान मजदूर भगवान के आसरे पर निगाह रखे रहता हैं, लेकिन इस सरकार का ध्यान आज तक पिछड़े क्षेत्र पर नहीं गया । ३० साल में इस कांग्रेस शासन ने भी उसे अछूता छोड़ा हैं और आज यह भी सरकार नहीं ध्यान दे रही हैं । जनपद इटावा में एक क्षेत्र के विकास के लिए ४२ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया और इसके अलावा इटावा में ३०-३५ ट्यूबवेल मंजूर हुए, जिसमें से मेरे क्षेत्र में एक ही ट्यूबवेल की मंजूरी हुई । सभी अपने-अपने दबाव में १०, १० ट्यूबवेल ले गये । इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि एक समान नीति होना चाहिए । बंटवारा समान रूप से होना चाहिए । हर एक क्षेत्र में विकास समान होना चाहिए । मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान बकेवर की तरफ दिलाना चाहता हूं । वहां एक पायलेट वर्कशाप एग्रो को चलाने के लिए दिया गया लेकिन आज तक किसी प्रकार का काम चालू नहीं किया । मैं लखना क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । वहां १९७५ में जो सरकारी मेल अस्पताल था उसका प्रोविंशियलाइजेशन हुआ था लेकिन जो फीमेल अस्पताल हैं उसमें डाक्टरनी की व्यवस्था नहीं हैं जिससे मरीजों को परेशानी हो रही हैं । जिला परिषद् द्वारा चल रहा हैं । इसका प्रांतीयकरण किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिये ।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझको कुछ समय बोलने के लिये प्रदान किया । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपने जनपद मुजफ्फरनगर के बारे में बताना चाहता हूं । यह पश्चिमी क्षेत्र में हैं । हमेशा वह आपकी नजरों में धनाढ्य क्षेत्र कहा जाता हैं । लेकिन भगवान के प्रकोप से जो बाढ़ आयी उसमें हमारा जनपद इतना नीचे चला गया जो बेमिसाल हैं । आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां गंगा नदी की तराई में खादर इलाका हैं । अबकी बरसात बहुत हुई वहां पर लोग नावों में बैठाकर या अग्निबोट में बैठाकर लाये गये । वहां ईख की फसल, धान की फसल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नन्द राम—]

बरबाद हो गयी । इस बरसात के कारण इतना नुकसान हुआ है कि हमारा जनपद उसकी कीमत १० साल तक नहीं अदा कर सकता । मेरठ कमिश्नरी जो है वह गन्ने के मामले में सबसे आगे थी । लेकिन इस बरसात के कारण इतना नुकसान हुआ कि काश्तकार की कमर टूट गयी । हमारे गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं । कल हमारे जनपद के ७०-८० काश्तकारों का एक डेपुटेशन आया और मंत्री जी से मिला उन्होंने आश्वासन दिया । मैं मंत्री जी से फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे जनपद में जो पुराना गन्ना खड़ा है जिससे काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि पुराने गन्ने को मिल में सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे । एक और परेशानी काश्तकारों के सामने है जिसे मैं बताना चाहता हूं । हमारे पश्चिम क्षेत्र में चार भाई हैं । उनके पास १०० बीघे जमीन है । सबके पास २५-२५ बीघे हैं तो सर्वे में एक के २५ बीघे में सर्वे किया गया और बाकी ७५ बीघे छोड़ दिया गया । तो इस तरह से जल्दी-जल्दी सर्वे किया गया और सर्वे में बाकी जमीन छोड़ दी गयी । तो तीनों भाईयों का सर्वे कराकर उनका बांड भरवाकर इसकी व्यवस्था करें ।

मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि छोटे-छोटे उद्योगों को पनपायेंगे । जो गरीब आदमी हैं चाहे पिछड़े लोग हों, या कोई हो उसकी मदद की जायगी । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यदि गरीब आदमी ऋण लेने के लिए बैंक जाता है तो उसके लिए दरवाजा बंद है । उसको पैसा नहीं मिलता है । मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां भी हो सके, चाहे हरिजन हों, नान-हरिजन हों, पिछड़े लोग हों, उनको छोटे उद्योग जैसे हथकरघा, दियासलाई, मोमबत्ती आदि घरेलू उद्योग धंधों के लिये ऋण मिले और ऋण मिलने की उचित व्यवस्था हो । जिससे उनका अच्छी तरह काम चल

गन्ना विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में रोहाना मिल है, जो रिसीवरशिप के अन्तर्गत है, उसकी मशीनरी इतनी खराब है कि किसान की रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है । उसमें सरकार काफी रुपया लगाती है लेकिन उसकी सप्लाई दिन पर दिन गिरती जाती है । वहां के रिसीवर श्री नेगी हैं जिनके ट्रान्सफर के लिये कहा गया था लेकिन अभी तक उनका ट्रान्सफर नहीं हुआ है । इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि श्री नेगी का तुरन्त ट्रान्सफर कर दिया जाय जिससे किसानों में जो असंतोष है वह समाप्त हो ।

मान्यवर, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में टी० बी० का जिला अस्पताल है जिसमें दो कमरे हैं । मरीज अधिक आते हैं जिससे उनकी चारपाई अस्पताल के बाहर पड़ती हैं । इसलिये मैं चिकित्सा मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस अस्पताल में कम से कम १० कमरे बनवायें जिससे मरीजों को अस्पताल के अन्दर रखा जा सके । अन्त में मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री हाफिज रजा खां (जिला बरेली)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और आप कितने महान हैं कि मुझ जैसे छोटे बिन्दु पर भी आपकी नजर पड़ गयी । मैं एक कमजोर

और थके क्षेत्र से आया हूं। मेरा क्षेत्र चौंववन भोजीपुरा उपेक्षित क्षेत्र रहा है। वहां न तो सड़कों का निर्माण हुआ और न नहरों का ही तथा न शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई प्रगति हुई है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में रामगंगा का खादर क्षेत्र है। वह चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। उसमें जाने का कोई रास्ता या पुल नहीं है। सार्वजनिक मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि वह हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें दिलवा दें। तो उन्होंने कहा कि हमने अधिशासी अभियन्ता से कह दिया है लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया कि अगली बार इसको देखेंगे। इसी तरह शिक्षा के सवाल पर हमारे वहां केवल ४ प्राइमरी स्कूल हैं, कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है। इसलिए बजट में हमने प्रार्थना की थी कि मीरापुर क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल खोल दिया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह हमारे क्षेत्र में एक मोहनपुर गांव है वहां जाटव रहते हैं। नहर उनके दरवाजे के सामने है। लेकिन अभी तक उस पर पुलिया नहीं बनी है। इससे लोग कमर-कमर पानी पार करके आते जाते हैं। सड़क पर जाने के लिए १० मील का रास्ता है तो ४० मील चलकर सड़क पर लोग पहुंचते हैं।

मान्यवर, इसी तरह हमने सिंचाई मंत्री जी को लिखा और अधिशासी अभियंता को लिखा कि भोजीपुरा क्षेत्र में दलपतपुर माइनर जो है उसको आगे तक बढ़ा दें लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और न ट्यूबवेल ही लगाये गये। इसी तरह सार्वजनिक निर्माण मंत्री से सड़क के लिए कहा कि खादर के रास्ते पर सड़क बनवा दें तो उन्होंने कहा कि वह जमीन रबड़ फैक्ट्री के लिये आती है जबकि हजारों बीघे जमीन एक्वायर करके बेकार पड़ी हुई है। काश्तकार से भी निकाल लिया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर दो चार बीघे जमीन उस रास्ते पर आ जाती तो गजब की बात नहीं होती। मैं समझता था कि इस असेम्बली में आने का मुझे अवसर मिला है मगर बदनसीबी कि इन्डीपेन्डेन्ट आया था कि इस क्षेत्र की बदनसीबी यह रही कि इसमें से विरोधी दल के ही आते रहे। एक मर्तबा एक साहब रूलिंग पार्टी के आये तो उप मंत्री हो गये थे और कबूतर उड़ाते रहे। मैं यहां फर्शी सलाम करता रहा। मैंने सुना था कि मंत्री लोग जिन क्षेत्रों के हैं उनमें निर्माण कार्य बहुत हुए हैं और हो रहे हैं। सोचा कि किसी तरह अपना जिला व क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण मंत्री के जिले से जुड़वा दूं मुख्य मंत्री के जिले आजमगढ़ में आ जाता तो शायद कुछ तरक्की होती। फिर मैंने सोचा कि राजस्व मन्त्री के जिले से ही लग जाता फिर मैंने सोचा कि बसें भी टूटी फूटी हैं, सड़कें भी टूटी फूटी, पैसेन्जरों को परेशानी, तो परिवहन मंत्री जी के ही क्षेत्र से मिला दूंते। मैंने हर तरह की कोशिश की जिस जिले में मिलायें मेरे क्षेत्र का निर्माण हो और नहीं तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं इस्तीफा दे दूं। मैंने यह भी सोचा कि वित्त मंत्री जी के जिले से क्यों नहीं मिलायें ताकि रुपये की बहुतायत हो जाय। हर तरह से कोशिश की, बड़ी परेशानी महसूस होती है।

श्री अध्यक्ष—

यह बतायें कि बरेली से गोरखपुर ले कैसे जायेंगे किसी ट्रक या किसी और जरिये से ?

श्री हामिद रजा खां—

किसी भी मंत्री के जिले में मिला दीजिये मेरे क्षेत्र को । माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के क्षेत्र से ही मिला दीजिए (व्यवधान) मैं कह रहा था मुरादाबाद जिले के बारे में मंत्री लोगों से ऐसा मालूम होता है कि न सुनने की कसम खायी है बोलते बहुत ही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कोई तरकीब बतायें की मैं खुशामद करूं । एक तरकीब और रह गयी है कि आप को इनवाइट करूं कि आप तशरीफ लायें उस क्षेत्र में । उस इलाके में कुछ उद्घाटन आप के ही कर कमलों द्वारा हो जाय । आप के कदम आ जायं उससे कुछ बरकत हो जाय ।

मैं माननीय तिवारी जी का इतना आभारी हूं कि सब ने अपने दिल की बात कह दी है । वह सर्व प्रिय हैं । सबने उनके इस संकल्प का हार्दिक स्वागत किया है और समर्थन किया है । मैं उसका समर्थन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि सरकार ने जो सुना है, सरकार के जो नुमाइन्दे यहां बैठे हैं उन्होंने जो सुना है, उनका असर होगा ।

(श्री प्रभु दयाल यादव का नाम पुकारे जाने पर और श्री लक्खी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री लक्खी सिंह जी आप को सब जानते हैं । ऐसे मेम्बर जो बेचारे कभी बोलते ही नहीं ।

*श्री प्रभु दयाल यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों और सड़कों का बहुत बड़ा अभाव है खास तौर से सरवनखेड़ा ब्लाक में जहां बरसात में इधर से उधर जाने के लिये कोई मार्ग नहीं है जिसके कारण आवागमन बन्द रहता है और प्रशासनिक दृष्टि से भी अधिकारी लोग इधर-उधर नहीं आ जा पाते जिससे कि जिले का काम करीब-करीब ठप्प रहता है । लिहाजा सरवनखेड़ा ब्लाक में गजनेर से लेकर नवीपुर तक की सड़क का निर्माण होना बहुत आवश्यक है । इसी तरह एक सड़क गनिया से मैंथा और दूसरी गनिया से सरवनखेड़ा तक बहुत आवश्यक है । इस सम्बन्ध में कई बार दरखास्त दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया ।

जहां तक राजकीय नलकूपों और सिंचाई का सवाल है मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में दो तीन नदियां हैं और नहर कोई नहीं है । नहर न होने के कारण वहां सिंचाई का कार्य रुका रहता है । ऐसी दशा में उन स्थानों पर राजकीय नलकूपों का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है और राजकीय नलकूपों और नहरों के पानी का साधन न होने की वजह से पैदावार की बहुत बड़ी कमी हो रही है ।

जहां तक इस क्षेत्र में स्कूलों का संबंध है, इस क्षेत्र में स्कूलों का बहुत बड़ा अभाव है । एक गांव सांया है जहां के जूनियर हाई स्कूल की हालत बहुत खराब है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बरसात के दिनों में बच्चे दूसरे के घरों में बैठकर चौपाल में बैठते हैं। इसी तरह से दूसरे दिनों में धूप में बैठते हैं क्योंकि इसकी छत गिरी हैं। ठीक से इमारत न होने के कारण यहां के स्कूलों में पढ़ाई रुकी हुई हैं और भी बहुत स्कूल हैं जिनकी इमारतें गिरी हुई हैं। इसके अलावा यहां स्कूलों की बहुत आवश्यकता हैं। मेरा निवेदन हैं कि उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। जहां-जहां स्कूलों की आवश्यकता हैं, वहां-वहां स्कूलों का निर्माण कराने की बहुत बड़ी आवश्यकता हैं।

इसी तरह से अस्पताल की भी समस्या हैं। रेलवे स्टेशन के ३-४ मील पर कोई अस्पताल नहीं हैं। जब कोई बीमार होता हैं, तो आने जाने के सम्पर्क मार्ग भी न होने के कारण बड़ी दिक्कत होती हैं और लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं और मामूली ढंग से इलाज कर लेते हैं और बहुत से लोगों का बीमारियों से नुकसान भी हुआ करता हैं।

जहां तक हमारे क्षेत्र में पुलों का सम्बन्ध हैं, यहां पर एक सड़क सरवनखेड़ा से गजनेर बनी हुई हैं। इसको ५-६ साल बने हुए हो रहे हैं। लेकिन नदी पर पुल न बनने के कारण सरकार का सारा रुपया जो सड़क के बनाने में लगा, बेकार पड़ा हैं। सड़क न बनने और मार्ग न चालू होने के कारण जनता में बड़ा असन्तोष हैं। इसी तरह से एक दूसरी सड़क हैं सिवली से रुरा जो ६-७ साल से बनी हुयी हैं। इसमें भी एक नदी पड़ती हैं जिस पर पुल का निर्माण नहीं किया गया। इसी तरह से बहुत से पुल हैं, जो नहीं बनाये गये। सड़क बन गयी, लेकिन पुल नहीं बनाये गये, फलस्वरूप जिन सड़कों का निर्माण भी किया गया हैं, उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा हैं। इस तरह से जो सड़कें बनीं और उन पर जो रुपया लगाया गया, वह बेकार पड़ा हैं और जनता का बहुत बड़ा अहित हो रहा हैं।

जहां तक खेती का सम्बन्ध हैं, उसके बारे में भी सभी साधन उपलब्ध कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं। जहां सम्पर्क मार्गों की बात हैं उस सिलसिले में कहना हैं कि जो सम्पर्क मार्ग भेजे गये थे, जो जिलों में प्रस्तावित हुये हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही हैं। सड़कें जो प्रस्तावित की जाती हैं, वे लिस्ट में आ जाती हैं, लेकिन काम नहीं होता हैं। मेरे सरवनखेड़ा क्षेत्र में मण्डी समिति से इसी तरह से कुछ सड़कें पेश की गयी थीं और बराबर वी० डी० ओ० से कह रहा हूं लेकिन कहने के बावजूद भी कोई भी सड़क शुरू नहीं की जा रही हैं। इसी प्रकार से अन्य अधिकारीगण भी इसके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं देते और बार-बार कहने के बावजूद भी काम शुरू नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो भी डेवेलपमेन्ट होना चाहिए, वह नहीं हो रहा हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर ४४वक्ता अब तक बोल चुके हैं। अगर इस पर और आगे बहस चलेगी तो कोरम भी नहीं रहेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश इस प्रदेश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया सबसे पिछड़ा हुआ है और देवरिया में पडरौना पिछड़ा हुआ है और पडरौना तहसील में विशुनपुरा विकास क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं उस विकास खण्ड के बारे में बतला रहा हूं जहां पर दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चम्पारन में स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में भाग लिया था। जिन्होंने गोरों के अत्याचार के विरुद्ध स्वातंत्र्य संग्राम का प्रथम शंखनाद फूंका। मान्यवर, विशुनपुरा ब्लाक चम्पारन से सटा हुआ है। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि विशुनपुरा ब्लाक में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, भारत के किसी क्षेत्र में नहीं हुए हैं। लेकिन वहां पर मुख्यालय होने के बावजूद भी सड़क नहीं है। केन्द्र सरकार के अध्ययन दल ने बतलाया, रिजर्व बैंक की स्टडी टीम ने बतलाया है कि इस क्षेत्र में छः महीने अस्सी प्रतिशत आबादी महाजनी कर्ज पर जीवन गुजर करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि यह क्षेत्र विश्व में अपोषण का सर्वाधिक शिकार है। संसार में ऐसा कोई स्थान है जहां पर इस्नोफीलिया और फायलेरिया जैसे जो रोग हैं उसके सबसे अधिक जीवाणु और कीटाणु यहां पर पाये जाते हैं और ९९.९ प्रतिशत बच्चे उसके शिकार हैं। मैं इस सदन के माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 'यूनीसेफ' के माध्यम से इन नौनिहाल बच्चों को जिनमें ९९ प्रतिशत रोगी की स्थिति में हैं और केन्द्रीय अध्ययन दल जिसका साक्षी है कि ९५ प्रतिशत लोग घेघा रोग से ग्रसित हैं, इस ओर सरकार ध्यान दे।

विशुनपुरा ब्लाक की जिसकी उपेक्षा पिछले ३० वर्षों से होती रही है उसके सर्वांगीण विकास की मांग करता हूं और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि श्रावस्ती से कुशीनगर की बेल्ट की ओर भी ध्यान दिया जाय। पड़रौना तहसील जहां पर भगवान तथागता महाबीर ने निर्वाण प्राप्त किया था और जो उनकी निर्वाण भूमि है जिसके बारे में विलियन कीनंघम लार्ड कार्लाइव व व्हेनसांग गजेटियर ने भी माना है, जो भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि है तथा महाबीर की भी निर्वाण भूमि बस्ती, गोरखपुर और देवरिया की सीमा पर है और पुरातत्व के लिए संसार में आकर्षण का केन्द्र है। पुरातत्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल है जिसके लिए विलियम कीनंघम ने कहा था कि पुरातत्व के विचार से यह स्थल अत्यन्त महत्वपूर्ण है और ऐसे क्षेत्र यहां पर सबसे अधिक हैं। लेकिन श्रीमन्, बड़े खेद का विषय है कि ३० वर्षों के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसके विकास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस क्षेत्र के पहले कोई योजना बनी भी थी। शासन चले जाते हैं और सत्ता बदलती रहती है लेकिन श्रीमन् नीति को नहीं बदलना चाहिए। इसी प्रकार इस क्षेत्र में बड़ी गण्डक और सरयू के कारण दैवी आपदाओं के कारण यह भूमि त्रस्त रहती है और इसके लिये मैं जल निकासी के उचित प्रबन्ध किये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, बड़ी गण्डक पर पुल की व्यवस्था के लिये स्वर्गीय गोंदा सिंह जी अन्तिम क्षण तक प्रयास करते रहे। बड़ी गण्डक सीमावर्ती प्रदेश से बहती है और इसके साथ बिहार का भी क्षेत्र लगा हुआ है। इस पर पुल की योजना खटाई में पड़ गयी है। मान्यवर, मैं यह भी मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर

और देवरिया जैसे क्षेत्र से तमाम लोग झरिया, आसनसोल, राउरकेला और भिलाई में खदानों में काम करते हैं और इस क्षेत्र के बहुसंख्यक नवजवान उन खदानों में काम करने के कारण टी० बी० से ग्रसित हो जाते हैं। मेरी मांग है कि इनके लिए टी० बी० सेनीटोरियम की अलग व्यवस्था होनी चाहिये। मजदूरों में कितनी क्षमता होती है वह मारीशस में देखा जा सकता है जहां पर रामगुलाम ऐसे लोग पैदा हुए हैं। मैं पुनः **विशुनपुरा ब्लाक के सर्वांगीण विकास की मांग करता हूं और इन शब्दों के साथ संकल्प प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं।**

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर बहस नहीं होगी। माननीय नियोजन मंत्री .....

(श्री लक्ष्मण सिंह के खड़े होने पर)

***श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—**

मेरी गुजारिश यह है कि माननीय मंत्री जी हमारा मुरादाबाद जिला भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं संभल इलाके के लिये गुजारिश करता हूं कि उसके लिये भी कुछ करें और पिछड़े इलाके में लें।

समभ्ल के लिये गुजारिश करूंगा कि उसे भी पिछड़े इलाके में शामिल कर लिया जाय।

नियोजन राज्य मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि थाने और तहसील के झगड़े से हट कर विधायकगण विकास और प्रान्त के पिछड़ेपन की बाबत भी चिन्तित हैं। करीब चार घंटे माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान सुझाव दिये। मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमारा प्रान्त पूरे देश में सबसे पिछड़ा प्रान्त है। पिछड़े क्षेत्रों के लिये कोई अलग से योजना बनाई जाय यह माननीय सदस्यों के लिये चिन्ता का विषय है लेकिन इससे भी बढ़ कर माननीय सदस्य गहराई से विचार किये होते तो हमको एक अच्छी योजना बनाने में अधिक सहायता मिलती। यह इसलिये निवेदन किया कि सारे सूबों से जनसंख्या का जहां तक सम्बन्ध है उसकी डेन्सिटी भी यहां अधिक है और बजट का जहां तक सम्बन्ध है सभी सूबों के मुकाबले पर कैपिटा बजट यहां का कम है। ७८६ करोड़ रुपये का बजट है जो पिछले सालों से बढ़ा कर ही रखा गया है।

तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है और उसके विरोध में कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता और सरकार को भी इससे कोई विरोध नहीं है और न इसके विरुद्ध कोई बात रखने का उद्देश्य ही है। जब से यह जनता सरकार बनी है तब से हमने बजट ही नहीं बढ़ाया है; बल्कि यह भी कोशिश की है कि सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल तथा पानी की सुविधायें पिछड़े इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाय जहां आज तक वे नहीं पहुंच सकी हैं। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे यह समझने में सुविधा हो जायगी कि प्रान्त की क्या स्थिति है। मिसाल के लिये प्रान्त में २१ प्रतिशत आदमी शिक्षित हैं। पहाड़ी इलाके का प्रतिशत २१.३ है,

[श्री लक्ष्मण सिंह]

पूरब में १९.४, मध्य प्रान्त में २२.९, पश्चिम में २२.३, बुन्देलखंड में २२.५ हैं। इससे यह बात सिद्ध हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा प्रतिशत हैं लेकिन तीस वर्ष के लम्बे समय में कुल २१.७ प्रतिशत आदमी शिक्षित हो पाया। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मौजूदा सरकार दो चार साल में ८० प्रतिशत लोगों को शिक्षित करने में सक्षम हो जायगी तो यह मुमकिन नहीं हैं।

अस्पतालों की बात ले लीजिये। प्रदेश की एक लाख आबादी पर २.८५ अस्पताल का औसत आता हैं। अगर अलग अलग बांटें तो कहीं ढाई होगा कहीं तीन होगा। पर्वतीय क्षेत्र में ८.९५ हैं। वैसे यह बहुत बड़ा प्रान्त हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कठिनाइयां हैं। यह सही हैं कि पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ा हुआ हैं। उसमें और धन लगाने की आवश्यकता हैं और ऐसी योजनायें बनानी चाहिए जिससे वहां का तेजी से विकास हो सके। उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

बुन्देलखंड के कुछ साथियों ने अपने क्षेत्र की बातें रखी हैं। अगर सारे आंकड़े सदन के समक्ष रखे जायं तो दो एक चीजों को छोड़ कर जितनी अन्य सुविधायें हैं तथा मनुष्य मात्र की आवश्यकताओं से सम्बन्धित चीजें हैं उन सब में बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ हैं। उसके क्या कारण हैं इसके बाबत भी हमने राज्य योजना आयोग से यह जानकारी हासिल करने के लिये एक कमेटी गठित की हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा क्यों रह गया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जब इस देश और प्रदेश में पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ हुईं यानी १९५१ में पहली योजना तैयार हुई थी तब देश की परकैपिटा इनकम २४८ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी जो १९४८ की कीमत के हिसाब से थी हमारे प्रदेश की आमदनी २६० रु० थी। सन् १९७६ में जब पिछली लोकप्रिय सरकार गई हैं उनके यह खुद के आंकड़े हैं कि पांच योजनायें पूरी हो गईं और हमारे प्रान्त की आमदनी २६० से बढ़ कर २६८ रु० और देश की आमदनी २४८ से बढ़ कर २६६ रु० हो गई। तो वह जो मैंने बीच में बात कही थी कि इसके लिये किसकी जिम्मेदारी हैं राजनीतिक लोगों की हैं या सरकारी मशीनरी की हैं या मिली जुली हैं या केन्द्र की हैं इसके लिये हमने अपने स्तर पर राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की हैं। वह जांच कर रही हैं उसकी रिपोर्ट आने पर मालूम होगा कि किस प्रकार इस क्षति की पूर्ति की जाय उस पर प्रयास किया जा रहा हैं।

जो प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने रखा हैं उसमें एक बात शुरू में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगली योजना हम तैयार कर रहे हैं। उस छठीं योजना के लिये चार मूल उद्देश्य रखे हैं सबसे पहला उद्देश्य यह हैं कि गरीबी और बेरोजगारी का अगले १० वर्षों में उन्मूलन किया जाय यह हमारी घोषित नीति भी हैं। योजनाओं के द्वारा हम उस उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। दूसरा निम्न रहन सहन के स्तर को सुधारा जाय। तीसरा उद्देश्य यह हैं कि उपर्युक्त वर्ग को न्यूनतम सुविधायें जैसे पानी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात की सुविधायें आवास आदि उपलब्ध करायें जायं। चौथा वर्तमान आय और सम्पत्ति के वितरण में असमानता दूर की जाय।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारी योजना का बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक उद्देश्य यह हैं कि जो वितरण में और आमदनी में जिलेवार, क्षेत्रवार विषम-

तायें हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाय। माननीय सदस्यों का सुझाव आया है कि उस क्षेत्र का सर्वे कराया जाय यह सही है मगर एक ही महकमा आंकड़े और सर्वे करता है उसके सर्वे के आंकड़े मेरे पास हैं। इसमें यह बताया गया है कि किस क्षेत्र में कितने गेहूं, चावल और मक्के की पैदावार है यह जिलेवार आंकड़े हैं और कितना उनमें इंडस्ट्रिलाइजेशन है, कितनी सड़कें हैं, कितनी शिक्षा है, कितने अस्पताल हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि सबसे खराब हालत बुन्देलखण्ड की है। उसमें बहुत तेजी से काम होना चाहिए उस पर हम विचार कर रहे हैं और जो हमारा डेढ़ साल का अर्सा है उसमें पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें हमने हेरफेर किया।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये दो चार बातें बताना चाहता हूं जिससे थोड़ा सा विश्वास बन जायेगा कि हमने कोशिश की है। कि पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये अधिक धन खर्च करें और उनके स्तर में सुधार किया जा सके। सबसे पहले वर्ष हमने १५ करोड़ रु० इस बात के लिये रखा था कि स्थानीय तौर पर स्कीम बनाई जायं। और उसके लिये लोकल प्लानिंग या स्थानीय नियोजन के नाम से एक स्कीम तैयार की गई थी। अगले वर्ष भी २५ करोड़ रुपये इसमें रखा। आपको जानकारी है कि प्रदेश में भीषण बाढ़ आई और उसके वजह से हमारी तमाम प्लानिंग में गड़बड़ी पैदा हो गयी और उसमें इतनी बड़ी हानि हुई है प्रदेश को कि उसकी पूर्ति करना सालाना बजट में सम्भव नहीं है। वह एक सालाना बजट के करीब क्षति हुई है। अतः उसमें जरा सी कठिनाई हुई जहां हम प्लानिंग बना रहे थे, यह बात सामने आई कि पहले बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाये। यह विचार आया कि दूर दराज के गांवों में जो सबसे गरीब आदमी रहता है, उसको सहायता दी जाय। तो यह स्कीम बनी कि जिस व्यक्ति की वार्षिक औसत आय सबसे कम है और जिसके बारे में इस सम्बन्ध में ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके भेजेगी, उनको पांच हजार रुपया ऋण और तकावी दी जायगी। वह चुनाव किया गया। उसमें हमने कोशिश की कि विधायक साथियों को भी शामिल किया जाय, उनकी राय ली जाय। कहीं कहीं ली गयी और कहीं से शिकायतें भी आई हैं और उसमें २५ करोड़ रुपया और हमने रखा है।

इसके अतिरिक्त पेयजल के लिये वर्ष ७६-७७ के २३.६० करोड़ रुपये की तुलना में ७७-७८ में ३४ करोड़ और ७८-७९ में ४४.९० करोड़ रुपयों का प्राविधान हमने किया है। शिक्षा पर ७६-७७ में १५.२२ करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध हमने ७७-७८ में २२.३८ करोड़ दिया तथा ७८-७९ में इसके लिये ३२.८९ रु० का प्राविधान किया गया। इसी प्रकार चिकित्सा ७६-७७ में ६.५० करोड़ रुपये की तुलना में ७७-७८ में ७.८० रु० खर्च किये गये और ७८-७९ के लिये ११.२० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। उसी तरह सड़कों और पुलों पर जहां ७६-७७ में २२.४० करोड़ रुपया खर्च हुआ ७७-७८ में ४५ करोड़ खर्च किया और ७८-७९ के लिये ६० करोड़ का प्राविधान किया गया है। ग्रामीण और कुटीर उद्योग पर ७६-७७ में ६.१० करोड़ की तुलना में ७७-७८ में ९.२३ करोड़ रुपये रखे गये तथा ७८-७९ के लिये १३.३७ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। उसी तरह विद्युत पर ७६-७७

[श्री लक्ष्मण सिंह—]

में २१७ करोड़ रुपये व्यय की तुलना में ७७-७८ में २५२.८८ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और आने वाले वर्ष के लिये २७५.८९ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सिंचाई पर ७६-७७ में १०२.३१ करोड़ रुपये खर्च हुए थे, ७७-७८ में उसे बढ़ा कर १२६ करोड़ करके ७८-७९ के लिये १६८ करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा इन तीन वर्षों में न्यूनतम पानी पीने की सुविधा के लिये ७६-७७ में २५.२६ लाख रुपये औसत वार्षिक खर्च हुये, ७७-७८ में २० लाख रुपये खर्च किये गये और ७८-७९ के लिये ६९० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

साथ ही माननीय सदस्यों को जानकारी है कि फूड फार वर्क्स की स्कीम के अन्तर्गत मंडी समिति द्वारा सड़के पिछले साल बनाई गयी थीं और उसमें अभी अभी मंडी परिषद् की तरफ से ४ करोड़ और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से ८ करोड़ रुपया लगाकर उनको पक्का किया जा रहा है। २८०० किलोमीटर लम्बी सड़कें बनेंगी। २८ सौ किलोमीटर सड़कें मंडी समिति द्वारा बनायी गयीं। इस प्रकार उस स्कीम को जारी रखने का विचार है। यह आंकड़े मैंने इसलिये दिये कि जो कि प्रदेश के साधन हैं, जो बजट है उसके अन्दर हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़े क्षेत्रों को और गांव के लोगों तक नियोजन की प्रक्रिया का लाभ पहुंचाया जाय। मगर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र और विकास खंड तथा तहसील तक पहुंचते हैं, उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है, हम चाहते हैं अगले चार पांच वर्ष में किसी जगह शिकायत न रहे कि स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं बना है, सड़कें नहीं बनी। हमने कोशिश की है कि अगले चार पांच सालों में हर गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाय। आपको ताज्जुब होगा कि पिछली सरकार जो उद्घाटन और पत्थर लगा कर गयी है जो कागजों पर या जबानी सड़कें पास कर दी हैं, ८-९ सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह पूरे साल का बजट है। उन्होंने इस प्रकार के आश्वासन दिये थे। ऐसी नीति इस मौजूदा सरकार की नहीं है।

मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को जितना काम हम करने में सक्षम हैं, उतना ही केवल प्रचार करना चाहते हैं। निर्णय होने के बाद हमारे मंत्री घोषणा करते हैं। ऐसा तय हुआ है। उसमें देखा गया कि इतना धन उपलब्ध नहीं है कि अगले तीन चार सालों में हर गांव को पक्की सड़क से नत्थी कर दिया जाय। १५ सौ आबादी के जितने गांव हैं उनको जोड़ने पर विचार हुआ है। उसमें भी साढ़े सात करोड़ रुपये की आवश्यकता। अब हम वो बजट बना रहे हैं पंच वर्षीय बजट, नेशनल डिफेन्स काउंसिल की मीटिंग से यह अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाया है, उसमें ८ हजार करोड़ रुपये की योजना है। हम समझते हैं कि कमोबेश हो कर वह पास हो जायगी। सात आठ सौ करोड़ रुपये अगले पांच सालों में सड़कों पर खर्च कर पायेंगे। इस रफ्तार से मैं मानता हूं कि सड़क ऐसी साधारण सी चीज है, जिसकी मांग आज हर इलाके में करते हैं, विभाग पर दबाव डालते हैं, रोजमर्रा पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर या दूसरे अधिकारियों से मांग करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे भी सम्भव हो, सड़कों को जल्द से जल्द सूबे की सड़कों से कनेक्ट किया जा सके या पूरे सूबे के १५ सौ आबादी के हर गांव को कनेक्ट कर दिया जाय। मैंने यह इसलिए कहा कि माननीय सदस्य इसको निगाह में रखें, क्योंकि यह जो प्रचार होता है कि जनता सरकार ने कोई काम नहीं किया उसका जवाब देने में उनको सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—

अभी कितना समय लेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

दो मिनट में खत्म किये देता हूं। १९ हजार ६१ बस्ती ऐसी हैं जिनमें पीने के पानी की आवश्यकता है। इनमें अधिकतर हरिजन बस्तियां हैं। इनमें १६ हजार ४ सौ पूर्वी क्षेत्र में हैं। हम पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम जो यह व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां पानी उपलब्ध है पश्चिमी इलाकों में वहां नहीं करने जा रहे हैं जो कि पिछड़े इलाके हैं वहां उस रुपये को खर्च करेंगे। लेकिन तहसीलवार और क्षेत्रवार नियोजन सम्भव नहीं है। पूर्वी इलाका पिछड़ा है यह बात प्रचार में अधिक आती है। अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास जिलेवार आंकड़े हैं, आप देखेंगे कि पश्चिमी इलाके में भी ऐसे जिले हैं जहां सड़कें उतनी नहीं हैं, बहुत से पूर्वी इलाके के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। एक बात सीधी है कि बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा है। और यह जो राजधानी के पास का इलाका है बदकिस्मती से यह भी पिछड़ा हुआ है और पहाड़ भी पिछड़ा हुआ है। हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मैं माननीय तिवारी जी को बधाई देता हूं कि वह समय-समय पर प्रान्त के विकास की बात उठाया करते हैं। पहली बार गोंडा और बहराइच की बात उन्होंने उठायी थी। सही बात थी। पिछड़े हुए इलाके हैं। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया साधन बहुत सीमित हैं। अब गन्ना विकास मंत्री जी भी आ गये तो वह काश्तकारों का रुपया दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सा दिला भी दिया है। बाकी को भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान को उसकी मेहनत का रुपया मिल जाय तो बहुत सा विकास वह कर सकता है। मैं माननीय तिवारी जी को बधाई देता हूं उन्होंने जो बात रखी उससे किसी को विरोध नहीं है और सरकार भी अक्षरशः उसको मानती है। सरकार की नीति है कि इस प्रकार का नियोजन किया जाय कि पिछड़े और निम्न स्तर के लोगों को लाभ पहुंचे। मेरा उनसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को पास कराने पर वह बल न दें बल्कि सरकार को मौका दें क्योंकि हमारी नीयत साफ है और हम उस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसके बगैर सरकार में बने रहने का और दुबारा सरकार बनाने का औचित्य नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी आपका काम तो सब सदस्यों ने और माननीय मंत्री जी ने पूरा कर दिया है। आपके लिए सिवाय धन्यवाद देने के और क्या रह गया ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं न केवल माननीय मंत्री जी का बल्कि उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस संकल्प के द्वारा मैं दो तीन बिन्दु रखना चाहता था। पहला तो यह कि योजना बनाने में बजट के मामले में अब तक जो पक्षपात किया गया है उसे यह सदन डिसएप्रूव

[श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—]

करें और मुझे खुशी हैं कि चाहे इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के, जिन्होंने इस चर्चा में पार्टीसपेट किया उन्होंने अब तक की नीतियों को डिस्एप्रूव किया हैं। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि सिद्धान्ततः सब इस संकल्प से सहमत हैं और जो मेरा संकल्प हैं वह जनता पार्टी की घोषित नीति के अनुरूप हैं इसके अलावा जब इस सदन में हम कोई संकल्प पारित करते हैं तो उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं हैं और केवल नैतिक रूप से एक चीज को स्वीकारते हैं। ६७ फीसदी लोग जो इस प्रदेश में गरीबी की सीमा के नीचे रहते हैं उनका भाग्य, उनका रिश्ता सीधे जुड़ा हुआ हैं इस संकल्प से। तीसरी बात यह हैं कि अगर इस संकल्प को सर्वसम्मति से यह सदन स्वीकार करता हैं तो जैसा मंत्री जी ने कहा सेंटर से बजट के एलोकेशन में पक्षपात होता रहा हैं उसमें भी हमारी सरकार को समर्थन मिलेगा, उनके हाथ मजबूत होंगे और वह सेंटर में कह सकेंगे कि देखिये हमारे यहां किस तरह हायतोबा मची हुई हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प को स्वीकृत होने दें।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैं आपके माध्यम से फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि यह केवल एक टैक्निकल बात होती हैं। मैं जानता हूं कि उनका मन और बुद्धि बिल्कुल साफ हैं और मैंने जो बातें रखी हैं उनसे वह संतुष्ट भी हैं, कनविन्स भी हैं। जैसा मैंने बीच में कहा था कमेटी बनी हैं जो यह तय करेगी कि हमको केन्द्र से बजट कम मिलता रहा हैं। यह बात हमने प्लानिंग कमीशन के सामने रखी हैं। अगर सदन इसको इसी शकल में पास करेगा तो हमें वहां पर बात रखने का बल मिलेगा लेकिन राजनैतिक हिसाब से और हिसाब लगाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

सुनिश्चित और समयबद्ध कार्यक्रम का तो आपका आश्वासन हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने विस्तार से रख दिया हैं। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सभी का समावेश मैं करूंगा और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको विकसित करने की कोशिश करूंगा। तिवारी जी अपना संकल्प वापस ले लें तो अच्छा हैं।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जिस तरह का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने सदन की भावनाओं को देखते हुए दिया हैं और जो माननीय मंत्री जी ने कहा हैं कि इसको स्वीकार करने में टैक्निकल डिफीकल्टी हैं इसीलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ ।)

कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो काम खतम हो गया । केवल माननीय कृषि मंत्री को स्पष्टीकरण देना है । अच्छा घंटी बजा दीजिए । देव बहादुर जी बहुत टेक्निकल हैं ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, कल इस सदन में श्री राधेश्याम शर्मा ने मेरे ऊपर एक लांछन, आरोप लगाया था अपने भाषण के दौरान कि २० अगस्त को जो हत्या श्री राम चरन की हुई थी उसके सम्बन्ध में यह आरोप लगाया था कि मैंने कोई पत्र श्री गजेन्द्र सिंह जो डाकू हैं उनको लिखा था, जो इस हत्या से सम्बन्धित हैं । श्रीमन् मैं यह सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जो आरोप है वह निराधार ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण है । श्रीमन् मैंने स्वयं २१ सितम्बर को इस हत्या जो नवीनगर में हुई थी, उसमें २ हत्याओं की बात है, तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा और कहा कि इसकी सी० बी० आई० से जांच करा ली जाये जिससे सभी तथ्य प्रकाश में आ जायें । श्रीमन्, उसके बाद भी नेशनल हेराल्ड की न्यूज से ऐसा आभास हुआ कि प्रधान मंत्री भी उस हत्या के सम्बन्ध में सी० बी० आई० जांच करा रहे हैं । मैं तो यह कह सकता हूं कि पिछले ५—६ महीनों से क्या मैंने तो पिछले १–२ साल से कोई पत्र जिसका हवाला दिया जा रहा है, श्री गजेन्द्र सिंह को नहीं लिखा है । मैं चाहता हूं कि वह पत्र माननीय अध्यक्ष जी के सामने आ जाय और वे इस पत्र को सी० बी० आई० या सी० आई० डी०, जिसको भी उचित समझें, भेज दें और उनके द्वारा इन्क्वायरी करा लें ताकि पता चल सके कि किसने लिखा जैसा कि वे कहते हैं कि मैंने लिखा है, वे तथ्य भी सामने आने चाहिए । मैं पुनः कहता हूं कि मैंने श्री गजेन्द्र सिंह को १–२ साल से कोई पत्र नहीं लिखा है । वे मेरे क्षेत्र के कांग्रेसी आदमी हैं । मेरी उनसे वर्ष १९७२ से राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता है । १९६९ में जब इगलास से श्रीमती गायित्री देवी, जो चौधरी चरण सिंह की पत्नी हैं, श्री मोहन लाल के खिलाफ, जो अब संसार में नहीं हैं, चुनाव लड़ीं उस समय मैं उनका इलेक्शन एजेन्ट था । १९७२ के बाद मेरा कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा । २० अगस्त को जो हत्या हुई, उसके सम्बन्ध में जो कहा गया कि मैंने पत्र लिखा वह असत्य ही नहीं अपितु शरारतपूर्ण

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

भी हैं। मैं चाहता हूं कि वह पत्र श्रीमन् की कस्टडी में आ जाय और जैसा आप उचित समझें उसकी इन्क्वायरी सी० बी० आई० अथवा सी० आई० डी० के द्वारा करा लें ताकि इस माननीय सदन को पता चल सके कि कैसे माननीय शर्मा जी ने इस सदन को गुमराह करने और चरित्र हनन, जो कि निम्न स्तर की बात कही है। अगर उनके पास इस प्रकार का कोई पत्र था तो उसे उन्हें सी० बी० आई० को दे देना चाहिए था। अगर कोई शरारतपूर्ण रवइया है तो हम सभी की रक्षा के लिये आप उस पत्र को उनसे ले लें और इनक्वायरी के लिये भेज दें।

(श्री राधे श्याम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपने अपना भाषण दिया। माननीय कृषि मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दिया जो उन्हें अधिकार है। उन्होंने जिस पत्र का उल्लेख किया है कृपया उसे मेरे पास दे दें ताकि मैं जांच के लिये भेज दूं।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, एक शब्द मैं भी बोलना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया यह तो उनका अधिकार है उन्हें देना चाहिए लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यह शरारतपूर्ण और चरित्र हनन करने का प्रयास है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा उस बारे में मेरी बात भी सुन लें ?

श्री अध्यक्ष—

उसका नियम यह है कि अगर किसी माननीय सदस्य के बारे कोई बात हो और वह सदन में मौजूद हों या न हों तो वे स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह उन्होंने दिया है। अगर माननीय कृषि मंत्री जी ने कोई आप पर आक्षेप किया हो तो दूसरी बात है। उन्होंने जो कहा है वह यह है कि जो आपके पास पत्र है वह आप मेरे पास भेज दें। उन्होंने यह कहा है कि इस पत्र की बात को कहकर आपने सदन को गुमराह किया है और कोई बात नहीं कही है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण इस घटना के बारे में रख दिया है। तो मुख्य आधार वह पत्र है। आप इसको मेरे पास भेज दीजिये मैं जांच करा लूंगा। वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और जो भी तथ्य आयेंगे वे सदन के सामने आ जायेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा—

मान्यवर, वह तो मैं दे ही रहा हूं। माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि मैंने सदन को गुमराह किया और मैंने शरारतपूर्ण कार्य किया। मैं इसकी सफाई देना चाहता हूं। एक आदमी की उन्होंने हत्या करायी। उस आदमी ने दरखास्त दी, उसके २०-२५ दिन के बाद वह मर गया तो भी कहते हैं मैंने शरारत कर दी। मैंने न कोई शरारत की है और न ही सदन को गुमराह किया है। (व्यवधान) राम चरन नाम के व्यक्ति ने २५ दिन पहले हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को दरखास्त दी, यहां के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को दरखास्त दी (व्यवधान) मैं इस पत्र को आपको देता हूं। मैंने असली

कल श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का स्पष्टीकरण

बात को सदन के सामने रखा। सी० आई० डी० वाले भी इसकी कापी ले चुके हैं। यह पत्र आपको दे रहा हूं। यह मूल पत्र आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए, इसी आशा से मैं यह आपको दे रहा हूं।

(एक पत्र श्री अध्यक्ष को दिया)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ की जितनी भी सूचनायें आज आयी हैं उनमें से किसी को भी मैंने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि कोई स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :
२९ दिसम्बर, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान भवन

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ. . . . . पर)

राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों के द्वारा २३-११-७८ से चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में शासन को प्रस्तुत की गई प्रमुख मांगों का विवरण :

मांगें	विवरण
(१) प्रधानाचार्य द्वारा योग्य विद्यार्थियों का निराधार विद्यालय से निकाला जाना तथा सभी अभिभावकों से इस आशय का आश्वासन पत्र प्राप्त करना कि उनके छात्रगण कोई अनुशासन-हीनता का कार्य नहीं करेंगे ।	(१) कुछ अभिभावकों द्वारा दिये गये आश्वासन पत्र प्रधानाचार्य के पास मौजूद थे किन्तु आन्दोलनकारी छात्रों ने उनको घेर कर सभी कागज प्राप्त कर लिये और प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी छात्र को विद्यालय से निकाला नहीं गया ।
(२) प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापकों के अनुपस्थित रहने पर भी कक्षाओं में स्वयं अध्यापन कार्य न किया जाना ।	(२) छात्रों का यह कथन सही है । किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर प्रधानाचार्य द्वारा बराबर दूसरे अध्यापकों को भेजकर शिक्षण कार्य जारी रखा गया ।
(३) प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय से अनुपस्थित रहने तथा ऐसे व्यक्ति को कार्यभार सुपुर्द करना जो स्वयं अनुपस्थित रहता था ।	(३) यह कथन सही नहीं है । पारिवारिक कारणों से यदि प्रधानाचार्य जब कभी भी विद्यालय से अवकाश पर रहे तो वह अपने कार्यभार को दूसरे वरिष्ठ अध्यापक के सुपुर्द करते रहे जो विद्यालय बराबर उपस्थित रहे ।
(४) प्रधानाचार्य द्वारा नेत्रहीन छात्रों को १९७८ के लिये बाल दिवस समारोह में भाग लेने नहीं दिया गया ।	(४) यह सही नहीं है । राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों ने भाग लिया और कुछ को विशेष पारितोषिक दिया गया किन्तु इन छात्रों ने पुरस्कार वितरण के समय समापन समारोह में भाग नहीं लिया ।
(५) प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी सम्पत्ति, जैसे बस आदि का दुरुपयोग ।	(५) यह आक्षेप सही नहीं है ।
(६) प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवास के कहार से व्यक्तिगत कार्य का लिया जाना ।	(६) यह सही नहीं है ।

मांगें	विवरण
(७) प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के प्रति वर्ती गई उदासीनता तथा विद्यालय में चिकित्सक न आने पर प्रधानाचार्य द्वारा उनको बुलाने का प्रयास न करना।	(७) यह सही है कि विद्यालय के छात्रों के लिये चिकित्सक की व्यवस्था न हो सकी किन्तु जब कभी भी इस विद्यालय के छात्र अस्वस्थ हुये तो उन्हें अस्पताल ले जाकर उनके औषधि उपचार की समुचित व्यवस्था कराई गई।
(८) प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों का भोजन बन्द करना तथा कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित होने से मना करना।	(८) दिनांक २३-११-७८ को छात्रों ने प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया और जो अध्यापक और कर्मचारी विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुये उन्हें मारने पीटने की धमकी दी और उन्हें आतंकित कर दिया। फलस्वरूप छात्रावास का रसोइया भी आतंकित होकर कार्य नहीं कर सका। फिर भी २४ नवम्बर, १९७८ की शाम से दैनिक वेतन पर रसोइयें की व्यवस्था करके भोजन देने की व्यवस्था कर दी गई है।
(९) प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण।	(९) छात्रों द्वारा सितम्बर, १९७७ में भी प्रधानाचार्य के स्थानांतरण की मांग स्टार्ट की गई थी और तदनुसार तत्कालीन प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण किया जा चुका है। इस वर्ष छात्रों द्वारा पुनः उसी आशय की मांग पर कुछ निर्णय लेने के पूर्व सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जा सकता है।

नत्थी 'ख'

(देखए अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५८१ पर)

तहसील हाटा एवं पडरौना के बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूची ।

तहसील हाटा—

शिवपुर, बसन्तपुर, मरचहवा, नरायनपुर, हरिहरपुर, दधई घाट, बकूलादह, बाल-गोविन्द छपरा, पिपरासी, मू० ए०, भेंड्हारी नं० १, भेंडिहारी नं० २, शाहपुर, विन्ध्याचलपुर, देवीपुर, सूरजपुर, शामपुर, बलदेव छपरा, पकडिहवा, करमहवा, बिसेसरपुर, ज्वालापुर, महदेवा, मथुरा छापर, शलिकपुर, नरकलिया, गठिहवा, ढोला रामनगर, माधी, टेगराचक, भगवानपुर, नौतार जंगल, रजीत, हनुमानगंज, भैंसहा, गनही जंगल, बूढवा जंगल बोधी छपरा, पनिहवा, मदतपुर शुकरौली, कटाईभरपुरवा, सिसई दधीच, धनकोटवा, कोबजंगल, चमरडीहा, भेडीजंगल, भितहा आबदकारी, बिनदबलिया, लक्ष्मीपुर, रामपुर, गोनहा, ढेढी, परना, बिहूली नित्थी, बिहूली शूमाली, लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी, पचपेड़ा, सागर गोंसाई, मडार बिन्दबलिया, पगार, सिंखहा, मठिया बरधा, कोंबासार, खेटही, पाली, बेलवाघाट, रामकोला, रामपुर खास, बरवा, देवतहा, बलूवही, अतरडीहा, देवरिया बाबू, कप्तानगंज, हसनगंज, कोटवा, सेमरा, कारीतीन इन्दरपुर, भडसड खास, सोहनी, पटखौली, मेहडा, सुधरौली, बलबम छपरा, पोखरीबन्दा, बेलवा उप बेलवीनया, राज मंदिर, खभराभार, पचार, सिगसडी, गम्भीरपुर, खैरटवा, चिउरापाली, विशुनपुरा, रोहबा सत भरिया, मोतीचक, भडसड नरायन, मगराई, धोधरा, पिपरा, लंगडी, भलूवा, भलूही, बिन्दुवार, सन्दुवार, बेलवाखुर्द, मोहवन उप गोपालगंज, बरवा कला, बरवा खास, सूकरौली, मूडेरा, बरवा जमूनी, अमडीहा, बडहरा, देवकली उर्फ चकिया, मठिया, मोहेन मुन्डेरा, बनकटा, डोमबरवा खोंख्याा, भरपुरवा उर्फ मुज्जफरपुर, कोश्रडा, सोढरा, पकडी, जमुअम्मु, मझबलिया, सोनरिया, अरकपुर, मंगलपुर सोनबरसा, टीकर, तूरकहा, मलूकडी, नरायनपुर, रामपुर, बगहा, सिघावट, बडहरा बाबू बरवा स्थान कूसमहा, राजपूर, पूरन छपरा, पुरैनी, बडहरा लक्ष्मीपुर, सोहेसा मडिया, सोहसा दागौंसी, रामनगर, बैंदौली, महुबाडीह, महुआडीह लोंगरापुर, मूडिला हरपुर, सिकटिया, दुबौली, लगड़ी, हरपुर बरवा, बडहरा, सिरीसिया, मथौली, सकरौली, टीकरी, भिस्वा, मौना, महादेव छपरा, चक नरायन, धरमौली, बीरपट्टी पियरही मडकूलवा, मूजहना हैतिम, सहबाजपुर, सिंधना, खभवा, रामपुर कोटावा, पोखरीभन्डा, पिपरा, छितौली, दूभरी संबांगी पट्टी, लालीपार, कोटवा देवत्तहा, गनेशपुर, बन्धवा खुर्द, चकनीलकंठ, अहिरौली, गोपालपुर, मठसूरजगिर, सुबुधिया खुर्द, सुबुधिया बुजुर्ग, देवरिया, धनौजीखास, धनौजी माफी, धरमपुर, बेलवा सुदामा, पगरा, झांगा (योग कुल १९१ ग्राम)

तहसील पडरौना—

सेबरही, तूर्कबलिया साहबगंज, पकडियार पूरबपट्टी, टूकूलिया, राजपुर खास, रामपुर, बगहा, पिपराघाट, पांसा उर्फ सिरसिया, रकबा जंगली पट्टी, धधवा जगदीश, जबही दयाल, अहिरौली दयाल, बाक खास, बाधाचौर, बिरवट कोन्हबलिया, परसौनी सुमाली, नरायनपुर, परसौनी दोयम, हनुमानगंज, ढोला किस्तमराय, परसौनी जनूबी, परसौनी अब्बल, अमबा खास, दसहवा, विचपटवा, अगवा दीगर, रामपुर बरछन, रामपुर, जमूनिया, चौबया पटखौली, गौरी जगदीश, तिवारीपट्टी, पांडे पट्टी, रामपुर पट्टी गगूलबा, बांसगांव, गौरी शुकुल, झोकरहा, अशोगबा बुजुर्ग, अशोगबा खुर्द, सिकोटिया, किरत पट्टी, जंगल नौगांवां, बैकुन्ठपुर, अहिरौली, जंगल लूअबठहा, बडहराबूत, बडहरा बुजुर्ग, बडहरा खुर्द, नराहवा अचरज दूबे, मठिया करतारीगिर, पडरहा, जंगल सिसवा, जंगल पचरखिया, जंगल हनुमानगंज, (योग कुल ५४ ग्राम)।